

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXII, Eleventh Session, 2017/1938 (Saka)
No. 8, Thursday, March 09, 2017/Phalguna 18, 1938 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
OBITUARY REFERENCES	10-12
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question No. 121 to 123 and 126	14-52
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 124, 125 and 127 to 140	53-117
Unstarred Question Nos. 1381 to 1610	118-532

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

Congratulations to ISRO scientists on
successful launch of 104 satellites in orbits
from Sriharikota, Andhra Pradesh

533

PAPERS LAID ON THE TABLE

535-538

MESSAGE FROM PRESIDENT

539

**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS
AND RESOLUTIONS**

30th Report

540

**STANDING COMMITTEE ON INFORMATION
TECHNOLOGY**

34th Report

540

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

24th to 31st Reports

541-542

STATEMENT BY MINISTER

Incidents occurred in Madhya Pradesh
and Uttar Pradesh on 7th and 8th March, 2017

Shri Rajnath Singh

543-545

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Recent spate of racial attacks on Indians in USA

546-558

(ii) Re: Alleged denial to women Panchayat Presidents
of Kerala to participate in a function on International
Women's day held at Gandhinagar, Gujarat for
wearing customary dress 'Hizab'

577-579

(iii) Re: Need to scrap the amendment made by the
Government of Jharkhand on Chhotanagpur Tenancy
Act (CNT) and Santhal Parganas Tenancy Act (SPT)

580-582

MATTERS UNDER RULE 377	595-619
(i) Need to expedite railway projects in Jharkhand	
Shri Nishikant Dubey	596-597
(ii) Need to develop places of historical and mythological importance in Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
Shri Ajay Misra Teni	598
(iii) Need to run Sangam Express (Train No. 14163/64) on time	
Shri Rajendra Agrawal	599
(iv) Need to attach an extra bogie for MST passengers in Vidarbha Express and Intercity Express running from Wardha to Nagpur and Amravati in Maharashtra	
Shri Ramdas C. Tadas	600
(v) Need to restore the plaque carrying a quote by Veer Vinayak Damodar Savarkar in Cellular Jail Premises of Andaman and Nicobar	
Shri Hariom Singh Rathore	601
(vi) Need to set up soil testing laboratories at block level in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
Shri Bhanu Pratap Singh Verma	602
(vii) Need to ensure financial security of customers who suffer loss due to cyber fraud and also to set up a mechanism to check the increasing incidents of cyber-fraud	
Shri Ravindra Kumar Ray	603

- (viii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Chatra district, Jharkhand
Shri Sunil Kumar Singh 604
- (ix) Need to set up an effective mechanism to curb trafficking of children in the country
Dr. Virendra Kumar 605
- (x) Need to increase the coverage under the National Food Security Scheme in Rajasthan
Dr. Manoj Rajoria 606
- (xi) Need to establish a Cancer Hospital in Siwan, Bihar
Shri Om Prakash Yadav 607
- (xii) Need to ensure participation of eligible and interested parties in coal linkage auctions of BCCL in Baghmara development block in Dhanbad, Jharkhand
Shri Ravindra Kumar Pandey 608
- (xiii) Need to declare income of dairy sector as agriculture income
Shri Devji M. Patel 609
- (xiv) Need to accord approval for setting up of Plastic Park in Bharuch district, Gujarat
Shrimati Jayshreeben Patel 610
- (xv) Need to review the decision to shift the headquarters of Central Institute of Plastics Engineering from Chennai
Dr. J. Jayavardhan 611

- (xvi) Need to take steps to protect IT professionals in USA
Prof. Saugata Roy 612
- (xvii) Need to control and prevent Cervical Cancer among women
Shrimati Aparupa Poddar 613
- (xviii) Regarding the issue of missing children in the country
Shri Rabindra Kumar Jena 613
- (xix) Need to establish a new railway zone at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh
Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi) 614-615
- (xx) Need to allocate adequate funds for Kothapalli-Manoharabad-Akkannapet-Medak railway line in Telangana
Shri Kotha Prabhakar Reddy 616
- (xxi) Need to increase the limit of medical assistance under the Prime Minister's National Relief Fund
Shri Dushyant Chautala 617
- (xxii) Need to take measures for improvement of agriculture sector in the country
Shri Prem Singh Chandumajra 618
- (xxiii) Need to issue final notification regarding Environment Sensitive Area
Adv. Joice George 619

MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) BILL, 2016	620-725
Motion to Consider	623
Shri Bandaru Dattatreya	620-623, 715-725
Kumari Sushmita Dev	624-630
Dr. Pritam Gopinath Munde	631-634
Shrimati M. Vasanthi	635-638
Dr. Ratna De (Nag)	639-642
Shri Tathagata Satpathy	643-648
Shri Arvind Sawant	649-652
Dr. Ravindra Babu	653-656
Dr. Boora Narsaiah Goud	657-661
Shri P.K. Biju	662-665
Shrimati Supriya Sule	666-670
Dr. Virendra Kumar	671-675
Dr. Kakoli Ghosh Dastidar	676-680
Dr. Sanjay Jaiswal	681-684
Shri E.T. Mohammad Basheer	685-688
Shrimati Bijoya Chakravarty	689-692
Shri Kaushalendra Kumar	693-694
Shrimati Santosh Ahlawat	695-697
Shri N.K. Premachandran	698-704
Shrimati Jayshreeben Patel	705-707
Shri Dushyant Chautala	708-709
Shri Ramesh Bidhuri	710-714
Clauses 2 to 4 and 1	723-725
Motion to Pass	725

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	726
Member-wise Index to Unstarred Questions	727-732

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	733
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	734

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, March 09, 2017/Phalguna 18, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री रवि राय एवं हमारे पूर्व तीन सदस्यों श्री जाम्बुवंत धोटे, श्री पी. शिवशंकर और श्री सैय्यद शहाबुद्दीन के दुःखद निधन के बारे में सूचना देनी है।

श्री रवि राय 9वीं लोक सभा के दौरान लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही का संचालन अत्यंत सहज, सुचारु, एवं मिलनसारिता से किया। संसदीय कौशल और संसदीय पद्धति एवं प्रक्रियाओं के बारे में उनके व्यापक ज्ञान एवं जानकारी के कारण सभा के सभी वर्गों से उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ।

श्री राय ओडिशा के पुरी और केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः चौथी, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री राय वर्ष 1979 से 1980 तक केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। वह 1974 से 1980 तक राज्य सभा के भी सदस्य थे।

श्री राय ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कई देशों में गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का भी नेतृत्व किया।

श्री रवि राय का निधन 90 वर्ष की आयु में 6 मार्च, 2017 को कटक में हुआ।

श्री जाम्बुवंत धोटे महाराष्ट्र के नागपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं और 7वीं लोक सभा के सदस्य थे।

वह 5वीं लोक सभा के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य थे।

इसके पूर्व, श्री धोटे तीन कार्यकाल तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य थे।

श्री जाम्बुवंत धोटे का निधन 81 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के यवतमाल में 18 फरवरी, 2017 को हुआ।

श्री पी. शिवशंकर आंध्र प्रदेश के सिकंदराबार और तेनाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः छठी, सातवीं, और बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री पी. शिवशंकर केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य; पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक; ऊर्जा; वाणिज्य; खाद्य और नागरिक आपूर्ति; विदेश; योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मानव संसाधन विकास मंत्री थे।

श्री पी. शिवशंकर दो कार्यकाल तक राज्य सभा के सदस्य थे।

श्री पी. शिवशंकर 12वीं लोक सभा के दौरान विशेषाधिकार समिति के सभापति और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी थे।

श्री पी. शिवशंकर 1994 से 1995 तक सिक्किम और 1995 से 1996 तक केरल के राज्यपाल थे।

प्रतिष्ठित विधिवेत्ता श्री पी. शिवशंकर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एवं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया।

श्री पी. शिवशंकर ने अनेक देशों की यात्राएं कीं तथा उन्होंने विभिन्न देशों में गए भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया।

श्री पी. शिवशंकर का निधन 87 वर्ष की आयु में 27 फरवरी, 2017 को हैदराबाद में हुआ।

श्री सैय्यद शहाबुद्दीन बिहार के किशनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 10वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री शहाबुद्दीन 8वीं लोक सभा के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य तथा 12वीं लोक सभा के दौरान प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। वे राज्य सभा के सदस्य भी थे।

पेशे से राजनयिक श्री शहाबुद्दीन अल्जीरिया और मौरिटानिया में भारत के राजदूत थे।

श्री सैय्यद शहाबुद्दीन का निधन 81 वर्ष की आयु में 4 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

11.05 hours

(The Members then stood in silence for a short while.)

HON. SPEAKER: Now, Question Hour.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you after the Question Hour.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Q. No. 121.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Not now; after the Question Hour, I will allow you.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri P. Srinivasa Reddy.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow everything to be raised after the Question Hour, but not now.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know.

... (*Interruptions*)

11.06 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER: Now, Q. No. 121 - Shri P. Srinivasa Reddy.

(Q. 121)

SHRI P. SRINIVASA REDDY: Madam Speaker, I thank you very much. The hon. Minister has given a very elaborate reply. ... (*Interruptions*)

Madam, India accounts for the second highest death rate of children under five years of age due to environmental risks, mainly pollution and poor sanitation, health risks from polluted drinking water, mainly presence of arsenic, which occurs naturally in ground water and causes serious risks to children's health. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am saying that I will allow you after the Question Hour, but not now.

... (*Interruptions*)

SHRI P. SRINIVASA REDDY: According to a recent assessment by a UN agency, India recorded 248.14 deaths among children under five years of age per lakh people. ... (*Interruptions*)

For the Multi Sector Nutrition Building Initiative – Sangam, the UNICEF's support is up to December, 2017 only and the hon. Minister has said that the duration of the project is three years, but the gravity of the issue is very alarming and the problem cannot be tackled in such a short time period. ... (*Interruptions*)

Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the previous schemes or programmes launched for child welfare had failed and the need for launching a new scheme Sangam arose. I would also like to know what measures the Government has taken to continue the scheme after the year 2017 to control poverty and malnutrition related child deaths in India. ... (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव : मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह बात सही है कि मूल रूप से जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you after the Question Hour. So, please do not do that.

I will allow you also. I assure you that I will allow you.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you after the Question Hour.

... (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव : उसका मुख्य कारण यह है कि जो भारतवर्ष में माएं हैं, अधिकांश तौर पर वे कुपोषण का शिकार हैं। उनके कुपोषण का शिकार होने की वजह से बच्चों पर उसका बड़ा असर पड़ता है। ... (व्यवधान) मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ कि विगत 2005-2006 में देश में कुपोषित बच्चों की मात्रा 48 प्रतिशत थी, लेकिन सरकार के विभिन्न प्रयासों से जो योजनाओं और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उनके कारण यह मात्रा घटकर अब 38.4 प्रतिशत हो गई है।

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, regarding this issue of what is happening in the United States of America *vis-à-vis* Indians, our hon. Home Minister wants to say something to the House. ... (*Interruptions*)

I would request him. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, kindly listen to us as to what we have to say before he says something on this issue. ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: No, Madam. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can raise the issue after the Question Hour and he will answer to it.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is ready. Why do you want to raise it just now? He is ready and you can raise it afterwards.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Otherwise, he will give his statement and the matter will be over.

... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, I want to assure only this much that the Government of India is very much concerned and hon. Home Minister is going to say on the issue after the Question Hour. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I think, that is better.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: But if he wants to say something now, then he can.

... (*Interruptions*)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यू.एस.ए. में भारतीय नागरियों के साथ जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उसको भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। ... (व्यवधान) इस संबंध में सरकार की तरफ से अगले सप्ताह सदन में स्टेटमेंट भी दिया जाएगा। ... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, he should listen to us first and then reply to it. ... (*Interruptions*) When we have given the Adjournment Motion on an issue, kindly allow us to speak. ... (*Interruptions*)

11.12 hours

(At this stage, Shri C. Mahendran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: If you want to raise the issue again after the Question Hour, then you can do it but not like this.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Your issue is something different than this one. Is it not?

... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL: Yes, Madam. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: So, I will allow it after the Question Hour. Do not do something like this. I will allow you.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आपका उत्तर पूर्ण हो गया है या नहीं?

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदया, अभी मेरा उत्तर पूर्ण नहीं हुआ है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, पहले आप अपना उत्तर पूर्ण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदया, मैं बता रहा था कि अपने देश में जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, उसका मुख्य कारण है कि माँ कुपोषित रहती है। ...(व्यवधान) उसका कारण अशिक्षा और गरीबी है। गरीबी और अशिक्षा की वजह से माँ को ठीक ढंग से आहार नहीं मिल पाता है। ...(व्यवधान) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ...(व्यवधान) मैंने आपको यह भी बताया है कि इसमें लगातार कमी आ रही है। ...(व्यवधान) जो बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और अविकसित बच्चे हो रहे हैं, जहां सन् 2005-06 में 48 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार थे, अब सन् 2015-16 में वह घट कर 38.04 प्रतिशत हो गए हैं। यानि लगातार जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि आज भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आज भी माँ कुपोषण का शिकार हैं। उसके मूल में गरीबी और अशिक्षा ही कारण है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय उनकी गरीबी को दूर करने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना को जमीन पर उतारने का काम कर रही है और बड़े पैमाने पर उस पर धनराशि खर्च करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहना हूँ कि यह भी चिंता का विषय है कि भारत में अभी भी 53 प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं, जो एनिमिक हैं, जिनमें खून की कमी है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से मिल कर इस समस्या से लड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित भी किए गए हैं। जैसे किशोरी शक्ति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मनरेगा, प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और आजीविका मिशन आदि विभिन्न योजनाएं चल रही हैं।

यही नहीं सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का पड़ा है। जिसके माध्यम से गरीब महिलाओं को सीधे गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है। धुएँ की वजह से वे बीमार होती थीं, उससे बड़े पैमाने पर उनको मुक्ति दी जा रही है। वर्ष 2019 तक पाँच करोड़ गरीब महिलाओं को यह कनेक्शन दिया जायेगा।...(व्यवधान) इसका बहुत ही सकारात्मक असर हो रहा है।...(व्यवधान)

महोदया, माननीय सदस्य ने खास तौर पर पेयजल के बारे में चिन्ता जाहिर की है। ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहुत सारी धनराशि देने का काम किया

है।... (व्यवधान) अशुद्ध पानी पीने की वजह से हमारी माताओं, हमारी ग्रामीण जनता पर जो असर पड़ता है, उससे मुक्ति दिलाने का भी काम किया जा रहा है।... (व्यवधान) इसके लिए भी बड़ी धनराशि दी जा रही है।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि जो संगम योजना है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनीसेफ के ज्वाइंट अफोर्ड से एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत सारी धनराशि दी गई है।... (व्यवधान) यह तीन साल का प्रोजेक्ट है।... (व्यवधान) इस पर काम चल रहा है।... (व्यवधान) पूरे देश से कुपोषण मिटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नये-नये तरीके अपनाये जा रहे हैं।... (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग किट भी तैयार की जा रही है।... (व्यवधान) पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के चार जिलों का चयन किया गया है।... (व्यवधान) विशेष रूप से यह संगम योजना देश के उन चार जिलों में जहाँ बहुत ही स्थिति खराब है, जहाँ आदिवासियों और गरीबों की संख्या है, उन जिलों को लेकर वहाँ काम शुरू किया जा रहा है।... (व्यवधान) पूरा देश कुपोषण से बाहर निकले, उसके लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध है। यह माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि हम अपने देश को कुपोषण से बाहर निकालेंगे।... (व्यवधान) बच्चे कुपोषित न हों, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट हर संभव प्रयास कर रहा है।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. P Venugopal Ji, I know you want to raise the issue of fishermen which is also very important. After the Question Hour, I will definitely allow you. Please bear with us. I know your issue. I will allow Mr. Venugopal ji after the Question Hour. Surely I will allow you. I am saying that I will allow you but not now. I will allow everybody. You know, we are meeting after one month and so many issues are there. Definitely I will allow you.

... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL: This issue of fishermen has been raised several times in the House but the Government has not responded to it... (*Interruptions*)

11.18 hours

(At this stage, Shri C. Mahendran and some other hon. Members went back to their seats.)

SHRI P. SRINIVASA REDDY: According to the recent WHO's report, every year, environment risks, such as indoor and outdoor air pollution, secondhand

smoke, unsafe water, lack of sanitation and inadequate hygiene, take the lives of 1.7 million children under 5 years.

As a matter of fact, under the leadership of Shri Narendra Modi ji and his vision to make India 'Swatchh Bharat', India's sanitation has been improved to some extent. But, highlighting the need for improved sanitation in India and in order to save children, the WHO's report said 44 per cent of India's population defecate and urinate in open spaces, leading to greater risk of infectious diseases like diarrhoea and other diseases.

Madam Speaker, I would like to know from the hon. Minister what measures the Government have taken to control infectious diseases among children.

श्री राम कृपाल यादव : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी अत्यंत गंभीर हैं, हमारा विभाग अत्यंत गंभीर है। जैसा इन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से खास तौर से पेयजल और शौचालयों के निर्माण में केन्द्र सरकार ने बहुत ही अहम पहल की है। मैं आपको बताता हूँ कि वर्ष 2016-17 में अब तक के हिसाब से 1.78 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाया गया है और लगभग 1.70 लाख गाँव पूरी तरह से ओडीएफ हो गये हैं। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। इसी तरह से, भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' के माध्यम से वर्ष 2016-17 तक कुल मिलाकर लगभग 5,252 करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया है, जिसके तहत अब तक 44,199 गांवों को, बसावटों को जोड़ने का काम किया गया है। केन्द्र सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, ताकि गांव के आम लोगों को शुद्ध पानी मिल सके और स्वच्छता अभियान के माध्यम से 'ओडीएफ' करके लोगों को स्वच्छ वातावरण दिया जा सके।

श्री दहन मिश्रा: अध्यक्ष जी, हमारे संसदीय क्षेत्र का श्रावस्ती जनपद कुपोषण से हो रही मौतों की वजह से वर्ष 2014-15 में सुर्खियों में आया था, जिसका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संज्ञान लिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम दिल्ली आई थी और संबंधित अधिकारियों को तलब भी किया था। बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन न होने की वजह से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद प्रचलित योजनाओं को ईमानदारी से क्रियान्वयन किया गया, जिसका परिणाम भी परिलक्षित हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद व्यवस्था पुनः पुराने ढर्रे पर आ गयी और समस्या जस-की-तस है।

हमारा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या प्रचलित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई प्रभावी निगारानी व्यवस्था आप बनाएंगे?

दूसरा, कुपोषण के मामले में अक्वल जो हमारा जनपद श्रावस्ती है, क्या 'संगम' योजना के अंतर्गत उस जिले को उसमें सम्मिलित करने का काम करेंगे?

श्री राम कृपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि कुपोषण से शिकार, जैसा मैंने प्रश्न के पहले ही अंश में कहा कि, कुपोषित बच्चे, खासतौर पर मां के कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, खास तौर पर गांवों की गरीब महिलाएं, जब वे गर्भवती होती हैं और उनकी गर्भावस्था से पहले भी, मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर उनके उत्थान के लिए, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके लिए बहुत सारी धनराशि खर्च कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है।

देश के स्तर पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन तीनों के प्रयास से गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें सभी गर्भवती महिलाओं को चार चेक-अप मुफ्त उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। 'आशा दीदी' सभी गर्भवती महिलाओं को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी है और मैं समझता हूँ कि सभी महिलाओं को एकत्रित करके उनका मेडिकल चेक-अप कराने की कोशिश की जा रही है। जो वांछित टीका कार्यक्रम है, वह दिलवाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे के जन्म के उपरांत शिशु सुरक्षा के लिए छः हफ्तों के अंदर आशा दीदी को छः बार विजिट करना अनिवार्य है। ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 'मिशन इन्द्रधनुष' के अंतर्गत 11 मुख्य बीमारियों से सुरक्षा हेतु टीकाकरण मुफ्त में दिलवाने की कोशिश की जा रही है। 'किशोरियों और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम' के अंतर्गत शिशु जन्म की उचित आयु के बारे में तथा दो बच्चों के बीच में रहने वाले अन्तराल की जानकारी देने की भी कोशिश की जा रही है। खास तौर पर, गांव की जो गरीब महिलाएं हैं, उनमें लगातार अवेयरनेस न होने की वजह से तुरन्त-तुरन्त उनकी गर्भावस्था हो जाती है, जिसकी वजह से भी बच्चों पर असर पड़ता है। यही नहीं, हाल ही में शुरू की गयी 'प्रधानमंत्री मातृत्व स्वास्थ्य अभियान' के अंतर्गत महीने में 9 तारीख को मुफ्त चेक-अप करना अनिवार्य हो गया है। पूरे देश के पैमाने पर यह स्कीम चलायी जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसकी चिंता करने का काम किया। कल ही 'अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस' था और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसकी बहुत चिंता करने का काम किया है। आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि जो गर्भवती महिला

होगी, उनके एकाउंट में छः हजार रुपए डाल दिया जाएगा और निवेदन यह होगा कि वे इस छः हजार रुपए की राशि का सही उपयोग करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा असर होगा।

माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, 'दिशा' में इन सब चीजों का प्रावधान किया गया है। पूरे तौर पर "दिशा" की जो मीटिंग होती है, अगर कहीं से कोई गड़बड़ी लगती है और भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो धनराशि दी जा रही है, वह गांव तक नहीं पहुंच रही है, "दिशा" की मीटिंग माननीय सांसदों को पूरी शक्ति प्रदत्त है, हम उसको मॉनिटरिंग करके चेक और बैलेंस करने का काम करेंगे।

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN: Madam Speaker, mal-nutrition among children is a very serious problem in the entire country especially in the tribal areas. In Maharashtra, particularly Melghat, Palghar are the areas where mal-nutrition has been a very serious issue. As you are aware, the Centre has formulated various programmes for setting up Anganwadi centres and others. This has been taken up to take care of this problem. You will observe that not even the welfare standards of these Anganwadis have been hardly met and a lot needs to be done. The Centre has set a target of building four lakh Anganwadi centres across the country by 2019, out of which 289 were to be constructed in Maharashtra by the end of 2016. I am rather shocked to know that not even a single Anganwadi centre has been constructed under the Scheme in Maharashtra. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has tried to find out as to why not a single Anganwadi centre under this particular Scheme has been constructed in Maharashtra. What are the reasons for this? What exactly is the time-frame within which the Government wants to construct these Anganwadi centres in Maharashtra where no beginning has been made? I may say that more than 18,000 children die per year in Maharashtra due to mal-nutrition especially in Palghar district. The hon. Tribal Minister comes from that district.

श्री राम कृपाल यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि इनकी जो चिंता है, वह वाजिब चिंता है। मुझे पता है कि भारत की सरकार राज्यों को धनराशि देती है और राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है और लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि आंगनबाड़ी

केंद्र की स्थापना के लिए भारत की सरकार ने उपबंध किया है, हम मनरेगा में जो इतनी धनराशि दे रहे हैं उसका मूल कारण है कि जहां-जहां आंगनबाड़ी भवन नहीं है, उसका निर्माण करवाया जाए और मनरेगा के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपने जो चिंता जाहिर की है, राज्य सरकार के स्तर से यह काम होना है। जिन क्षेत्रों की चिंता की गई है, उन क्षेत्रों को मैंने निश्चित रूप से संज्ञान में लिया है। अगर वहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन सका है तो वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाएगा ताकि उन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए और आपकी जो चिंता है उससे मुक्ति मिल जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, मैंने बहुत पहले ही समय मांगा था, जहां तक शौचालय का सवाल है, हमने वर्ष 1990 में पूरे उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाने का इंतजाम किया था, जब मैं मुख्यमंत्री था। अभी परिवारों में जो बंटवारा हुआ और वर्तमान मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव है, उन्होंने भी शौचालय बनवाए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा गंदगी इसी से है। अगर गंदगी है और माननीय प्रधान मंत्री जी तथा आप सफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले शौचालय बनवा दीजिए, तब अस्सी परसेंट गंदगी खत्म हो जाएगी। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में घर-घर में शौचालय बन गए हैं...(व्यवधान) अगर किसी परिवार में चार भाई होते हैं, वहां बंटवारा होता है, तो वहां भी शौचालय बनना शुरू हो गए हैं...(व्यवधान) आप तो शोर मचाने के अलावा कुछ करते नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री मुलायम सिंह जी, यह प्रश्न थोड़े ही है।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं कह रहा हूं कि अगर शौचालय नहीं बने हैं, यदि चार भाई हैं और अलग-अलग हुए हैं तो उनका भी इंतजाम हो रहा है, ...(व्यवधान) हम उनके लिए भी शौचालय बनवा रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर):

माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे मित्र ने कुपोषण से संबंधित जो सवाल उठाया, वह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सवाल था। मुझे लगता है कि इतनी चिंता आरंभ से अब तक की गई होती, तो शायद भारत कुपोषण से मुक्त हो जाता। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कुपोषण से मुक्ति दिलाने के प्रयत्न पूर्व की भी सभी सरकारों द्वारा समय-समय पर हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हम किसी समस्या के बारे में विचार करते हैं तो विचार एकांगी होता है। विचार समग्रता में होना चाहिए और समुच्च विचार होना चाहिए।

आज अगर कुपोषण की स्थिति है, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा माता के स्वास्थ्य के बारे में विचार करना चाहिए। अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो शायद कुपोषित बच्चा पैदा नहीं होगा। माता

का विचार हम नहीं करते हैं, बच्चा जन्म ले लेता है, वह कुपोषित रहता है, फिर हम उसके बारे में अनेक-अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं और योजनायें चलाते रहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले दिनों जो बजट प्रावधान हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी ने गर्भवती बहनों के लिए 6 हजार रूपए देने की घोषणा की। यह जब अमल में आएगा, तो निश्चित रूप से इसका असर आने वाले कल में दिखेगा। ... (व्यवधान) अधीर रंजन जी, एक मिनट, मैं बोल रहा हूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉट डिस्टर्ब। आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : कुपोषण का मामला जब अस्वच्छता से जुड़ा है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अस्वच्छता के बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों को खोजकर दूर किया जाना जरूरी है। इस मामले में भारत सरकार ने आरम्भ से ही अनेक योजनाओं का सृजन किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हो, महिला बाल विकास हो, कृषि विभाग हो, ग्रामीण विकास की पंचायत विभाग की अनेक योजनाएं हों, स्वास्थ्य और पेयजल विभाग की योजनाएं हों, सबको समग्रता से लागू करना और ठीक से उसका इंप्लीमेंट हो जाए, तो निश्चित रूप से इसमें मुक्ति मिलेगी।

मुलायम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने शौचालय की बात कही, तो जब वे मुख्यमंत्री रहे होंगे, तब भी उन्होंने शौचालय बनाए होंगे और अब भी शौचालय बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर, 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी की घोषणा की, तब से लेकर अब तक, लगभग 1 लाख 70 हजार गांव ओडीएफ हो चुके हैं। उनमें उत्तर प्रदेश में भी शौचालय बने हैं। उत्तर प्रदेश में भी शौचालय बनाने के लिए केन्द्र सरकार 12 हजार रूपए प्रति हितग्राही सहायता दे रही है और लगातार हम उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर के संपर्क में हैं। यह सच है कि जब स्वच्छता का लक्ष्य पूरा होगा, तब स्वस्थ भारत का लक्ष्य पूरा होगा और जब स्वस्थ भारत का लक्ष्य पूरा होगा, तब श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा होगा।

माननीय अध्यक्ष : यह होता है उत्तर।

(Q. 122 & 126)

श्री राजू शेट्टी: अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत विस्तार से मेरे सवाल का जवाब दिया है। देश में, खासकर महाराष्ट्र में जो नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। मंत्री जी को मैं खासकर पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे का उदाहरण देता हूँ। बेहतर सुविधा भी इसमें मिलती है और घटिया सुविधा भी इसी रोड पर मिलती है। आप अगर बेलगांव से कोल्हापुर तक आएं तो आपको बेहतर सुविधा मिलती है, वहां गांव के किसानों के लिए सर्विस रोड है, वहां टोल में ज्यादा रूकने की आवश्यकता नहीं होती है, लाइनें नहीं लगती हैं। टोल का रेट भी वहां बहुत कम है, 210 रूपए हैवी व्हिकल के लिए और 50 रूपए लाइट हैवी व्हिकल के लिए लगते हैं। महाराष्ट्र में जब आते हैं तो महाराष्ट्र में किन्हीं का हो, सतारा का हो या कराड का हो, यह जो टोल है, कोल्हापुर से सतारा और सतारा से पुणे, इन दोनों का निर्माण अलग-अलग कंपनियों ने किया है। यहां टोल भी ज्यादा है, 240 रूपए हैवी व्हिकल के लिए और 70 रूपए लाइट हैवी व्हिकल के लिए लगते हैं। टोल ज्यादा है, सर्विस रोड नहीं है, वहां बार-बार एक्सीडेंट होते हैं। आज तक कोल्हापुर से सतारा तक तकरीबन 100 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहां ओवर ब्रिज नहीं हैं। टोल में आधा-आधा घंटा लाइन में रूकना पड़ता है, बार-बार गुंडागर्दी होती है। बेलगांव से कोल्हापुर तक तो कोई किसी को छेड़ता नहीं है। महाराष्ट्र में जहां भी टोल देने के लिए लोग आते हैं, वहां दादागिरी होती है, गुंडागर्दी होती है, छुट्टा पैसा वापस नहीं मिलता है। यह सब होने के बावजूद सड़क की स्थिति बेहद घटिया है। लोग टोल टैक्स देना चाहते हैं ताकि उनका समय और पैसे बचें। लेकिन उनका समय नहीं बचता और पैसे भी नहीं बचते। लोगों को टोल में गुंडागर्दी सहनी पड़ती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अगर पूरा देश कैशलैस हो रहा है तो टोल टैक्स कैशलैस क्यों नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि अगर टोल टैक्स कैशलैस होगा तो पूरे पैसे एकाउंट में जाएंगे और टोल टैक्स वाले लोगों को जुमला करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, इसलिए वे कैशलैस नहीं करते।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सब टोल कब कैशलैस होंगे और वहां कानून हाथ में लेकर सड़क से जाने वाले लोगों पर जो गुंडागर्दी होती है, क्या उस बारे में सरकार अलग कानून बनाने जा रही है?

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उसमें तथ्यांश है। बेलगांव से कोल्हापुर तक रोड अच्छी है और वहां तकलीफ नहीं है। लेकिन पुणे से कोल्हापुर तक में पुणे से सतारा एक पार्ट है और सतारा से कोल्हापुर एक पार्ट है। सतारा से कोल्हापुर पार्ट महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के पास है और पुणे से सतारा प्राइवेट को दिया गया है। उसमें काम शुरू है। उसमें 54 ऊपरी

पुल बनाने हैं। 32 पुल पूरे हो गए हैं और कुछ में काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें लैंड एक्वीज़िशन की प्रॉब्लम भी है। वे जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वहां कुछ पोलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। वहां के बहुत से पोलिटिकल लीडर यही चाहते हैं कि टोल का काम हम करें और कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले सब कॉन्ट्रैक्टर को हमारे कहने पर ही काम मिले।...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: आप नाम बताइए कि वे कौन हैं।...(व्यवधान) आप डर क्यों रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : मैं किसी का नाम लेने से नहीं डरता क्योंकि हमारे यहां पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य उसी क्षेत्र के हैं, इसलिए उन्हें पता है। ...(व्यवधान) आपने जो सुझाव दिया है, हमने फास्ट ट्रेक टोल का काम शुरू किया है। मैंने चार दिन पहले निर्णय किया है कि इसके बाद पूरे 980 टोल पर सौ प्रतिशत लाइन फास्ट ट्रेक की होंगी। जैसे मोबाइल फोन चार्ज होता है, उसी तरह कार, ट्रक आदि को स्टिकर लगाना पड़ेगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम 18 प्रतिशत तक आगे बढ़े हैं और हम इसे सौ प्रतिशत तक करना चाहते हैं। इसे करने से पॉल्यूशन कम होगा, तकलीफ कम होगी और आप जो कह रहे हैं, वह इरेग्युलेरिटीज़ भी कम होंगी। इसमें दूसरी अड़चन है कि पुणे-कोल्हापुर रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है और कोल्हापुर-बेलगांव पर कम है। इसलिए पुणे से सतारा सिक्स लेन करना और खम्भात के घाट में नए टनल का निर्माण करना, दूसरी ओर सतारा से कोल्हापुर तक सिक्स लेन करना है। दोनों का डीपीआर बन गया है और पुणे-सतारा का काम शुरू हो गया है और सतारा-कोल्हापुर का सिक्स लेन का काम शुरू होगा। आपने जितनी बातें बताई हैं, मैंने उन्हें नोट कर लिया है। मेरी जानकारी में भी कुछ है। मुझे लगता है कि एक साल के अंदर रोड ठीक हो जाएगी, काम पूरा हो जाएगा और तकलीफें दूर होंगी। आपने फास्ट ट्रेक के बारे में जो कहा, इसके बाद हम सारे टोल फास्ट ट्रेक पर लेकर जाएंगे। मैं आपकी मार्फत सदन और सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि हमने स्टिकर दिए हैं ताकि आप उन्हें दिल्ली की एक गाड़ी और कौन्सटीट्यूंसी की एक गाड़ी में लगा सकें।...(व्यवधान) अगर आपको कोई अड़चन होगी तो उसे सुधारेंगे क्योंकि अभी दो ही लेन हैं।...(व्यवधान) पूरी लेन बन जाएगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी। हम बाकी लोगों को भी स्टिकर देंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री राजू शेट्टी : अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। टोल वसूलने में जो गुंडागर्दी होती है और कानून हाथ में लेकर आम लोगों को पीटा जाता है, उस बारे में अलग कानून बनाकर उनके ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, राज्यों में कानून-व्यवस्था उन्हीं के अधीन होती है। फिर भी आपने जो सुझाव दिया है, उसके लिए कुछ राज्य सरकारों ने हाईवेज़ प्रोटैक्शन फोर्स तैयार की है और उसे अधिकार भी दिए गए हैं। मैं आपकी सूचना का आधार लेकर राज्य सरकार को फिर से सूचना दूंगा कि वह इस तरह की गुंडागर्दी करने वालों पर कठोर कानूनी कार्यवाही करे।... (व्यवधान)

श्री राजू शेटी: वे जो आइडेंटिटी दिखाते हैं, उसे पढ़ भी नहीं सकते।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ ऐसे नहीं करते।

... (व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : उस पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश देंगे।... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप: अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों नेशनल हाइवे का जाल बिछाया है जहां सड़कें नहीं थीं वहां पर काफी नेशनल हाइवे दिए हैं। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। मैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी प्रांत है जहां पांच नेशनल हाइवे भी नहीं थे लेकिन आज 61 नेशनल हाइवे हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं और उसके लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह खेद का विषय है कि हिमाचल प्रदेश डीपीआर तैयार करने को राजी नहीं है। अब एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और कोई डीपीआर नहीं बन रहा है, ऐसा राजनीति के आधार पर किया जा रहा है। आम जनता के लिए केन्द्र सरकार काम करना चाहती है उसमें अड़चनें डाल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश डीपीआर नहीं बना रही है केन्द्र सरकार नेशनल हाइवे के माध्यम से डीपीआर पैसों का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के लिए करेगी?

श्री नितिन गडकरी : स्पीकर महोदया, राज्य सरकार जो डीपीआर बनाती है उसका पैसा भी केन्द्र सरकार ही देता है। माननीय सदस्य ने कहा कि डीपीआर बनाने का आदेश देने के बाद भी राज्य सरकार समाधान करके डीपीआर निश्चित समय सीमा में पूरा नहीं कर रही है तो हम इसका रिव्यू करेंगे, जहां काम नहीं हुआ है और जहां देरी हो रही है। हम अपनी तरफ से काम करने का आदेश भी देंगे और डीपीआर तुरंत बनाकर टेंडर निकाल कर काम शुरू करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रत्युषा जी, आपका तारांकित प्रश्न क्रमांक संख्या 126 पर लगा है। आप अगर इसी में पूरक प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो प्रश्न संख्या 126 को प्रश्न 122 में शामिल कर देते हैं। अब आप प्रश्न पूछें।

SHRIMATI PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH: Thank you Madam for giving me this opportunity. I would like to ask the hon. Minister through you, given that the Cabinet Committee on Economic Affairs approved the development of National Highway 55 of Odisha in 2016, which was originally scheduled to commence almost half a decade ago, what measures have been taken to ensure that no further delays occur.

श्री नितिन गडकरी : महोदया, दो बार इसे बीओटी में निकाला, लेकिन टेंडर के लिए कोई नहीं आया और दूसरी बात हमारे सिस्टम में भी अड़चन है जिसके लिए हमने कैबिनेट को प्रस्ताव देने का विचार कर रहे हैं कि अगर एक बार बीओटी में नहीं होता है तो ईपीसी में करने के लिए हमें तीन कमेटियों की परमिशन लेनी पड़ती है और इसमें एक-दो साल का समय लग जाता है। आपका जो प्रश्न है उसके बारे में मैंने आज ही आर्डर दिया है कि ईपीसी मोड में इसको तुरंत टेंडर करके काम शुरू करें।

SHRI K.H. MUNIYAPPA: There was a plan earlier also to plant fruit-bearing trees like *neem* by the side of road which will not only give shelter but being the fruit bearing trees the birds population on the trees will increase which will help in removing the pests. This will also help in increasing the birds' population. This programme has not been properly implemented. The contractors are not maintaining these plants well.

Secondly, though there is a speed limitation of 80 kms. on four lane, six lane National Highways, the vehicles are moving at the speed of 120 kms. If there is no underpass or flyover a number of casualties take place. I would request the hon. Minister to compulsorily construct underpass or flyovers particularly on the roads connecting villages, like the Bengaluru-Chittoor-Chennai NH-75. I think the roads are very good but there are no sufficient flyovers. This is the problem all over the country and the casualty takes place because of the high speed of vehicle I would urge upon the Minister to compulsorily plant fruit bearing trees by the sides of the road as also construct flyovers along the Highways connecting the villages.

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि पुराने समय में कांट्रैक्टर, जो रोड कंस्ट्रक्शन करता था, उसी के ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि वह प्लांटेशन का काम करे। लेकिन हमारी सरकार ने इस पालिसी को रद्द किया और यह तय किया कि अब कांट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करेगा। इसमें कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वन परसेंट प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन एंड ब्यूटीफिकेशन के लिए रखी हुई है। इसके लिए एनएचएम ने एक अलग डिवीजन खोला है और एक रिटायर कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को इसका काम दिया है। अभी तक उन्हें दो हजार किलोमीटर में प्लांटेशन का काम दिया गया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके मार्फत देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स, चेरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओज, कारपोरेट्स और बेरोजगार लड़कों को आह्वान करता हूँ कि वे नर्सरी तैयार करें और पांच फीट तक झाड़, पेड़ तैयार करें, तो हम उन्हें प्लांटेशन का मौका देंगे। इसके ऊपर दो वर्कशाप भी हुए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दो फीट से ऊपर के पेड़ के लिए इंडियन कम्पनी में, मैनुफैक्चरिंग में ट्रक मोल्डेड ट्रांसप्लांट करने की मशीनरी डेवलप की है। उसका हमने वर्कशाप भी किया है, जिसमें हमने बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाया था। अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिली है कि ट्री काटने के बजाय हम ट्रांसप्लांटेशन करें। दुर्भाग्यवश इसमें जितना काम होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। अभी हमने आगरा से कहा है कि वह पहली बार ट्रांसप्लांटेशन की कोशिश करे। इसके लिए एक स्किल्ड कांट्रैक्टर की क्लास तैयार करके हम उसे काम देने की कोशिश करेंगे। नया प्लांटेशन दो हजार किलोमीटर तक दिया गया है। स्टेट में बड़े पैमाने पर जो एनजीओज हैं, उन्हें ही यह काम मिलेगा। यह कांट्रैक्टर की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

दूसरा, यह बात भी सच है कि पुराने समय में बीओटी में जो प्रोजेक्ट दिये गये थे, उस समय प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए अंडर पास और फ्लाइओवर कौंसिल कर दिये गये। जैसे दिल्ली से गुडगांव वाला रोड या दिल्ली-जयपुर वाला रोड था, वहां अनेक जगह पर फ्लाइओवर और अंडर पास नहीं थे। आपका कहना सही है कि इसकी वजह से एक्सीडेंट होते थे। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि देश में पांच लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका कारण रोड इंजीनियरिंग भी है। मेरे पास जितने भी एमपीज आते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जिसे मैंने काम करने से मना किया हो, वह चाहे किसी भी पार्टी का हो। मुझसे जितने भी अंडर पास या फ्लाइओवर मांगे गये, वे सब हमने दिये हैं। जब बीओटी में नहीं होते, तो हमने बजट में प्रोविजन करके दिया है। अब दिल्ली-गुडगांव में छः सौ करोड़ रुपये के काम के लिए एनएचएआई से अलग से पैसे देकर हम हीरो हॉन्डा से चार फ्लाइओवर बना रहे हैं। ये गलतियां थीं, जिन्हें हमने स्वीकार किया है। ये गलतियां किसकी थीं, उस चर्चा में मुझे नहीं जाना है, लेकिन लोगों की जान बचाना और एक्सीडेंट को कम करना

हमारी हाइएस्ट प्रॉयोरिटी है। मैं रोड सेफ्टी के हिसाब से आप सबको आह्वान करता हूँ कि जहां भी आपको नेशनल हाईवे में ऐसा लगता है कि यहां अंडर पास नहीं है, फर्वाई ओवर नहीं हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आप मेरे पास आइये। हम उसके ऊपर तुरंत निर्णय करेंगे। अगर बीओटी होगा, तो सरकार के बजट से पैसा खर्चा करेंगे। हम नये काम करेंगे, लेकिन इस काम को प्रायोरिटी देंगे।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने देश में अपनी एक पहचान बनायी है। यह जो कहते हैं, वह कर देते हैं। पिछले दिनों यह मेरी कांस्टीट्यूंसी पंजाब गये थे। पंजाब, हरियाणा के किसानों को बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहां लैंड होल्डिंग कम हो रही है। पंजाब के किसान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात तक जमीन खरीदते हैं। वे हारवेस्टर कम्बाइन वहां लेकर जाते हैं, जिसके लिए उन्हें टोल प्लाजा पर टैक्स देना पड़ता था। इससे उनका बहुत नुकसान होता था। जब हमने इस बारे में कहा तो मंत्री जी ने मुझे दिल्ली बुलाकर मंत्रालय के सब आफिसर्स को डायरेक्शन दी कि इस बारे में एक सर्कुलर जाना चाहिए कि टोल प्लाजा पर इसे ट्रैक्टर, ट्रॉली की तरह एग्जम्प्ट कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह सर्कुलर अभी तक टोल प्लाजा तक नहीं पहुंचा है। आप उस सर्कुलर को जल्दी पहुंचा दें, ताकि आपकी जो पहचान बनी हुई है, वह बनी रहे और देश खुशी से आपसे मांग करता रहे। ...(व्यवधान) यह देश के किसानों, पंजाब के किसानों की बहुत बड़ी मुश्किल है।

श्री नितिन गडकरी अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि हारवेस्टर का सर्कुलर आठ दिन के अंदर पहुंच जायेगा। वैसे फाइल पर साइन हुए हैं, लेकिन यह फाइनेंशियल मैटर है और कोई भी एग्जम्पशन देने से पहले सरकार, यदि मैं भी आर्डर निकालता हूँ, तो उसके लिए फाइनेंशियल एप्रूवल लेना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा समय लगा है, लेकिन यह होगा और आठ दिन के अंदर वह आर्डर आपके पास पहुंच जायेगा।

श्री मोहम्मद सलीम: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपनी पहचान बनाई है और इसी सदन में उन्होंने जब डालखोला फ्लाई ओवर, एन.एच. 31 और 34 के बारे में कहा था, साल भर होने जा रहा है, हाथी निकल गया है, हम पूंछ निकाल देंगे, ऐसा कहा गया था। अभी तक हाथी तो निकल गया है लेकिन पूंछ नहीं निकली है। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। रोजाना लोग मर रहे हैं। लोक सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। कल भी एन.एच. 31 पर दो लोगों की मौत हुई है। हमारे क्षेत्र में जो जिला है, 100 कि.मी. का फोरलेनिंग का मामला है और काम नहीं हो रहा है। मरम्मत का काम भी ठीक से नहीं हो रहा है। ईंटों से गड्ढा भरा

जा रहा है। हाई वे पर बड़ी परेशानी हो रही है। आपसे कई बार कहा गया है। यहां पर जो मूल प्रश्न था, वह सुरक्षा और वृक्षारोपण से संबंधी था। कंसेशनल और कांट्रैक्टर की जो लायबिलिटी है, उसके बारे में आपने यहां कहा कि वे करते हैं और फिर सरकार कह रही है कि हमने इसकी जिम्मेदारी अलग कर दी है। सवाल यह है कि आप कांट्रैक्टर के ऊपर किस तरह से लायबिलिटी इम्पोज करेंगे? जो डिले हो रही है, उसे भी आप किस तरह से दूर करेंगे?

श्री नितिन गडकरी : अगर आप नाराज न हों तो मैं आपको सच्चाई बता हूँ। जितनी बातें आपने बताई हैं, उनके लिए न मैं जिम्मेदार हूँ और न हमारी सरकार जिम्मेदार है। यह पुराना काम है, इसका ऑर्डर पुरानी सरकार के समय में दिया गया था। अब दूसरी सच्चाई सुनिए। जिसको ऑर्डर दिया गया था, उसे पूरी लैंड का एक्वीजीशन नहीं हुआ था। उसके लिए एनक्रोचमेंट नहीं हटाया गया था। कांट्रैक्टर मशीन लेकर 6-6, 8-8- महीने रोड पर खड़े रहे, काम नहीं कर पाए जिसके कारण बैंक के एकाउंट एन.पी.ए. बन गये। बैंक ने कांट्रैक्टर पर कार्रवाई की। कांट्रैक्टर भाग गया। इतने सारे प्रोजेक्ट्स बंद पड़े थे, हमने अब सॉल्व किये हैं। इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो कांट्रैक्टर है, वह आज भी काम करने की स्थिति में नहीं है। इसके बैंक की मैंने चार बार मीटिंग बुलाई। उसके बैंक में जो मेन बैंकर था, वह मान गया लेकिन उसके साथ जो बाकी बैंकर्स हैं, वे नहीं मान रहे हैं। उस बैंक के चेयरमैन जो राणा कपूर हैं, उनको बुलाकर मैंने कहा कि आप उनके बैंकों में आ जाइए। आप जो कह रहे थे, इसमें समस्या है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसमें सच्चाई है। आखिर हमने विभाग से भी मेनटेनेंस के लिए पैसे दिए हैं। मुझे आज ही जानकारी मिली है कि इस काम के लिए ई.पी.सी. ने अभी टेंडर किया है। हम लोग हार गये। आखिर नहीं हो पाया। फिर हमने उसको रिजेक्ट किया, टर्मिनेट किया। अब हम ई.पी.सी. में काम करेंगे और एक हफ्ते के अंदर हम इसको शुरू करेंगे। अगर नहीं होगा तो आप फिर से सवाल पूछिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उत्तर होता है ऐसा। ठीक है।

Now, Q. No. 123

...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया: मैडम, हमारे यहां काम नहीं हुआ है। वह आपका क्षेत्र भी पड़ता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मालूम है, अपने क्षेत्र में है। अब हो गया न। उसकी भी वह चिंता कर रहे हैं। वह बता देंगे।

श्री कांति लाल भूरिया: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कई बार कहा कि वहां काम नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हो जाएगा। आप बैठिए। कांति लाल जी, आप बैठिए।

श्री नितिन गडकरी : आप प्रश्नकाल के बाद मेरे कार्यालय में आइए।

माननीय अध्यक्ष : कांति लाल जी, बैठिए।

Nothing will go on record.

...(Interruptions)...

11.54 hours

(At this stage Shri Kanti Lal Bhuria came and sat on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: Q. 123 – Shri Hari Manjhi – not present.

Now, the hon.Minister.

* Not recorded.

(Q. 123)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, the Government has conceived the National Mineral Exploration Policy. May I know how many blocks have been offered under the National Mineral Exploration Policy and how many private companies have been enlisted to this policy? What is the present status of the National Mineral Exploration Policy? Are you providing any kind of incentive to those intended explorers in order to expedite the excavation and exploration of more and more blocks in our country?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि आप ऑफिस में आ कर मिलें।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं उसे मानता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे भी वह मालूम है। हम दोनों का क्षेत्र एक है। दोनों का प्रश्न है, वहां काम हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्होंने बहुत पैसे नेशनल हाइवेज के लिए दिया है। इनकी छोटी-सी समस्या है, उस पर वह जवाब दें।...(व्यवधान) उसका जल्दी से जल्दी समाधान करिए।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कांति लाल भूरिया जी, आप अपनी जगह पर जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। वह करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या हर कोई अपने प्रश्न के संबंध में ऐसा करेंगे? मुझे उनकी समस्या मालूम है। क्योंकि हम दोनों के क्षेत्र का रोड करीब एक ही है। मैं सब कुछ जानती हूँ। मंत्री जी ने कहा है कि वह प्रश्न काल के बाद मिलें, वह उनको बता देंगे। हर सदस्य अपनी समस्या के लिए ऐसा करेंगे तो नहीं होगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वह उनके ऑफिस में जायेंगे और मिलेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं गारंटी लेती हूँ।

...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया: अध्यक्ष महोदया, मैं पहले भी ऑफिस में गया था।..(व्यवधान) लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती है।..(व्यवधान) ट्राइबल एरिया की उपेक्षा हो रही है।

HON. SPEAKER: Shri Kanti Lal Bhuria Ji, I am sorry. I know it. This is not the way. I know it.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : कौन कितना काम करते हैं, यह मुझे भी मालूम है। कृपया आप यहां से जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया: आप मंत्री जी को निर्देश दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इंदौर-अहमदाबाद रोड की ही बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप यहां आश्वासन दिये थे, अब उसे ठीक कर दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने अमदाबाद-इंदौर रोड पर काम किया है, मैं इसे ठीक तरह से जानती हूँ। आप बैठ जाइए।

11.56 hours

(At this stage Shri Kanti Lal Bhuria went back to his seat.)

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, पूर्व में जब भारत में खनन का काम होता था तो बिना पारदर्शिता के खनन, एक्सप्लोरेशन, प्रॉस्पेक्टिंग और माइनिंग का काम दिया जाता था, जिसमें भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते थे और कई प्रकार से फेवरेटिज्म या डिसक्रिमिनेशन की सूचनायें बाहर आती थीं। सीएजी रिपोर्ट के बाद कोयले के खदानों से संबंधित विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया और लगभग लाखों करोड़ रूपए के घपले के कारण 204 एलॉटमेंट ऑफ ब्लॉक्स को कैंसिल किया गया। उसको देखते हुए, 12 जनवरी, 2015 में, हमने एम.एम.डी.आर. ऐक्ट को भी अमेंड किया, एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के काम को अलग-अलग किया। जब आप एक्सप्लोरेशन और माइनिंग का काम एक ही व्यक्ति को दे देते हैं तो आपको पता नहीं लग पाता है कि उसके अंदर कितने खान हैं, कितना मिनरल्स वेल्थ है और बहुत सस्ते में माइन्स बिक जाती हैं। अब हम ने जो नयी रचना बनायी है, एक कॉन्ट्रैक्टुअल फॉर्म में पहले एक्सप्लोरेशन का काम

किया जायेगा, ऑक्शन होगा, टेंडर निकलेगा और बिडिंग के माध्यम से एक्सप्लोरर तय किये जायेंगे। एक्सप्लोरेशन के डेटा को हम ट्रांसपैरेंटली पब्लिक डोमेन में डालेंगे, पूरी दुनिया उसको देख सकेगी कि एक्सप्लोरेशन का डेटा क्या है? उसके बाद माइनिंग की जो लीज है, उसका ऑक्शन निलामी द्वारा पारदर्शिता से बिना डिसक्रिमिनेशन के लोगों को दिया जायेगा, उसमें से जो पैसा आयेगा, वह पूरा राज्य सरकार के पास, उनके विकास कामों में इस्तेमाल हो सकेगा। इस प्रक्रिया के लिए हमने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के तहत एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, एन.एम.ई.टी. बनाया है। करीब 60 माइन्स के एक्सप्लोरेशन का काम ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी.एस.आई., मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एम.ई.सी.एल. अलग-अलग सरकारी कम्पनियों को दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे भी एक्सप्लोरेशन के काम में आएं, उसके लिए इम्पैनलमेंट का एक प्रॉसेस होता है, देश और विदेश की कंपनियों को इम्पैनलमेंट के लिए बुलाया गया है। एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन द्वारा उनको इम्पैनल किया जायेगा। जो एक्सप्रेसन ऑफ इंटरैस्ट इश्यू हुआ, लोगों को रजिस्टर करने के लिए आज लास्ट डे है। अगर उसमें कंपनीज टेक्निकली क्वालिफाइड होंगी तो इम्पैनल होंगी। उसके बाद बिडिंग प्रॉसेस से यह काम प्राइवेट एक्सप्लोरर्स को दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री विद्युत वरन महतो, आप शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए।

श्री विद्युत वरन महतो: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज भी हम लोगों के क्षेत्र में आयरन और मैंगनीज के बड़े खदान हैं। वहां आज भी अवैध खनन जारी है। हम लोगों ने कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहा। जहां-जहां पर खनन क्षेत्र है, वह पूरा आदिवासी इलाका है। सौ सालों से आयरन ओर की दुलाई हो रही है।... (व्यवधान)

12.00 hours

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, यह दुर्भाग्य की बात है कि देश में सालों साल तक अवैध खनन भी चलता रहा और उसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम लांच किया है, जिससे स्पेस टेक्नोलोजी को यूज करके देश की जितनी भी मेजर मिनरल की माइन्स हैं, उन सभी को स्पेस टेक्नोलोजी से मैप आउट किया है और मोनिटरिंग हो रही है। जब माइन्स की बाउंडरी के बाहर कोई भी एक्टिविटी होती है, तो एक ट्रिगर जेनरेट होता है। ऐसे लगभग 190 ट्रिगर्स जेनरेट हुए थे, राज्य सरकारों द्वारा उन पर कार्रवाई की गई और इल्लिगल माइनिंग के 29 केसिस डिटेक्ट हुए, जिन पर राज्य सरकारें उचित कार्रवाई कर रही हैं। यह एक प्रकार से पहला मूव है, 296 ट्रिगर्स जेनरेट हुए, 190 ट्रिगर्स का वैरीफिकेशन हो गया है, बाकी 106 ट्रिगर्स

का वैरीफिकेशन राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ है कि आज सभी माइन्स को मालूम है कि उनके ऊपर स्पेस टेक्नोलोजी से एक दिव्य नज़र है और इसलिए मुझे लगता है कि अवैध खनन के काम में एमएसएस द्वारा एक बाधा बहुत बड़े रूप से बनेगी।

12.01 hours

FELICITATIONS BY THE SPEAKER
**Congratulations to ISRO scientists on successful launch of 104
satellites in orbits from Sriharikota, Andhra Pradesh**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 15 फरवरी, 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने श्रीहरिकोटा से 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो कोई भी अन्य देश अब तक हासिल नहीं कर पाया है। ऐसा करके हमारे देश ने एक बार फिर अंतरिक्ष प्रयासों के क्षेत्र में अपनी दक्षता एवं क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस विशिष्ट उपलब्धि ने देश को गौरवान्वित किया है।

यह सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देती है और उनके भावी प्रयासों में भी सफलता की कामना करती है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री अधीर रंजन चौधरी, एन.के. प्रेमचन्द्रन, डॉ. ए. सम्पत, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, डॉ. पी. वेणुगोपाल, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, प्रो. सौगत राय, सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड्गे, के.सी. वेणुगोपाल, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री गौरव गोगोई, कुमारी सुमिता देव, सर्वश्री पी. करुणाकरण और जय प्रकाश नारायण यादव से विभिन्न विायों के संबंध में कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, परन्तु इनके लिए आज की सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से भी उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.03 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table a copy of the Corrigenda (Hindi and English versions) to the Economic Survey* 2016-17.

[Placed in Library, See No. LT 6237/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Economic Growth (Development Planning Centre), Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Economic Growth (Development Planning Centre), Delhi, for the year 2015-2016.

* Economic Survey 2016-17 was laid on 31.01.2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6518/16/17]

(3) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Planning for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 6519/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI VIJAY GOEL): I beg to lay on the Table copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 6520/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Coal for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 6521/16/17]

(2) A copy of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Removal of Difficulties Order, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.27(E) in Gazette of India dated 4th January, 2017 under sub-section (2) of Section 24 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 6522/16/17]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6523/16/17]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं वर्ष 2017-2018 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 6524/16/17]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6525/16/17]

(3) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015- 2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6526/16/17]

12.04 hours**MESSAGE FROM PRESIDENT**

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House that I have received the following message dated the 8th February, 2017 from the hon. President:-

“I have received the expression of thanks by the Members of the Lok Sabha for the Address which I delivered to both Houses of Parliament assembled together on 31st January, 2017.”

12.04 ½ hours**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**
30th Report

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to present the Thirtieth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.05 hours**STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY**
34th Report

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): Madam, I beg to present the Thirty-fourth Report (Hindi and English versions) on Demands for Grants (2017-18) relating to the Ministry of Information and Broadcasting of the Standing Committee on Information Technology (2016-17).

12.06 hours**REPORT OF STANDING COMMITTEE ON DEFENCE****24th to 31st Reports**

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (सेवानिवृत्त) (गढ़वाल): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

- (1) सामान्य रक्षा बजट, रक्षा मंत्रालय के सिविल व्यय (मांग सं. 20) और रक्षा पेंशन (मांग सं. 21) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 24वाँ प्रतिवेदन।
- (2) थल सेना, नौ सेना और वायु सेना (मांग सं. 22) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 25वाँ प्रतिवेदन।
- (3) रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण) (मांग सं. 20) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 26वाँ प्रतिवेदन।
- (4) रक्षा सेवाएं, प्रापण नीति और रक्षा आयोजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 23) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 27वाँ प्रतिवेदन।
- (5) सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक बल, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएं कैंटीन स्टोर्स विभाग, रक्षा संपदा महानिदेशालय, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा पेंशन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (अनुदान सं. 19 और 22) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 28वाँ प्रतिवेदन।
- (6) थल सेना, नौ सेना और वायु सेना (मांग सं. 20) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 29वाँ प्रतिवेदन।

- (7) आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (अनुदान सं. 20) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 30 वाँ प्रतिवेदन।
- (8) रक्षा सेवाएं, रक्षा आयोजना और प्रापण नीति पर पूंजीगत परिव्यय (अनुदान सं. 21) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 31वां प्रतिवेदन।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजनाथ सिंह जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह उत्तर प्रदेश की घटना के संबंध में स्टेटमेंट है, इसलिए आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

12.07 hours**STATEMENT BY MINISTER****Incidents occurred in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh
on 7th and 8th March, 2017**

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 7 व 8 मार्च, 2017 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के संबंध में स्टेटमेंट देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 7 मार्च, 2017 को प्रातः 9 बजकर 41 मिनट पर मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर में रेलवे स्टेशन जबड़ी के नजदीक गाड़ी नम्बर 59320, भोपाल-उज्जैन पैसेंजर के जनरल कोच में एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 10 रेलयात्रियों को चोटें आईं और रेलवे की सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वर्तमान में सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है।

उक्त घटना के संबंध में थाना जी.आर.पी. उज्जैन में ट्रेन गार्ड की रिपोर्ट पर अपराध संख्या 47/17 धारा 3, 4 एक्सप्लोसिव सब्सटैंसेज़ ऐक्ट के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे तथा प्रकरण के इन्वेस्टीगेशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की। घटनास्थल के प्रारंभिक निरीक्षण से संकेत मिला कि अपराधियों द्वारा विस्फोट के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विस्फोटक पदार्थों से तैयार किए गए आई.ई.डी. का उपयोग किया गया था।

घटना के अन्वेषण के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया। तदोपरान्त प्राप्त आसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन चैकिंग के दौरान तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदेहियों से की गई पूछताछ में उपरोक्त घटना में उनकी सहभागिता स्पष्ट होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण का अग्रिम अन्वेषण केन्द्रीय एजेंसियों के समन्वय से किया जा रहा है तथा अभियुक्तों के अन्य सम्पर्क सूत्रों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संदेहियों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ, इटावा, कानपुर व औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की गई।

लखनऊ में काकोरी थानान्तर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्लाह उर्फ अली के किराये पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। ए.टी.एस. उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की

घेराबंदी की गई और संदेही सैफुल्लाह को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए। परन्तु उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने से इंकार किया गया व ए.टी.एस. टीम पर फायरिंग की गई। अंततः लगभग 12 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात ए.टी.एस. टीम द्वारा सैफुल्लाह के कमरे में प्रवेश किया गया तथा आमने-सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से आठ पिस्टल, 630 जिंदा तारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें डेढ़ लाख रुपए नकद, लगभग 45 ग्राम सोना, तीन मोबाइल फोन, चार सिमकार्ड, दो वॉकी-टॉकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है, बरामद की गई।

घटना के संबंध में थाना- ए.टी.एस., लखनऊ में अपराध संख्या 2/2017, धारा 307/121ए/122/123/124ए, आई.पी.सी. और 3/4/25/27 आर्म्स ऐक्ट 16/18/23 यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ए.टी.एस. कानपुर द्वारा जाजमउ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदेही को गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध अपराध संख्या 3 / 2017 धारा 121 / 121A, / 123 / 124A आई. पी. सी तथा यू.ए.पी.ए. की धारा 16 / 18 / 23 / 38 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त A.T.S. उत्तर प्रदेश द्वारा दो अन्य अभियुक्तों जिनमें से एक इटावा व एक औरैया से है, को भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियाँ इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं।

उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जाँच एन.आई.ए. से कराई जाएगी।

अध्यक्ष महोदया, यहाँ पर मैं इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस मारे गए सैफुल्लाह के पिता से मिली और उसने सैफुल्लाह की लाश उन्हें हैंड-ओवर करने की बात कही, तो सैफुल्लाह के पिता मोहम्मद सरताज ने यह स्टेटमेन्ट दिया कि “जो देश का न हुआ, वो मेरा कैसे हो सकता है। उसने कोई सही काम तो किया नहीं है। मुझे उसका मरा हुआ मुँह तक नहीं देखना है।” उन्होंने आगे कहा है कि “मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और परिवार को पाला है, लेकिन सैफुल्लाह ने मुझे शर्मिंदा कर दिया।” सैफुल्लाह के पिता मोहम्मद सरताज कहते हैं कि हर किसी के लिए देश पहले है। सैफुल्लाह देश का नहीं हो सका, इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सैफुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरा सदन सैफुल्लाह के पिता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करेगा। उन्हें ऐसे बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण अपनी औलाद को खोना पड़ा है। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि मोहम्मद

सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा। हम लोगों के लिए यह गौरव का विषय है।

अध्यक्ष महोदया, मैंने यहाँ इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है।

HON. SPEAKER: Now, the House will take up 'Zero Hour'.

12.12 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Recent spate of racial attacks on Indians in USA

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, मैंने एडजर्नमेन्ट मोशन के तहत जो नोटिस दिया था, उसे आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। The recent spate of racially motivated attacks specially the brutal murders of Indian citizens, namely, Srinivas Kuchibhotla, Deep Rai, Harnish Patel, Davinder Singh and others in the United States of America last week, is deeply disturbing. Indian citizens and people of Indian origin across the nations are being killed, threatened and told to leave the country, while the Government and the Prime Minister remained totally silent in either condemning these attacks or escalating the issue to the highest diplomatic levels.

The NDA Government has no strategy to address these hate crimes and has completely failed to secure the safety and wellbeing of its Indian citizens and Diaspora.

मैडम स्पीकर, ये घटनाएँ एक या दो दिनों की नहीं हैं। जब से ... * आए हैं, तब से ये शुरू हुआ है और मैं इसके बारे में किसी इंडीविज्युल का नाम लेकर उसे कंडम नहीं करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप किसी का नाम मत लो।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जो नए यू.एस. प्रेजिडेंट आए हैं, उनके आने के बाद इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। कि वहां पर बड़ी ट्रान्सपैरेंसी है, डेमोक्रेसी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ओबामा जैसे नेता वहां पर चुनकर दो बार उस देश के प्रेसीडेंट बनते हैं तो ऐसी छवि एक तरफ है, दूसरी तरफ यह छवि है कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। ऐसे ताकतवर देश में और जिस देश में डेमोक्रेसी के लिए 400 साल पहले वहां पर जो डेमोक्रेसी कायम हो गई है, ऐसी जगह पर अगर हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं और हमारे कम से कम 1,70,000 स्टूडेंट्स वहां पर स्टडी कर रहे हैं और लाखों लोग इम्लॉयीज हैं,

* Not recorded as ordered by the Chair.

उनके माँ-बाप को यह फिक्र है कि वहां पर हमारे बच्चों का क्या होगा, जो नौकरी के लिए गए हैं। एक तरफ यहां हम लोगों को खुशी है कि हमारे लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं। इसीलिए अमेरिका उनका इस्तेमाल भी कर रहा है।

अमेरिका की जो जी.डी.पी. ग्रोथ है या जो उनको आज फिनान्शियली ताकत मिल रही है, वह हमारी वजह से और हमारे नौजवानों की वजह से और यहां हम जो करोड़ों रुपये खर्च करके उन्हें डॉक्टर्स तैयार करते हैं, इन्जीनियर्स तैयार करते हैं, आई.टी. के स्टूडेंट्स तैयार करके और हमारे यहां पर यह हो गया है कि हमारे यहां पर एक प्रोफेशनल क्रिएट करने की फैक्ट्री बनी हुई है, लेकिन वहां पर जाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा करने के बावजूद भी अगर ऐसी हालत वहां पर है और उनको मारा जा रहा है, दिन-दहाड़े उनको गोलियां मारी जा रही हैं और हर एक को देख-देख कर चुन-चुन कर कहा जा रहा है कि यहां से निकल जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, आप हमारे इंप्लॉयमेंट ले रहे हैं। ऐसी चीजें जो वहां पर हो रही हैं, इसके लिए मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? मैं यह पूछना चाहता हूं। हर चीज को ट्वीट करते हैं।

हर चीज पर बात करते हैं, इसपर क्यों चुप्पी साधे हैं, इसपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या बात है? जब वे आते हैं तो आप गले लगा लेते हैं, जब कभी चाइना का आता है तो झूले में बैठते हैं, ये जो चीजें आप करते हैं। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है? आप क्यों खामोश बैठेया? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर खामोश बैठे हैं और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तब वे स्टेटमेंट देते हैं। वह हमेशा स्टेटमेंट देने के काबिल हैं, लेकिन यहां पर ऐसा लोकतंत्र का घेराव हो गया है, लोकतंत्र में सिर्फ एक आदमी बोलता है, दूसरे किसी को बोलने नहीं देते हैं। इसीलिए मुश्किल यह हो गया कि कोई चीज वहां पर होती है तो उसके ऊपर तत्पर से बोल नहीं सकते। मैं यह चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर जवाब दें क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर की आज सेहत ठीक नहीं है, हम यह चाहते थे कि वे आकर बात करें, लेकिन मैं यह नहीं चाहता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद आएँ और यह कहें, क्योंकि वह खुद ही इतने देश घूमें हैं, सबको मालूम है। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर आकर एक स्टेटमेंट दें और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, इनको बन्द करने का क्या तरीका है और किस ढंग से इसको बंद करना चाहते हैं, यह सदन के सामने रखें।

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री पी.के.बिजू, डॉ. ए.सम्पत, श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री राजीव सातव, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, को श्री मल्लिकार्जुन खड्गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, thank you very much for allowing me. I had given an Adjournment Motion on the killing of Indians in the United States by those indulging in hate crime.

As you know, Madam, an Indian techie Srinivas Kuchibhotla was shot dead and his friend Alok Madasani is seriously injured in Kansas on 22nd February by an American, shouting anti-immigrant slogans.

Another Indian, Harnish Patel, the owner of a convenience store, was killed in South Carolina. Again, on 4th March, one Deep Rai was injured in Kent, Washington.

This is a result of a persistent hate campaign against Indians which is taking place in the United States, especially, after the new Government came to power.

As Mr. Kharge has mentioned, Indian technical professionals are giving a big service to the US economy, rather, they are providing them brain power. But, hate campaign against Indians is being carried out. We are very concerned; our Chief Minister Mamata Banerjee in a Twitter message has expressed concern and has asked the Government of India to take steps. She has also written a letter on this issue. But as Mr. Kharge pointed out correctly, the Central Government, especially our very voluble, vocal and articulate Prime Minister is keeping a strange silence on the issue. I can understand that the External Affairs Minister is not well but the Prime Minister is his own Foreign Minister; he goes everywhere.

Now, the Foreign Secretary goes to America and talks about H-1B visas, restrictions on them. Immediately after he comes back, US imposes a fresh restriction on H-1B visas in America for getting priority. Now, what is happening, Madam? Are not the interests of the Indians working in the United States to be protected by the Government of India? Are we not going to take a proper step so that this hate campaign stops? With all the vehemence at our command, we condemn the hate campaign carried out by certain misguided sections of the American society. We do hope that there will be protest in America as there are protests in India and we do hope that our Government will show the gumption and

the guts to stand up to the bullies in the US so that no more attacks take place on Indians and Indians working there on H-1B visa are not deprived of their right of working in the United States. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu is permitted to associate with the issue raised by Prof. Saugata Roy.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, thank you for allowing me to express our Party's view on this. The death of Indian technical engineer, computer engineer, Srinivas had sent shock waves throughout the country. Some years back, another lady technical engineer also was murdered in Melbourne and she was also from South India. That also had sent shock waves throughout the country. Ultimately, at least from Australia, we could know why she was pursued and she was murdered. Some months before that incident, a student from a remote district of our country called Koraput was also murdered in a university campus in the United States and till date we are unaware why he was pursued and killed.

So, such incidents are happening and these are necessarily racial hatred crimes. Invariably the United States Government and their respective provincial Governments always try to say, these are all something relating to love affairs, relating to some other unethical incidents; that is why these incidents have happened. But, the incident of Mr. Srinivas was in the full public view. That is why we could know why it has happened. Very recently, I think day before yesterday, very interesting news has come up that NRI grooms are not being sought after now. As the marriage season is on, especially that is also going to affect our families.

The prejudice is there relating to the skin. That was a problem in the last 16th, 17th, 18th, 19th centuries and even in the 20th century. We are in the 21st century. Still, how can a person, a human being have hatred for a person because of his colour of the skin? That is happening. Therefore, my limited question to the Government is this. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not allowed; no prompting.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mahtab *ji*, please continue.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, very recently, a week back, the United States came out with an advisory saying that you should not visit such and such countries including India and be very careful because there are extremists moving around in South Asian countries. Is the Government going to declare certain advisories also for the NRIs, for the Indians who are going to that country stating that these are the States which should be avoided? It is because what we read in the media is that there are certain areas where the NRIs themselves say this area is safe, this area is unsafe. Is the Government, as an establishment, going to declare such areas and send advisories for the benefit of our non-resident Indians who are actually going there to get better remuneration and also look after?

Relating to the colour which I had mentioned, Madam, many of us have been to that country. The moment we get there, the persons whom we know tell us, do not feel that you are not in America because this country has been a country of all from all quarters because nobody knows who is an American and who is not an American. But here is a crime which is being perpetrated and that is the reason what Saugata Roy Ji had mentioned that it is a crime being perpetrated because a certain section of that society feels that they are being bereft of their income and their *rozgar* इसलिए हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से दृढ़ स्वर से यह कहना पड़ेगा। इस मामले में एक चिट्ठी तो स्टेट के गवर्नर की तरफ से प्रधान मंत्री जी के पास आयी हुई है, जैसा बताया गया है। But what the question that lady had asked, the bereaved family had asked the other day, is yet to be answered. The widow of Srinivas had asked why this has happened. What is our fault? Have we not served this country? Are we not allowed in this country? Those questions are yet to be answered by the establishment of that country. I think the Indian Government can force that Government to answer the question which that Indian widow had asked.

HON. SPEAKER: Dr. Manoj Rajoria, Shri Devji M. Patel, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Ramcharan Bohara are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी जी, आप संक्षेप में अपनी बात रखिए। पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, बेसिकली यह जो इंसिडेंट हुआ है, यह तेलंगाना के बच्चे के ऊपर हुआ है। आप इसके ऊपर बोलने के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा।

In the past fortnight, many hate crime attack on Indians have taken place in USA. Each attack involved a slogan. Go back to your own country. These incidents have caused a sense of threat and unease amongst the Indian community living there and it is high time that the Indian Government should take stern steps and find a tangible solution in agreement with the American Government. I would like to bring it to your notice the recent hate crime that took place in Kansas which had taken the life of a Telangana NRI Srinivas Kuchibhotla and injured Alok Reddy. This incident shows a clear rise in racism in United States and the Government of USA has only condemned the attack and not done anything to safeguard the interests of our people as further attacks are taking place.

Another incident on hate crime on a 39 year old Sikh Deep Rai took place who was working on his car in front of his house in Kent city of Washington State when the gunman with his face partially covered opened fire.

In my opinion, this is a kind of prejudice, a kind of xenophobia that we have not seen in the recent past. These attacks have caused an incredible loss and affected the lives of the victims and their families in an unimaginable manner. I request the Government of India to provide all possible assistance to our fellow Indians living in foreign countries.

मैडम, जिस तरीके से खड़गे जी ने बताया था कि आज जो वहां नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनका स्लोगन था कि 'America is only for Americans.' इस स्लोगन के कारण वहां पर बहुत ही हलचल हो गयी।

मैडम, आपको पता है कि तेलुगु भाषी भारतीय वहां पर लाखों की संख्या में बसे हैं। When they go and take up jobs there, they are worried and their families are worried totally. When the dead body of Srinivas came to Hyderabad, the entire Telangana mourned his death. Our IT Minister personally went there. Our Chief Minister, KCR Ji, had gone and expressed his condolences to them. But, I would really like to say कि जो भी वार्तालाप अमेरिका के साथ हो रहा है, वह क्या हो रहा है और ये अटैक्स क्यों कंटीन्यू हो रहे हैं? पार्लियामेंट में, the External Affairs Minister should come and give a statement. Also, she should see that the children, who are there, are protected. The parents, who are here in the State in India, are very much worried on this. So, I request that a proper statement has to be given by the External Affairs Minister.

माननीय अध्यक्ष : ये किसी एक स्टेट के बच्चे नहीं हैं, पूरे भारत के बच्चे हैं।

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, माननीय खड़गे जी ने जो इश्यू उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर है और सारे देश को इस पर चिंता करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अमेरिका के ये जो नए प्रेसिडेंट हैं, इनके समय में ही नहीं, बल्कि उससे पहले भी वहां बहुत इंसीडेंट्स हुए हैं। आपने ठीक कहा कि देश के सब प्रदेशों के लोग इसका शिकार हुए हैं। पर, दुर्भाग्य से पंजाब के लोग और खास तौर से, सिख कम्युनिटी के लोगों पर ये रेसिएल अटैक्स पिछले समय में बहुत ज्यादा हुए हैं। मैं खड़गे जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यह अभी शुरू हुआ है। यह बहुत पहले से शुरू है।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं इनसे जरूर निवेदन करूंगा कि इसे स्पष्ट करें कि देश के हुक्मरान क्या चाहते हैं। जब डॉ. मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, फ्रांस में हमारी पगड़ी का मामला आया। इसके लिए हम उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, पगड़ी को लेकर बार-बार अटैक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पगड़ी के कारण हम फ्रांस के साथ दुश्मनी नहीं ले सकते। अगर ऐसी सोच होगी, तो मामले कैसे हल होंगे?

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): What is this?... (*Interruptions*)

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा: मैं समझता हूँ कि इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और डिप्लोमैटिक लेवल पर लेना चाहिए।...(व्यवधान) इसके लिए कोई विधि बनानी चाहिए, जिससे अगली बार इस किस्म की कोई अटैक न हो।...(व्यवधान) आज गलत पहचान के कारण बहुत अटैक हो रहे हैं।

भारत सरकार ने उसके लिए क्या उपाय किए हैं, क्या विधि बनाई है? पहचान का मामला कैसे लोगों में लाया जाए, ताकि आगे से ऐसे इंसीडेंट्स न हों?

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam, this is an issue where the entire House can be bipartisan.

HON. SPEAKER: Yes, I know.

SHRI MOHAMMAD SALIM : It is the question of attacks on the Indians. A series of attacks are going on and killings have taken place. First, we mourn the death, condole this and condemn also.

मैडम, सवाल यह है कि जब हमारे भारतीय ऑरिजिन के लोग विदेशों में जाकर वहां सम्मानित होते हैं, अच्छे काम करते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं। जब उनके ऊपर आक्रमण होता है या इस तरह के हादसे होते हैं तो हम सबको परेशानी होती है। जो वहां हैं और जो वहां जाने वाले हैं, उनके दिमाग पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है।

मैं समझता हूँ कि चुनावों के वक्त हेट कैम्पेन का जो एक शोसा खड़ा किया जाता है, उससे यह हेट क्राइम बढ़ती है। मैं अमेरिका के अंदर की राजनीति के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन पिछले चुनाव के वक्त वहां पर जिस तरह के इश्यूज आए और जिस तरह से उन्हें एड्रेस किया गया, उसका प्रभाव रह जाता है। बेशक, राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जब वहां की संसद में उन्होंने भाषण दिया और कहा कि पीछे का सब छोड़ दो और हम अब नए से शुरूआत करते हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन, हम राजनीतिज्ञों को यह समझना चाहिए कि हम इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आखिर पिपुल या पॉपुलेशन के अंदर जब घृणा का वातावरण हम पैदा करते हैं, तो उसका असर यह होता है कि हम जो शोसा खड़ा करते हैं, वह शोला बन जाता है और उस शोले को आज हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के सर्वोच्च प्रयास से इस मामले को लेकर उस देश के साथ वार्ता करनी चाहिए।

जब हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव वहां पर गए, बातचीत किया और उनके बहुत से इश्यूज पेंडिंग थे। हमारी जो इंटेलिजेंस और कुटनीति है, क्या हम इसमें फेल हो रहे हैं, वहां क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है? वहां से लौटने के बाद वे ट्रेवल एडवाइजरी इश्यू किए और हमें दूसरे तमाम देशों के साथ, चूंकि यह प्रोफाइलिंग का मामला है, यह सिर्फ इंडियन या अमेरिकन के प्रोफाइलिंग का मामला नहीं है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी जैसा धरोहर है जिससे हम गौरवान्वित हैं। यदि

हमारे देश को उस क्यू में खड़ा कर दे, यह हमारे लिए बहुत शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी और आप भी खुद इस सदन को विश्वास में लेकर अमेरिकन कांग्रेस को इसके बारे में बताएं। दूसरी तरफ हमारे प्रधान मंत्री वहां के राष्ट्रपति को यह वार्ता दे, मैं यह नहीं कहता हूँ कि वहां पर हमें फ्रीज किया जाता है तो हमें भी फ्रीज करना चाहिए, वे ट्रेवल एडवाइजरी दिए हैं तो हमें भी यह देना चाहिए। हमारी अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, लेकिन अमेरिका के साथ हमारी जो ग्रोइंग इंगेजमेंट है और उनके साथ डिफेंस डील कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी सब डील कर रहे हैं, क्या हम यह वार्ता नहीं दे सकते हैं कि यदि आप ट्रेवल एडवाइजरी कर रहे हैं तो उनके डिफेंस के समान बेचने के लिए क्या कंपनी रेप्रेजेंटेटिव हो या ऑफिसियल्स हो, उनके ऊपर हम टेम्पेरी भी कुछ विधि निोध लगा दे, तब वह टेबल पर वार्ता के लिए आए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि एक के साथ दूसरा यानि आँख से आँख मिलाकर बात कर सकते हैं, हम सर ऊँचा करके बात कर सकते हैं, हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this issue. As other hon. Members have raised their concerns, we are also concerned about it because many people from Tamil Nadu are also there in U.S.A., the United States of America. Our people, who have been staying there have done a good work and developed that country also.

The hon. Member, Shri Kharge has rightly said that we are investing a lot of money to train our people, who after getting talent go and serve that country. But there is uncertainty prevailing now and because of the racial incident that has recently happened, it is high time that India should intervene to protect the Indians there. They may not know as to what is happening there but as we have got some intelligent reports on this issue, we should see that such incidents do not take place.

Similar incidents are happening in Australia also. There are reports of such incidents occurring in other countries as well. So, the Government should come forward to protect our people, our intellectual people who are serving there for the development of that country. Therefore, Madam, it is high time that the

Government should interfere and persuade the President of the United States of America to provide security to our people working there. Thank you, Madam.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन के माननीय सदस्य श्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी, श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी जी, मोहम्मद सलीम जी एवं डॉ. एम. तंबिदुरै जी के द्वारा यू.एस.ए. में इंडियन सिटीजन के साथ जो कुछ भी हुआ है या जो कीलिंग्स हुई हैं, जैसे गंभीर मुद्दे को इन्होंने उठाया है। मैं सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने भी इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है और जो कुछ भी हुआ है, वह बहुत ही दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा सारे कदम उठाए जाएंगे। यू.एस.ए. में जो हमारे इंडियन सिटीज़न्स हैं, वे पूरी तरह से अपने को सिक्योर्ड फील करें। इसके लिए सरकारी सारी कदम उठाएगी। चूंकि हमारी विदेश मंत्री इस समय अस्वस्थ है, हम लोगों ने यह फैसला किया है कि अगले सप्ताह इस संबंध में एक डिटैल स्टेटमेंट सरकार के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, I have given a notice of Adjournment Motion on the issue of killing of fisherman by Sri Lankan Navy off the coast of Tamil Nadu, which you have disallowed now.

Madam, I wish to bring to your kind notice and to the notice of this august House, an extremely serious and disturbing incident that occurred on the 6th of March, wherein a young innocent Tamil fisherman, Mr. Bristo, belonging to Rameswaram had been shot dead by Sri Lankan Navy and four others had also sustained grievous injuries.

Madam, in this unfortunate incident, the Sri Lankan Navy opened fire at a group of fishermen which was fishing in the traditional waters between Danushkodi and Katchatheevu. After his incident, the fishing community of Tamil Nadu is in a state of rude shock. We expect the Government of India to act swiftly and strongly.

Madam, I would also like to point out that attacks on Tamil fishermen by the Sri Lankan Navy are going on unabated and shockingly, shooting incidents have increased in the recent past. It is pertinent to mention that during the peace talks held between the officials and fishermen from both countries, in Chennai and also in New Delhi, a broad consensus was reached that the fishermen will not be fired at, but that consensus is not being adhered to and there have been many violations of late.

Moreover, during the past one week alone, a total of about 50 fishermen have been arrested and their fishing gears and all other equipments have been taken away by the Sri Lankan Navy, entirely jeopardizing their livelihood.

We have been raising this matter inside and outside Parliament, time and again, but to no avail. In this connection, our late revered Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Amma, had written many letters to the hon. Prime Minister, drawing his attention to this vexed issue and also to retrieve Katchatheevu which will give a permanent solution to this problem, but it is still elusive.

Now, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *thiru* Edapaddi K. Palaniswami also has written a letter to the hon. Prime Minister as late as on 3rd March, 2017 in this regard. Again, on 7th March, 2017, he has written another letter to the hon. Prime Minister about this specific incident.

Hence, Madam, I strongly urge upon the Government, through you, to kindly take immediate and effective action to ensure that the lives and properties of fishermen are protected and that such incidents are not allowed to recur.

Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge, Shri K.C. Venugopal, Shri P.K. Biju, Shri Jose K. Mani, Dr. Shashi Tharoor, Dr. A. Sampath, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, Shri N.K. Premachandran, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Rabindra Kumar Jena and Adv. Joice George are permitted to associate with the issue raised by Dr. P. Venugopal.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Madam Speaker, a cold-blooded, inhuman, horrific, illegal and barbaric killing of a young Indian fisherman happened on the 6th of March, 2017. This is an inhuman and cruel act of Sri Lankan Navy. I strongly condemn the frequent atrocities done by the Sri Lankan Navy against the Indian fishermen in the southern coasts of Tamil Nadu.

The Sri Lankan Navy has been frequently attacking the Indian fishermen who engage in fishing in their traditional waters of Bay of Bengal. In the last one week alone, 50 fishermen were arrested and their fishing nets and boats were seized.

In 2014 and 2016, our beloved leaders *Puratchi Thalaivi Amma* had submitted memorandums to the hon. Prime Minister to ensure the safety of fishermen from Tamil Nadu and to retrieve Katchatheevu from Sri Lanka, but till date, the Indian Government has not taken any proper action regarding this.

I urge upon the Prime Minister to personally intervene in this issue and use all possible means and power to curb the unacceptable aggressive actions of Sri

Lankan Navy in the Palk Bay and to make serious efforts to retrieve Katchatheevu Island from Sri Lanka to provide a permanent solution to this issue.

Thank you.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam, in addition to associating with this particular concern raised by the two previous speakers, I want to point out that in the last ten days, Indian fishermen have been arrested by Pakistan. Currently, a number of fishermen from my constituency have been detained by the British in Diego Garcia.

I want to underscore the plight of the fishing communities all over India because the majority of them are surviving hand to mouth even in the fishing season as the fish stocks in nearby waters are getting depleted and they are forced to sail deeper and deeper, resulting in their arrest and imprisonment overseas, not just by Sri Lanka but also by Pakistan and now by the British in Diego Garcia.

As I have suggested previously in this House, Madam, modernization of fishing infrastructure and a credible assistance package from the Government are urgent requirements. Equally, young fisherfolks need access to special skill development opportunities to allow them to take up alternative schemes of employment apart from fishing, although ones need to supplement their income during the trawling ban.

Madam Speaker, irrespective of whether our country grows at ten per cent or not, we must translate this into a concern for the greater good of the bottom ten per cent of our population which include our fishermen. Our fishermen need the Government's urgent attention and urgent help.

Thank you.

HON. SPEAKER: Adv. Joice George, Shri P.K. Biju, Dr. A. Sampath and Shri Sankar Prasad Datta are permitted to associate with the issue raised by Dr. Shashi Tharoor.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांदा और चित्रकुट जनपद में कैंसर के हजारों मरीज हैं। मेरे क्षेत्र के अस्पतालों में कैंसर इलाज की सुविधा न होने के

कारण मरीजों का बहुत दूर इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ जाना पड़ता है जिसकी दूरी 200 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा संसदीय क्षेत्र गरीब लोगों का है। ऐसे लोगों के इलाज में घरों के बर्तन तक बिक जा रहे हैं। चित्रकुट धाम मंडल का कमीशनरी मुख्यालय बांदा है जो कि सेंटर प्लेस है जिसमें चार जिले बांदा, चित्रकुट, महोबा और हमीरपुर आते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ सतना, पन्ना, छत्तरपुर जिले भी है जहां कैंसर के इलाज की सुविधा नहीं है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बांदा स्थित मेडिकल कॉलेज में या चित्रकुट धाम कर्बी में स्थित जिला अस्पताल में एक कैंसर की यूनिट हो जिसमें थेरेपी की सुविधा सहित यथाशीघ्र स्थापित करने की कृपा करें। बुंदेलखंडवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग कि एम्स की स्थापना शीघ्र की जाए और बांदा क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Is Shri Harinarayan Rajbhar there? He is not there.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya.

... (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I have also given a notice.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will allow you also. Your name is there in the list.

... (Interruptions)

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया (राजकोट) : माननीय अध्यक्ष महोदया, राजकोट मोर्बी बाईपास में नौलख रेलवे एलसीसी सिंगल फाटक आया हुआ है। उसको चौड़ा करने के लिए बहुत जरूरत है। सिंगल फाटक होने के कारण वहां रोजाना कलांको तक फाटक जाम हो जाता है। जनता और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है। इस मामले में संबंधित रेलवे अधिकारियों को ध्यान में लाया गया है। मैं इस मामले को व्यक्तिगत रूप से तथा इसे प्राथमिकता के आधार पर इसको निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देने के लिए आपका आभारी हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, को श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरिनारायण राजभर (घोसी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जी, आपने लोक सभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा लोक सभा क्षेत्र घोसी पूर्वांचल का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ लोक सभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत घाघरा नदी गुजरती है। यह नदी मेरे लोक सभा क्षेत्र के दो विकास खंड दोहरी घाट और मधुबन से होकर गुजरती है। बाढ़ और बारिश के समय में जब घाघरा नदी अपने ऊफान पर होती है तो यह आसपास के तटवर्ती इलाकों में कहर बरपा देती है। बाढ़ और बारिश के समय में आस-पास के लोगों के माथे पर बारिश के मौसम में भी पसीना आ जाता है। हर साल घाघरा नदी में बाढ़ आती है और हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है और लाखों रुपये के फसल तबाह हो जाते हैं। बाढ़ के समय में तटवर्ती इलाके जैसे धनौली रामपुर, नईबाजार, चिउटीडांड, बहादुरपुर, सरयां, जमीरा, चैराडीह, बीवीपुर, कोरौली, बेलौली, पाउस, चनाबारी, महुआवारी, रसूलपुर, सुरजपुर, जैसे दर्जनों गांव जलमग्न हो जाते हैं और प्रशासन सिर्फ बचाव कार्य के नाम पर दिखावा करता है और करोड़ों रुपये का बंदरबांट किया जाता है। घाघरा के प्रचंड स्वरूप और कटान के कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र के ऐतिहासिक धरोहरों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। घाघरा के कटान के कारण दोहरीघाट कस्बे के ऐतिहासिक धरोहर जैसे मुक्तिधाम, दुर्गा मंदिर, शाही मस्जिद, हनुमान मंदिर, डीह बाबा मंदिर और लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला सहित बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल के अस्तित्व पर खतरा मंडराता रहता है।

अतः मेरी आपके माध्यम से मांग है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र घोसी को घाघरा के कटान से जल्द से जल्द निजात दिलाया जाए और ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री हरिनारायण राजभर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): महोदया, राजस्थान में तीन टाइगर रिजर्व सरिस्का, रणथम्बौर और मुंकदरा टाइगर क्षेत्र में कुल 108 गांवों को विस्थापित किया जाना है अब तक केवल 8 गांव स्थापित हुए हैं। 3 टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में सौ गांव के लगभग चौदह हजार परिवारों को विस्थापित किया जाना शो है। जिसके लिए लगभग 1424 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र रणथम्बौर में 26 गांवों का विस्थापन किया जाना है, जिसमें से अभी तक केवल पांच गांव ही विस्थापित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, कल वूमैन डे था और हमारी मुख्य मंत्री सुश्री वसुंधरा जी का जन्मदिन भी था। मुझे कल आपके माध्यम से रणथम्बौर की सौगात मिली है, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जो नया भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ है, उसके तहत इन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए।

पहले किसानों को दस लाख रुपये का मुआवजा मिलता था, वह वर्ष 2008 के कानून के तहत मिलता था। इस दस लाख रुपये में न तो परिवार विस्थापित हो पाता है और न ही वह अपना मकान बना सकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो नया भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ है, उसमें करीब पचास लाख रुपये एक परिवार को दिये जायें। इसके साथ-साथ वहां सब सुख-सुविधाएं दी जायें, जैसे नयी सड़क बने, बिजली-पानी हो, ताकि वह परिवार विस्थापित होकर अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री सी.पी. जोशी को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के विभिन्न राज्यों में अनेक माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों की स्थापना हुई है। इन कम्पनियों द्वारा विशेषकर ग्रामीण इलाके की महिलाओं को ऋण देने का काम किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक में ऐसे कई किस्से सामने आये हैं। वहां अनपढ़ महिलाओं से, जो खेती का काम करती हैं, उनसे गलत जानकारी लेकर ऋण दिया जा रहा है और जब ऋण की वसूली में कठिनाइयां होती हैं, तो उनके घरों में गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर उनके आदमियों और बच्चों को मारने तथा घर में रखे सामान को उठाकर ले जाने की अनेक वारदातें हो रही हैं। मेरे मतदान क्षेत्र में सात महिलाओं अभी तक इस मैटर में आत्महत्या कर चुकी हैं, जिसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। मैंने पिछले बजट सेशन में बजट पर बोलते हुए यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल मुम्बई में माइक्रो फाइनेंस कम्पनीज से पीड़ित महिलाओं का काफी बड़ा मोर्चा रखा गया है।

अध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे 26 परसेंट रेट ऑफ इंटरैस्ट लिया जा रहा है, जो शायद कानून के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस कम्पनीज ने जिन महिलाओं को फेक में ऋण दिया है, उसकी जांच की जाये और उनके बकाया ऋण को माफ किया जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Arjun Lal Meena – Not present.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA) : Madam, I want to raise the issue of a dramatic new threat of terrorism that our country is facing for the first time. We all are aware that for more than twenty five years, we have faced cross-

border terrorism with State support from one of our neighbours which has caused us great damage. We have also had domestic terrorism. But in the case of trans-national terrorist organizations, we have been very resilient in the past. Organizations like Al-Qaeda could not get very many Indians to go and support its cause unlike getting many, many more people from countries across the world including developed western countries.

But, Madam, these two incidents of train blast in Ujjain and the encounter in Lucknow is now for the first time an incident of ISIS sponsored terrorism. This is a dramatic new development because despite ISIS being probably the world's largest trans-national terrorist organization for last several years, India has not faced any attack until now. The reason, that this is a dramatic new shift that our Government must pay special attention to, Madam, is that, as per reports by November last year, just three or four months ago, the National Investigation Agency and State agencies have made sixty eight arrests. It seems that 70 per cent of the Indians arrested with connection to ISIS are from middle and upper classes and the people who are educated. This is the dramatic new threat because young Indians are getting radicalized on the internet with this draconian threat. We must treat this differently.

Although our jawans, our Government and our people have faced threats for more than a quarter century and we are inure to it in some way, this dramatic turn in terrorism that we are facing is a new chapter altogether. Unless we take it seriously, discuss it in this House and the Government specifically focuses on the ISIS threat, Madam, our country will be at great risk.

HON. SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi, Shri Nishikant Dubey, Dr. Kirit P. Solanki, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Sharad Tripathi, and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Baijayant Jay Panda.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam, I would request the Government to redress the concerns of the people of Kerala regarding the impact of the recommendations of the Western Ghats Ecology Expert Panel.

It should be noted that the tenure of the Draft Notification on Ecologically Sensitive Area in Western Ghats region ended on 4th of March, 2017, based on Dr. Kasturirangan's Report. It is learnt that some States are yet to submit their report which is causing the delay in issuing the final Notification. This creates a lot of trouble to the people living in places demarcated under the Ecologically Sensitive Area. The Government of Kerala has demarcated the entire protected forest land in the State. Kerala is protecting its forest land which comes to around 29 per cent, but the same at the national level is 22 per cent. The State Government has also given separate Survey Numbers for agricultural land, plantation land and inhabited land of 123 villages and the same has been informed to the Central Government.

In the above circumstances, it may kindly be noted that the final Notification for the State of Kerala alone may be issued in the meantime. The hon. National Green Tribunal has made it clear that the Ministry of Environment and Forests can issue the final Notification State-wise as well.

Madam, the State of Kerala has carried out the physical verification process and has submitted its report way back in 2014. The Ministry of Environment and Forests was pleased to accept the same and it was kind enough to exclude an area of 3,115 square kilometres while issuing the Draft Notification on 10th March, 2014. Now, it is learnt that the MoEF has a suggestion treating the entire village as a unit. However, this may not be practical in the case of the State of Kerala in view of the high density of population.

Under such circumstances, we would request your goodself to issue necessary directions to the authorities concerned to accept the present report submitted by the State of Kerala and to issue the final Notification on ESI accordingly. Thank you. ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका भी नाम है।

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Madam, I would just like to raise one point.

As per the Draft Notification of March 10, 2014, 123 villages falling under the Ecologically Sensitive Area (ESA) have been exempted and it has been accepted by the Central Government also. It was renewed again on September 4, 2015 and it expired on March 4, 2017.

Our request to the Government of India is that the final Notification should be issued as early as possible. It should not wait for the Tamil Nadu Government or any other Government because they have not given their reports, and our Government and our farmers should not suffer because of this. Hence, the final Notification should be issued. ... (*Interruptions*)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रमुखता से छपी, वहाँ की एक छात्रा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा दी थी, आर.टी.आई. के माध्यम से उसने अपने पास होने का प्रमाण दिया, उसने कहा कि मैं पास हुई थी लेकिन हमें किसी कारणवश फेल कर दिया गया और जो उसको फेल किया गया, ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह स्टेट मैटर्स हैं।

... (व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष जी, यह गंभीर विषय है। एक छात्रा की पीड़ा है। कल महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। आप स्वयं एक मातृ शक्ति की प्रतीक हैं। सिर्फ एक विषय में ध्यान में लाना चाहता हूँ। दैनिक अखबार में पूरी प्रमुखता से यह विषय आया है। बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा होगा। देश भर के लोगों ने इसे पढ़ा होगा। मेरा कहना है कि ऐसी छात्रा और बहुत सारे छात्र, जो किसान परिवार से आते हैं, इलाहाबाद जैसे शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं और जिनके पिता कभी-कभी तो जेवर गिरवी रखकर, कभी खेत बेचकर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ऐसी प्रतिभा को कुंठित किया गया। आर.टी.आई. के माध्यम से जब उस छात्रा ने पता कराया तो वह पास थी।

13.00 hours

पुनः उसे परीक्षा में इंटव्यू के लिए बुलाया गया और इंटरव्यू में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। यह विषय रायबरेली का है। अभी वहां के माननीय सदस्य यहां बैठे थे। सुभाषनी वाजपेयी रायबरेली की रहने वाली हैं। हर बात का वह संज्ञान लेते हैं, लेकिन वह महोदय इस गंभीर विषय का संज्ञान नहीं लिये, यह भी एक शर्म का विषय है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी इस तरह की गड़बड़ियों में लिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में किसी प्रतिभा को कुंठित न होना पड़े। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी.पी. जोशी को श्री शरद त्रिपाठी जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you Madam Speaker for giving me this opportunity. At the outset, I would like to congratulate all my fellow women MPs and all the women across the globe and India on this International Women's Day. We will all take up the cause to be bold and be champion for a change in the country.

Today, I rise to talk about the important issue of the functioning of Integrated Tribal Development Agencies (ITDAs) functioning in the tribal area of Andhra Pradesh. My constituency is Araku. In Araku, we have four ITDAs that are operating in the constituency. These ITDAs are formed under the Societies Registration Act of 1869 and they were formed by the AP Government in 1975. Crores of rupees are being spent by the Union Government and the State Government through these agencies. These agencies are headed by the IAS officers from the State Government. All the officers come to this organization from different departments. They are lacking accountability towards the money which has been given by the Union Government. They also go back to their own Departments. Only two public representatives are a part of this Governing Body which is meeting or not meeting even for one year sometimes. These funds are being diverted for various purposes. The Sub-Plan grants are given by the Union

Government. Grants are given under the NREGS; and grants are given under the PMGSY. But they are lacking accountability towards these funds.

I would urge upon the Union Government to form an Inquiry Committee into the functioning of these agencies. I would say that public representatives should also be made a part of this Inquiry team or Investigation team to look into the functioning and the expenditure incurred by the Tribal welfare agencies.

HON. SPEAKER: Shri Jitendra Chaudhury, Shri Sankar Prasad Datta and Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kothapalli Geetha.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Hon. Speaker, I thank you very much for giving me an opportunity to raise an important issue of my parliamentary constituency Jagatsinghpur, Odisha.

I would like to bring it to the notice of the Minister of Civil Aviation that Paradip in my parliamentary constituency Odisha has been attracting the attention of the whole country as an industrial hub as well as a major sea port. Paradip Port region has been a focus point for port activities besides activities due to the establishment of mega petroleum, chemicals and petro-chemical industries, steel projects, oil refinery, Paradip Phosphates Limited and scores of ancillary industrial units over a period of time. Keeping its importance in view, now it has been felt to set up a mini airport in Paradip Port region in order to facilitate speedy and swift communication between metro cities of the country and Paradip. Hence, I would request the Minister of Civil Aviation to take positive steps to set up a mini airport at Paradip, Odisha at the earliest.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Dr. Kulmani Samal.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, अभी दुनिया में रोजगार की प्रोटेक्शन की बात चल रही है कि अपने लोगों को रोजगार कैसे देना है, उसी से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। मैं झारखंड राज्य से चुन कर आया हूँ। झारखंड, बिहार, असम, पूरा वेस्ट बंगाल, ओडिशा, दिल्ली और मुंबई, हम सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जूझ रहे हैं। इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, इसे रोजगार के आधार पर जोड़ना चाहिए

क्योंकि हमारा इलाका झारखंड पूरे देश के साइबर क्राइम का हब हो गया है, आतंकवाद का हब हो गया है। जब भी कोई आदमी पकड़ाता है तो पता चलता है कि वह बांग्लादेश का घुसपैठिया है। इतना ही नहीं, वे हमारे यहां के रोजगार को छीन रहे हैं। रोजगार के जितने भी साधन हो सकते हैं, वे गार्ड, सफाई-कर्मचारी और नरेगा के मजदूर, बन रहे हैं। फूड-सिक्योरिटी में जो फूड देने का सवाल है, वे उसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं।

बांग्लादेश एक अलग देश है। वहां के नागरिक हमारे नागरिक नहीं हो सकते हैं। "आधार" के आधार पर इसी हाउस में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पहले "आधार" बन जाये तो हम "आधार" को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में कंवर्ट करेंगे।

दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटिजनशिप असम में चल रहा है, वह पूरा नहीं हो रहा है। फेंसिंग लग जाये, "आधार" को एनपीआर के साथ जोड़ दिया जाये, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह एनसीआर में कंवर्ट हो जाये।

जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर यह चिन्हित करने का प्रयास किया जाये कि कौन बाहरी, विदेशी और देसी है। एक कमीशन के द्वारा उसको इमीडिएटली साल-दो साल में एक्सपीडाइट करके, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश में और जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, वे हिन्दुस्तान में रहें और उनको रोजगार का साधन मिले।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शिव कुमार उदासि को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Hon. Speaker Madam, I would like to place before the House a very serious and sensitive issue, not with regard to any State but the nation as a whole. We have a federal set-up; we have our Constitution which provides fundamental right to each and every citizen to express free views and to go anywhere and to read any book or to see any other issues. It is shocking and also unfortunate to note that in a public meeting in Madhya Pradesh, a known ... * has made a public statement. ... (*Interruptions*)

* Not recorded.

HON. SPEAKER: Please do not take anybody's name.

... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: He has made a public statement that he would give Rs. one crore if anyone came forward to kill the Chief Minister of Kerala. ... (*Interruptions*) How can they deny that? This has been published in the newspaper. This has come in almost all the videos. ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Hon. Speaker Madam, he cannot make such baseless allegations. ... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: Our country is not a Taliban. ... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, he is taking the name of ... *... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I told him that he need not take any names. No name will be on record.

... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: Shri Ananthkumar, first of all listen to me. It has been published in the newspaper. You see that he was expelled from the ... *. Why was he expelled from the ... * ? He was an ... * leader. When the Chief Minister comes in Delhi, it is ... * who attempt to disturb his function. When he goes to Bhopal, the same issue is there. When he goes to Bengaluru, ... * come and declare a *bundh* there. We are not going to back off. They are shouting threats to the Chief Minister of Kerala. He has not become the Chief Minister in one day. He has a long political life. He was in jail during the Emergency. He was tortured. I want to know from the Government whether it is the policy of the Government to attack the Chief Ministers of other parties. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. बिजू एडवोकेट जोएस जॉर्ज, डॉ. ए. सम्पत, श्री शंकर प्रसाद दत्ता और श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान को श्री पी. करुणाकरण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not a Government thing.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Hon. Speaker Madam, this is regarding the need to set up a major port at Ramayapatnam in Prakasam district of Andhra Pradesh. Union Cabinet had approved Dugarajapatnam as the location for a second Central Project on the East Coast of Andhra Pradesh in 2013 and the same was included in the Andhra Pradesh Re-organization Act to study the feasibility.

Subsequently, the Government of India appointed AECOM, Cost and Project Management Consultant, to carry out feasibility study on Dugarajapatnam and found it unviable. Visakhapatnam Port Trust which has 75 per cent equity partnership also declared it unviable and even the Government of Andhra Pradesh has come to the conclusion that it is not possible to go ahead with Dugarajapatnam port.

13.10 hours

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Since Durgarajapatnam may take time, as promised by the hon. Prime Minister a major port can be set up at Ramayapatnam, which is just 50 kilometres from Durgarajapatnam on PPP mode. ... (Interruptions) It is the most suitable location for a major port in Andhra Pradesh which can achieve many objectives such as providing employment to backward area of Prakasam district since China, Singapore and other countries have come forward to establish industries at

Ramayapatnam. ... (*Interruptions*) A super-thermal power plant near the port will give a real fillip in creating infrastructure for overall development of the port. Enough land is available; so there is no need to buy land from private people. Besides, a high-level committee of the Shipping Ministry has reported that Ramayapatnam is suitable for imports and exports. ... (*Interruptions*)

13.11 hours**SUBMISSIONS BY MEMBERS ... Contd.****(ii) Re: Alleged denial to women Panchayat Presidents of Kerala to participate in a function on International Women's day held at Gandhinagar, Gujarat for wearing customary dress 'Hizab'**

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I wish to draw the attention of the House to a shocking incident which took place yesterday at the Mahatma Mandir at Gandhinagar. It was an event to mark the International Women's Day. Six thousand women panchayat presidents were participating in that Conference.

In that conference, three Panchayat Presidents were from Kerala. One of them was Thirkkaripur Panchayat Vice-President Fausiya; another was Shaheena from Thankala Panchayat; and another Panchayat President was Shaharban. They were denied admission to the conference hall merely because they were wearing hijab. I would like to ask this. Wearing a hijab is their religious right which cannot be denied. ... (*Interruptions*) What happened was that the security personnel were insisting that they should remove the hijab and then only they would be admitted in the conference hall. It is a shame for the nation. ... (*Interruptions*)

Finally, they begged that they may be allowed to come in with this dress. They were denied the permission. ... (*Interruptions*) After 45 minutes of quarrel and heated exchange of words, finally it was agreed. All these incidents took place in the presence of the hon. Prime Minister of this nation. ... (*Interruptions*)

Finally when they were allowed, a condition was imposed that they may be allowed to sit only in the back row. What is happening in this country? ... (*Interruptions*) This kind of intolerance cannot be tolerated. It is a shame for the nation. ... (*Interruptions*)

I am submitting that the hon. Prime Minister should apologise to the entire nation and proper action should be taken against the culprits. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.K. Biju, Adv. Joice George, Shri Shankar Prasad Datta, Dr. A. Sampath, Shri N.K. Premachandran and Shri Mullappally Ramachandran are permitted to associate with the issue raised by Shri E.T. Mohammad Basheer.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): The hon. Member is a very senior Member. जो बात वे कह रहे हैं, वह बात बिलकुल तथ्यों से विपरीत है और कहीं न कहीं गुमराह करने वाली है।... (व्यवधान) हम समाज के हर तबके के लिए समानता के साथ और इक्वेलिटी के हक के साथ काम करते हैं। जिस तरह की गलत सूचना और कुछ अखबारों में गलत तथ्यों के आधार पर समाचार छपा है, उसके आधार पर सदन में यह बात कहना गलत है और हम उसका खंडन करते हैं। जो बात "हिजाब" से संबंधित कही जा रही है, वह बिलकुल गलत है, निराधार है और बिलकुल तथ्यों से विपरीत है।... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I would like to draw the attention of the Government to an issue of serious concern regarding the critical condition of Major Rishi belonging to my constituency. Major Rishi was critically injured in an encounter with terrorists at Tral village, Phulwara district of Jammu and Kashmir on the 4th March. He suffered a bullet injury in his face and is now in a critical condition. He was under treatment at the Military Hospital in Srinagar till the 8th March. On the 8th March, he was transferred to the Research and Referral Hospital, New Delhi. His wife who is a physiotherapist in the Army is also with him. However, yesterday the Kayamkulam Circle Inspector got a message from New Delhi that Major Rishi has passed away and he passed on this information to his relatives. The relatives had talked to the wife of Major Rishi and were praying for his speedy recovery.

The content of the message was: “Deceased Rishi. R wife Anupama, Village Muthukulam Manibhavanam, Alappuzha. He had expired in R.R. Hospital, New Delhi on 08.03.2017. Please inform his parents and relatives.”

This message was forwarded from a number belonging to an ASI named Jagbir Singh in Dhaula Kuan Police Station. He told the relatives that he got the information from R.R. Hospital. However, Major Rishi’s wife who is currently with him confirmed that he is recovering from the injury. This is an insult to the family of the *jawan*. I would like to seek a clarification from the Government as also would request the Government to provide sufficient medical assistance to the victim who is currently admitted in the hospital.

HON. DEPUTY-SPEAKER: S/Shri P.K. Biju, P. Karunakaran, Adv. Joice George and Dr. A. Sampath are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

13.15 hours**SUBMISSIONS BY MEMBERS ... Contd.****(iii) Re: Need to scrap the amendment made by the Government of Jharkhand on Chhotanagpur Tenancy Act (CNT) and Santhal Parganas Tenancy Act (SPT)**

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) : महोदय, मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि झारखंड में संथाल रेबेलियन हुआ था। इस रेबेलियन के तहत वहाँ सन् 1908 में छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट बना था। उसके बाद सन् 1949 में वहाँ संथाल परगना एक्ट बना था। 23 नवंबर को वहाँ की सरकार ने इन दोनों एक्ट्स में सुधार किए हैं। इसमें आदिवासियों को जंगल, कृषि और पानी के संबंध में अधिकार दिए गए हैं। इसको डायवर्ट कर के इसके एक्जुजिशन और कर्मशियल यूज के लिए इस एक्ट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

महोदय, इसके साथ ही साथ वहाँ ग्राम सभा का जो प्रावधान है, उसकी पूरी जिम्मेदारी डी.सी. के हाथों में सौंप दी गई है। वहाँ के आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

महोदय, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह अनुरोध करूँगा कि वह इसे नॉलेज में ले और वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके सुधार के लिए जो बिल उठाया है, उसे वह एडॉप्ट करे। वहाँ जमीन और जंगल के ऊपर जो आदिवासियों के अधिकार हैं, उन्हें रीस्टोर किया जाए। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं किया, तो आदिवासियों को बहुत नुकसान होगा।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta is permitted to associate with the issue raised by Shri Jitendra Chaudhury.

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर):

महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबंध में सवाल उठाया है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि, माननीय सदस्य ने जो भी कहा है, उसका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर था। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्यों से चिन्हित कर के छह हजार से अधिक महिला सरपंचों को आमंत्रित किया था। उसमें कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी थीं। उस कार्यक्रम में वही लोग थे, जिन्हें आमंत्रित किया गया था। वहाँ पर गौतमबुद्ध नगर की शालिनी राजपूत नामक एक बहन भी थी। उस बहन ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की थी। वो माननीय

प्रधानमंत्री जी को राज्य सरकार के संबंध में कुछ बताना चाहती थी। सुरक्षा घेरे ने उसे माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलने दिया था। उसके बाद शालिनी राजपूत जी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक वाइट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे राज्य सरकार से परेशान हैं और उनके गाँव में विकास नहीं हो रहा है। यह बात वे प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती थीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी मौजूद थीं। स्वच्छता के क्षेत्र में जिन महिला सरपंचों ने अच्छा काम किया है, इस कार्यक्रम में उन्हें भी सम्मानित किया गया। माननीय सदस्य ने जो यह बात उठाई है, वह बिलकुल भी सत्य के नजदीक नहीं है। इससे निश्चित रूप से लोग गुमराह हुए हैं, जिस कारण मुझे यहाँ स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा होना पड़ा है। आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री प्रवेश साहिब सिंह जी।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू पर बोलने का मौका दिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। केरल में लगातार एक विचारधारा के लोगों पर अटैक हो रहा है। वहाँ की सरकार सी.पी.आई. (एम) पार्टी द्वारा आर.एस.एस. और बी.जे.पी. वर्कर्स पर लगातार अटैक हो रहा है। 4 मार्च को आर.एस.एस. के चार कार्यकर्ताओं, नामतः विनीश, सुनील, बाबू और सुधीर के कार्यालय पर बम फेंका गया और डंडे-तलवारों से इनके हाथ-पैर तोड़े गए।...(व्यवधान)

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): This is a misleading statement, Sir....
(Interruptions)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: ये घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक 53 साल के मजदूर जो मुख्यमंत्री की विधानसभा में रहते हैं, उनके घर पर हमला किया गया। ... (व्यवधान) एक परिवार पर लगातार अटैक हो रहे हैं। अगर सी.पी.आई. (एम) को लड़ाई करनी है, तो उन्हें एक विचारधारा से लड़ाई करनी पड़ेगी। हमारी शांति को कोई कमजोरी नहीं समझना चाहिए। सी.पी.आई.एम. द्वारा लगातार अटैक, यह वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर एक सीधा कलंक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी जनवरी को सरकार को नोटिस दिया कि लगातार जो अटैक हो रहे हैं, वे ठीक नहीं हैं, एक विचारधारा के ऊपर अटैक हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से चाहूँगा कि वह इसमें इंटरवीन करे और वहाँ की सरकार को बर्खास्त करे।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ashwini Kumar Choubey, Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Ramcharan Bohra, Dr. Manoj Rajoria, Shri Nihal Chand, Shri Devji M. Patel and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Parvesh Sahib Singh Verma.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा इस शून्यकाल में इस सभागृह में पेश कर रहा हूँ जो कि पिछले दस साल से केंद्र सरकार के पास निर्णय के लिए प्रलंबित है। एक बॉम्बे का नाम मुम्बई हो चुका, लेकिन 'बॉम्बे हाईकोर्ट' का नाम 'मुम्बई हाईकोर्ट' करने की विनती महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से 10 बरस पहले इस केन्द्र सरकार के पास भेजा, इस सभागृह में भी इस विषय के ऊपर मैं स्वयं चार बार शून्यकाल में मुद्दा उठा चुका हूँ। हम सारे शिवसेना के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले और उनसे विनती की कि बॉम्बे हाईकोर्ट की

जगह पर मुम्बई हाईकोर्ट का नामकरण करें। उनके आदेश से इस सभागृह में उसके बारे में विधेयक भी पेश कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से विधेयक को वापस कर दिया, विथड्रॉ कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय मैं फिर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ कि एक मई, महाराष्ट्र का स्थापना दिन है, बॉम्बे की जगह पर मुम्बई हो चुका है। एक छोटा सा प्रश्न है, उसके बारे में एक मई के पहले निर्णय लें और बॉम्बे हाईकोर्ट की जगह पर मुम्बई हाईकोर्ट करके महाराष्ट्र के लिए आप अच्छा तोहफा दें। यह विनती मैं इस शून्यकाल के माध्यम से कर रहा हूँ।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Krupal Balaji Tumane, Shri Chandrakant Khaire, and Shri Prataprao Jadhav are permitted to associate with the issue raised by Shri Vinayak Bhaurao Raut.

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Deputy Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Road Transport and Highways through this august House to the matter of declaration of industrial corridors. You are aware that the newly created Telangana State is backward in major sectors such as industry, power, roads, railways, etc. Lakhs of poor people including youth and students of Mahabubnagar, Karimnagar, Nizamabad and other districts in Telangana State migrate every year for employment to major cities like Bengaluru, Pune, Chennai and to far away countries like USA, Australia and Gulf, only to face hardships and ill-treatment. So, there is a need to increase the infrastructure, basic amenities and providing employment opportunities to curtail this menace in Telangana State.

The Central Government has declared Chennai-Visakhapatnam and Chennai-Bengaluru National Highways as industrial corridors. Recently, Bengaluru-Kurnool stretch of NH-44 has also been declared as industrial corridor. In continuation of this, if Kurnool-Hyderabad-Nagpur stretch of NH-44 is declared as industrial corridor, the backward districts of Mahabubnagar, Ranga Reddy, Medak, Nizamabad and Adilabad in Telanagana and Yavatmal, Wardha, Chandrapur and Nagpur in Maharashtra will benefit greatly in terms of

development and employment. Therefore, I urge upon the Minister of Road Transport and Highways to kindly take steps to declare Kurnool-Hyderabad-Nizamabad-Adilabad-Nagpur sector of NH-44, about 750 kms, as industrial corridor.

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Kotha Prabhakar Reddy.

I request other Members to take one minute because we have to adjourn at 13.35 hours. Only 10 minutes are allowed. Now, Shri Om Birla.

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर सरसो का बम्पर उत्पादन हुआ है। सरसो मार्केट में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य से कम दर पर बेची जा रही है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत समर्थन मूल्य से राजस्थान में सरसो खरीदी जाए ताकि किसान को उसकी लागत का ठीक मूल्य मिल सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Ramcharan Bohra, Dr. Manoj Rajoria, Shri Nihal Chand, Shri Devji M.Patel and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Om Birla.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका से अरबों रूपयों की हानि होती है और जान-माल का नुकसान होता है। गंगा की सफाई का अभियान अधर में लटका हुआ है। निर्मल भारत और नमामी गंगा की हम बात करते हैं, लेकिन गंगा गाद से भर चुकी है। बिहार के पटना से भागलपुर तक का इलाका इससे प्रभावित है। फरक्का में बांध बनने से वहां पर धारा रूक गई है, जिसके कारण भारी परेशानी हो रही है। बिहार के मुख्य मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और राज्य सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। इस कारण से महत्वपूर्ण जीव डॉल्फिन की मृत्यु हो रही है। वहां से सांसद माननीय बुलो मंडल जी हैं और बगल के क्षेत्र से हम हैं, दोनों का क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। हमारी मांग है कि फरक्का बैराज, जिससे पश्चिम बंगाल को भी लाभ नहीं है, इस पर तकनीकी दृष्टि से विचार-विमर्श किया जाए एवं जनहित में गंगा पर बने फरक्का बैराज (बांध) को हटाया जाए।

श्री जनक राम (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। सबसे पहले हम भारत सरकार के प्रधान मंत्री और जल संसाधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अक्टूबर माह में 71 करोड़ रुपये बिहार सरकार को गंडक की सफाई के लिए और पिचिंग बांध के लिए रिलीज़ हो चुका है, लेकिन बिहार सरकार के कानों पर अब तक आवाज़ नहीं जा रही है। इसकी वजह से गोपालगंज जिले के गंडकधियरा संघर्ष समिति के तत्वाधान में हजारों सामान्य लोग एवं जलसत्याग्रही आए दिन संघर्ष करते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया है। मैं सदन के माध्यम से बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्यवाही कर के जल सत्याग्रहियों की मांग को स्वीकृत किया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Janak Ram.

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा हूँ। मैंने प्रश्न काल में भी इस बारे में प्रश्न उठाया था, लेकिन उत्तर नहीं मिला। मेरे क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में इंदौर से अमदाद की चार लेन की सड़क है। पुल, पुलिया आदि सब बन गया है। मगर यह सड़क नहीं बन रही है। वहां रेल लाइन भी बंद पड़ी है। वहां पर लोगों का आना-जाना बहुत मुश्किल हो रही है। रतलाम से महत्वपूर्ण चार लेन रोड़ इंदौर-अमदाद के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलंब हो रहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस राजमार्ग के निर्माण में विलंब से इंदौर-अमदाद के जन-जीवन पर असर पड़ रहा है। यह मार्ग इंदौर होते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र से झाबुआ जिले को जाता है। आवागमन सुचारू रूप से न होने के कारण यात्रियों एवं अन्य आवश्यक माल की ढुलाई में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक पांच सौ से अधिक लोगों की मौत एक्सिडेंट्स में हो चुकी है। बीच में सड़क को जोड़ने का रास्ता है, जो एक-दो किलोमीटर पर है, वह आज भी बंद पड़ा है और लोगों को कच्चे रास्ते से हो कर निकलना पड़ रहा है। इस वजह से यदि इस निर्माण कार्य में गति लाई जाती है तो लोगों के आवागमन में सुविधा होगी। मैंने पूर्व में भी इस संबंध में सदन में बात उठाई थी, जिसके आश्वासन भी मिल रहे हैं, परंतु पता नहीं क्या कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो फोर लेन का रोड़ जा रहा है, उसका काम चालू नहीं हो रहा है। रेल मार्ग भी बंद पड़ा है। आखिर आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा क्यों हो रही है? मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से आग्रह करता हूँ कि तत्काल उसको पूरा करने की कृपा करें।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला यहां पर रखना चाह रहा हूँ कि पिछले 25 दिनों से मेरे क्षेत्र में पांच हजार किसान करीब 70 हजार तुअर की बोरियां ले कर हमारे मार्केट कमेटी में बैठा है। हमने सोमवार को इस बारे में आंदोलन किया है। सरकार ने लिख कर दिया है कि दस तारीख से तुअर की खरीद शुरू होगी। लेकिन कल फिर से उन्होंने सक्च्युलर निकाला है कि तुअर खरीद नहीं करेंगे। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार तुअर की खरीदी तुरंत शुरू करे और लोगों को राहत मिले।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमालय की तलहटी में "बोट " जाति के लोग, नेपाल, भूटान सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड सहित उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, गोण्डा, बहराईच आदि के लोग निवास करते हैं। जिनको विभिन्न अध्ययन दलों द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। बोट जाति इन सभी मानदण्डों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल होने योग्य है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने भी बोट जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की संस्तुति की है। मैंने इस प्रकरण को लोक सभा में व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठाया था, परन्तु उक्त बोट जाति के लोगों को अभी भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बोट जाति को समाज की मुख्यधारा में लाने तथा शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक समता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा तत्काल दिया जाये। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ajay Misra Teni.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Sir, adolescent girls do not feel comfortable to attend schools during their menstruation period. Girl students use mainly home-made napkins, particularly in the rural and suburban areas which make it even more inconvenient for them to lead a normal social life. Being a Member of Parliament, I, on my own initiative, provide funding from the MPLADS funds for installation of vending and insanitary machines for those girls studying in co-education and girls schools so that they can avail facilities during their time of need.

I would like to request the hon. Minister for Human Resource Development to take up this issue for installation of these machines in the co-education and girls schools.

Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. A. Sampath and Kunwar Pushpendra Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Pratima Mondal.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि दिसम्बर 2014 में इस सदन के अन्दर रोहतक का एक मामला उठा था, जिसमें नेशनल हिरोइन दो लड़कियों को बनाया गया था, लड़कों को बस में पीटने के कारण। उन तीन में से दो लड़कों ने आर्मी का फिजिकल और साथ-साथ मेडिकल टेस्ट क्लियर किया था मगर वह मामला जब इस सदन में और हमारे मीडिया के साथियों ने उठाया तो भर्ती में से उन दोनों युवा साथियों का नाम हटाने का काम सरकार ने और आर्मी ने किया।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह कोर्ट ने उन दोनों युवा साथियों को बरी कर दिया है मगर अब उनकी उम्र आर्मी की भर्ती के लिए लॉघ गई है। इस सदन की गलती की वजह से अगर उनका नुकसान हुआ है तो मैं माननीय डिफेंस मिनिस्टर से माँग करूँगा कि वे इसका संज्ञान लें और उन दोनों युवा साथियों को दोबारा नौकरी पर भर्ती कराने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ram Mohan Naidu is permitted to associate with the issue raised by Shri Dushyant Chautala.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I will be brief. My 'Zero Hour' submission is in respect of penalties being imposed by the State Bank of India on the customers who are unable to maintain a minimum balance in their accounts. You may kindly recall that it has been the policy of Government of India to have *Jandhan* accounts even for the poorest of the poor, but at the same time, the State Bank of India and the new generation banks are imposing so many penalties upon the poor customers. Even for cash withdrawals, if a person wants to withdraw cash for more than three or four times, then also the person is liable to pay penalty. This is totally against the interest of the common people.

I would also like to draw the attention of the Government of India that it has given a direction to the State Bank of India that the bank has to review the decision of imposing penalties on those who are unable to maintain the minimum balance in their accounts, but the State Bank of India is not even amenable to abide by the regulations given by the Government of India. So, my submission is that stringent action should be taken on them... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P. Karunakaran, Shri Mullappally Ramachandran, Shri Kodikunnil Suresh, Dr. A. Sampath and Shri Rajiv Satav are permitted to associate with the issue raised by Shri N. K. Premachandran.

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to raise an important matter regarding lack of security of security of women. Women being most vulnerable to anti-social elements are being attacked, raped and hence face insecurity everywhere. Even in the State of Kerala, a 100 per cent literate State, women are not safe as witnessed in the recent gory incidents which brought shame to the State. Even in the State of Kerala, women traveling in vehicles are not safe.

I would like to urge upon the Government of India to investigate the recent attacks on women in the State of Kerala and give appropriate direction and take action to protect women.

Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Chandel are permitted to associate with the issue raised by Prof. Richard Hay.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I would like to raise an important matter. Fr. Tom Ushunnalil, a native of Pala in Kottayam district and Member of Pala Diocese, the Syro Malabar Church was abducted and held as a captive by extremists in Yemen for more than a year. The Catholics in Kerala are extremely worried about his safety. The extremists in Yemen have released many captives but the Indians are still being held by them. The Archbishops of Changanassery and Forane Council are extremely anxious for his early release.

I would like to urge upon the Government to take up the matter. The Ministry of External Affairs has taken a lot of initiatives but unfortunately, Father Tom Ushunnalil was not released. Day before yesterday, one year had completed since the incident. The entire Catholic Churches including the Archbishops, Bishops and nuns had a prayer meeting day before yesterday for early release of Father Tom Ushunnalil. This is a very important matter.

I would like the Government to take up the matter immediately and ensure early release of Father Tom Ushunnalil.

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : सर, सबसे पहले मैं अपनी केन्द्र सरकार और अपने स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने स्टेंट प्राइसिंग को रेशनलाइज़ करके उसमें जो कैप लगा दिया है। इससे स्टेंट की कीमतें एक लाख रुपए से कम होकर सीधे 32,000 रुपए पर आ गयी है। इससे दिल के रोगियों को, जिन्हें एक्यूट हार्ट अटैक होता है, बहुत फायदा हुआ है। जो गरीब मरीज़ हैं, इनकी लूट सिर्फ स्टेंटों के द्वारा ही नहीं होती, बल्कि बहुत-से और भी रास्ते हैं। खासकर, जो इंवेस्टीगेशंस लैब्स हैं और जो रेडियोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जैसे सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई., अल्ट्रासाउण्ड वाले, वहां बहुत ही अन-फेयर प्राइसिंग है। उन पर भी सरकार ध्यान देकर उसकी प्राइसिंग पर कैप लगाए, ताकि गरीब मरीज़ों को सारे हिन्दुस्तान में फायदा हो सके।

मेरी सरकार से विनती है कि जो डायगनोस्टिक सेंटर्स हैं, इनकी प्राइसिंग पर कैप लगाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Dharam Vira Gandhi.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सदन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लाना चाहता हूँ। सरकार, विशेषकर श्री नरेन्द्र मोदी जी, जो भारत के प्रधान मंत्री हैं, पहली बार हिन्दुस्तान के अंदर उन लाखों गरीब बुनकर माताओं-बहनों पर, जो अपनी जंघा पर धागा काटती थीं, जिसके कारण उनके शरीर पर घाव हो जाता था, उस पर उनका ध्यान गया।

यहां वस्त्र मंत्रालय की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी बैठी हैं। उन्होंने कल पहली बार उन पीड़ित महिलाओं के लिए तसर बुनियाद रीलिंग मशीन का वितरण किया। इसे हमारे देश के सिल्क बोर्ड के वैज्ञानिकों ने शोध कर तैयार कराया है। उक्त प्रस्ताव को वर्ष 2014 में मैंने ही सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बैठक में रखा था। मैं अपने गांव दरियापुर, भागलपुर में फजलू चाचा की पत्नी को देखता था कि सिल्क धागा अपनी जंघा पर काटने के कारण उन्हें किस प्रकार का घाव होता था। उसी समय, मेरा ध्यान इस पर गया

और पार्लियामेंट में आने के बाद मैंने वह प्रस्ताव उक्त बोर्ड में रखा। हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी ने पूरे देश में तसर ऑटोमैटिक रीलिंग मशीन और छोटे-छोटे तसर बुनियाद मशीनों को देने का काम किया है। वर्ष 2020 तक इसे जंघा पर सूत काटने से उन्मुक्त करने का संकल्प लिया है।

कल 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर गरीबों के कल्याण का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अपने वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जी एवं उन वैज्ञानिकों को पूरे देश की जनता की ओर से, विशेषकर उन माताओं और बहनों की ओर से बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Ashwini Kumar Choubey.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Sir, as you are aware, Calicut Airport was one of the main embarkation points for thousands of Haj pilgrims from and around the Malabar area of Kerala. The decision of the Civil Aviation Ministry to terminate this facility has caused great hardship and misery to the pilgrims as they have to go all the way to Kochi in order to proceed on Haj. Such a step was presumably taken consequent to the partial closure of the Airport for re-carpeting and repair. The undue delay in completing the work has resulted in cancellation of flights bound for Arab countries. There is no justification in depriving earlier existing facilities to Haj pilgrims.

I appeal to the Government to resume the flights and facilities to ensure Haj embarkation point at Calicut Airport.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri N.K. Premachandran is permitted to associate with the issue raised by Shri Mullappally Ramachandran.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुंदेलखण्ड क्षेत्र में कानपुर-सागर नेशनल हाईवे नं. 86, जिसे राज्य सरकार ने बी.ओ.टी. प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनवाया था, उसके बारे में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कानपुर से कबरई तक उस 120 किलोमीटर के पैच में है, प्रतिदिन मार्ग दुर्घटनाओं के कारण दो-तीन मृत्यु वहां पर हो रही है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो एग्रीमेंट किया था, उसमें वह डिवाइडर नहीं बना और केवल टू-लेन सड़क बनी। चूंकि लखनऊ-कानपुर का पूरा ग्रिट बिल्डिंग मैटेरियल्स बुंदेलखण्ड के उसी क्षेत्र से जाता है, क्योंकि वह

माइंस और मिनरल्स वाला एरिया है। वहां डिवाइडर न होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटती हैं। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां एक-एक गांव में तीस-तीस लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग-86 को एन.एच.ए.आई. टेक-ओवर करे और उसे डिवाइडर सहित फोर-लेन बनाकर जल्दी से जल्दी लोगों के जीवन को बचाने का काम करे।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

The House stands adjourned to meet again at 2.40 p.m.

13.39 hours

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Forty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.45 hours

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Forty-Five Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be treated as laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise their matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally handover the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to expedite railway projects in Jharkhand

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Left Wing Extremism (LWE) problem is one of the most serious internal security challenges facing the country. Jharkhand is amongst the States worst affected by this problem. The state has remote and inaccessible areas which need significant improvement in connectivity for providing the necessary impetus for economic development. Poor railway connectivity is affecting the fight against Left Wing Extremism.

Therefore, I urge the railways and national highway authorities to expedite the sanctioned project (2016-17) from Vikramshila to Kateriah via Bateshwar Sthan (Ganga Bridge), Godda-Pakur and Basukinath-Chitra, under joint venture initiatives in the Santhal Pargana and Anga region. A Railway Line under the latest funding policy of the Ministry of Railways with government of Jharkhand has already been sanctioned from Pirpainti to Jasidih via Godda. However, the pace of work is slow.

These extension lines would help off-take of large quantities of coal from three incoming projects like Simlomg Expansion, Hura “C” and Chupervita and existing mines of Chitara of ECL. In the absence of this line there will be problem for dispatch of coal.

Mineral rich state of Jharkhand is the single largest revenue contributor to the Coal India and yet has been receiving step motherly treatment all along. These lines will connect five major lines:-

- (a) Delhi to Guwahati via Kateriah, Bateshwar Sthan.
- (b) Bhagalpur to Howrah via Pirpainti, Pakur.
- (c) Bhagalpur to Rampurhat via Hansdiha.
- (d) Delhi to Howrah and Kharagpur via Jasidih.
- (e) Howrah to Delhi via Dhanbad.

These railway lines will also connect ports like Haldia and Paradip via Sahibganj terminal or inland waterways.

The deprived Tribals of the region and the state of Jharkhand would benefit from this. I, therefore, urge the Government to take suitable steps in this regard.

(ii) Need to develop places of historical and mythological importance in Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर (खीरी) उ.प्र. तराई में नेपाल सीमा पर स्थित घने वनों व नदियों से घिरा एक खूबसूरत क्षेत्र है। जहां दुधवा नेशनल पार्क टाईगर रिजर्व व वन क्षेत्र हैं व बारासिंहा, सांभर सहित हाथी, गैंडे, तेंदुआ आदि भी रहते हैं। यहां की नदियों में क्रोकोडाइल व डॉल्फिन भी पायी जाती है।

लखीमपुर (खीरी) का ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व भी है। यहां ग्राम दुलही व रामवटी में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरित मानस की हस्तलिखित पांडुलिपि सहित पांडवों के अज्ञातवास व गोल गोलकरन नाथ, गज मोचन नाथ, खैरीगढ़ में रूकमणी मंदिर, संकटा देवी व लिलौथी नाथ का भी बड़ा महत्व है तथा पुराने समय में सिंगाही (खैरीगढ़ स्टेट), ओयल, झण्डी, ईसानगर आदि रजवाड़ों ने भी मेडक मंदिर, भूल भुलैया, रानी महल व खैरीगढ़ का किला जैसे दर्शनीय स्थलों का निर्माण कराया है। यह क्षेत्र खैरीगढ़ नस्ल के बैलों के लिए भी प्रसिद्ध व अच्छी व उपजाऊ कृषि भूमि वाला खुशहाल क्षेत्र है।

ऐसी अनुकूल परिस्थितियों के कारण क्षेत्र के पर्यटन, ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि:-

1. मेरे लोक सभा क्षेत्र खीरी, उत्तर प्रदेश को रामायण सर्किल से जोड़ने व पर्यटन स्थल घोषित करके विकसित करने एवं
2. मेरे लोक सभा क्षेत्र में पर्यटन व आवागमन के साधन बढ़ाने हेतु पूर्व से निर्मित पलिया (पटिहन) एयरपोर्ट से लखनऊ व दिल्ली हेतु विमान सेवा प्रारंभ करने की कृपा करें।

(iii) Need to run Sangam Express (Train No.14163/64) on time.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : मेरठ से इलाहाबाद के बीच बुलन्दशहर, अलीगढ़, कानपुर होते हुए 14163/64 संगम एक्सप्रेस का संचालन किया जाता है। यह रेलगाड़ी मेरठ से सांयकाल 07 बजे प्रस्थान करती है तथा इलाहाबाद अगले दिन प्रातः 08.15 बजे पहुंचती है। वापसी में यह रेलगाड़ी इलाहाबाद से 05.45 बजे चलकर अगले दिन प्रातः 06.40 बजे मेरठ पहुंचती है। इलाहाबाद में संगम होने के साथ-साथ प्रदेश का उच्च न्यायालय भी स्थित है जिस कारण प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में नागरिक इस रेलगाड़ी से आवागमन करते हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि मेरठ के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह रेलगाड़ी पिछले लगभग छह माह में एकाध बार को छोड़कर अधिकांश कई-कई घंटे देरी से इलाहाबाद व मेरठ पहुंची है। इस कारण से यात्रियों को अत्यंत कठिनाई होती है तथा विशेषकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने वाले वादियों को अत्यधिक आर्थिक हानि व मानसिक संताप होता है। इस संबंध में अनेक बार अधिकारियों से भी वार्ता की गई परन्तु संगम एक्सप्रेस के संचालन में कोई सुधार नहीं हुआ है।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि 14163/64 संगम एक्सप्रेस के गत छह माह के संचालन की जांच कराकर इसका समयबद्ध संचालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(iv) Need to attach an extra bogey for MST passengers in Vidharbha Express and Intercity Express running from Wardha to Nagpur and Amravati in Maharashtra.

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : मेरा माननीय रेल मंत्री जी का अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के मासिक रेल पास यात्रियों को हो रही समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह है कि लगभग 10 हजार मासिक रेल पास धारक यात्री वर्धा से नागपुर एवं अमरावती दैनिक सफर करते हैं। जिसमें व्यवसायी, कामगार एवं विद्यार्थी भी होते हैं, वर्धा से जाने वाली ट्रेनों में जनरल बोगी की संख्या कम होने से स्लीपर की बोगी में विगत वर्षों में मासिक रेल पास धारक यात्री यात्रा करते हैं, किन्तु कुछ समय से रेल कर्मचारीगण इन यात्रियों के साथ अनुचित व्यवहार कर मनमाना दंड ले रहे हैं जिससे यात्रियों में काफी रोष है।

अतः आग्रह है कि वर्धा से जाने वाली विदर्भ एक्सप्रेस एवं इन्टरसिटी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त कोच मासिक पास धारकों के लिए लगाया जाए नहीं तो पूर्व की भांति स्लीपर कोच में मासिक पास धारकों को सफर करने का निदेश जारी किया जाए जिससे कि समस्याओं का निदान हो एवं दैनिक सफर करने वालों को सहूलियत हो।

(v) Need to restore the plaque carrying a quote by Veer Vinayak Damodar Savarkar in Cellular Jail Premises of Andaman and Nicobar.

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी नेता थे। उन्हें प्रायः वीर सावरकर के नाम से सम्बोधित किया जाता है। विनायक दामोदर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिजीवी, कवि, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा, महान कवि, महान इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें दो-दो आजीवन कारावास की सजा मिली, सजा को पूरा किया और फिर से राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए।

"देशभक्ति का यह व्रत हमने आंख मूंद कर नहीं लिया है। इतिहास की प्रखर ज्योति में हमने इस मार्ग की परख की है। दृढ़ प्रतिज्ञा होकर दिव्य अग्नि में जलने का निश्चय जानबूझकर किया है। इसका व्रत लिया है, आत्मविश्वास का।" - वीर सावरकर।

सन 2004 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री ने उपरोक्त पट्टिका जो कि अंडमान-निकोबार जेल में लगी हुई थी, उसे हटवा दिया था और पिछले दिनों वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल ने संसद के केंद्रीय कक्ष में वीर सावरकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय यह निर्णय लिया था कि उपरोक्त उद्धरण पट्टिका को फिर से लगाया जायेगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त पट्टिका को पुनः लगवाकर वीर सावरकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(vi) Need to set up soil testing laboratories at block level in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर में किसानों के लिए वर्तमान में मृदा परीक्षण हेतु तहसीलवार मृदा परीक्षण की जांच प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनके नमूनों का परीक्षण जिला मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। जिससे किसानों के मृदा परीक्षण की जांच रिपोर्ट काफी विलम्ब एवं कठिनाई से प्राप्त हो पाती है।

यदि इन प्रयोगशालाओं को विकास खंड स्तर पर संचालित किया जाए तो किसानों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला मृदा विश्लेषण तथा ऑपरेटर सहित संचालित होना भी अति आवश्यक है जिससे कृषकों द्वारा तत्काल मृदा परीक्षण की जांच मौके पर ही की जा सके।

अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में हर क्षेत्र में हर ब्लॉक स्तर पर एक मृदा परीक्षण केन्द्र एवं एक सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला संचालित कराने का कष्ट करें।

(vii) Need to ensure financial security of customers who suffers loss due to cyber fraud and also to set up a mechanism to check the increasing incidents of cyber-fraud.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : देश में साईबर अपराधियों द्वारा बैंकों से ग्राहकों का रूपया निकालने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र एवं देश के विभिन्न भागों में ग्राहकों के रूपये साईबर अपराधियों द्वारा निकाल लिए गए हैं। बगैर ए.टी.एम. नम्बर खाते की जानकारी व ओ.टी.पी. बताए रूपए निकले हैं। इस तरह की घटनाओं ने बैंक और ग्राहकों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि साईबर क्राइम के इस तरह के मामलों में जो रूपया निकलता है, उसको बैंक द्वारा खाताधारकों को लौटाने की व्यवस्था व ग्राहकों के रूपयों की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। साईबर अपराधियों पर कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय हैल्पलाईन नम्बर जारी किया जाना चाहिए तथा उनके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही हो इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(viii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Chatra district, Jharkhand.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना तथा बच्चों में राष्ट्रीय एकता एवं भारतीयता की भावना का विकास करना है। इस मिशन को प्राप्त करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में भी जिले में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। मेरे द्वारा लोक सभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में दिनांक 18-07-2016 को बताया गया कि देश के 160 जिलों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। झारखंड राज्य के आठ जिलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जिनमें मेरे संसदीय क्षेत्र का चतरा जिला भी एक है। जबकि चतरा में एन.टी.पी.सी. और सी.सी.एल. कंपनियों से संबंधित विभिन्न इकाइयाँ चल रही हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सेवा क्षेत्र की खासकर अर्द्ध-सैनिक बल और सेना में हजारों की संख्या में यहाँ के लोग कार्यरत हैं। चतरा जिला अत्यंत पिछड़ा और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, परंतु चतरा जिले में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है।

मेरे द्वारा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को दिनांक 14 जुलाई, 2015 को पत्र लिखकर चतरा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की माँग की गई थी। दिनांक 31 जनवरी, 2016 को श्री उपेन्द्र कुशवाहा, राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा सरकारी दौरे पर चतरा आगमन पर प्रेस वार्ता के दौरान चतरा में जल्द केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने का आश्वासन दिया गया था, जो अखबारों में प्रमुखता से छपा था। मेरे द्वारा लोक सभा में पूछे एक अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के जवाब में दिनांक 18.08.2016 को बताया गया था कि झारखण्ड राज्य से चतरा एवं एक जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने की माँग लम्बित है।

अतः मैं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से माँग करता हूँ कि चतरा जिले में केंद्र प्रायोजित एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कर उसे शीघ्र खुलवाने की व्यवस्था की जाए, जिससे इस पिछड़े क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

(ix) Need to set up an effective mechanism to curb trafficking of children in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : देश में हर साल हज़ारों बच्चे लापता होते हैं जिनमें से कुछ ही अपने घर लौट पाते हैं। ज्यादातर गुमशुदा बच्चे अखबार के कोने में छपी खबर में दर्ज होकर रह जाते हैं। ये गुमशुदगी भयानक नहीं होती बल्कि इसके तार सुनियोजित रूप से अपराध जगत से जुड़े हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन बच्चों का पता नहीं लगता है, वे वास्तव में लापता नहीं होते बल्कि उनका अवैध व्यापार किया जाता है। रिपोर्ट इस तथ्य की ओर भी इशारा करती है कि 80 प्रतिशत पुलिस के लोग गायब होने वाले बच्चों की तलाश में कोई रूचि नहीं दिखाते। नोबल पुरस्कार विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन संस्था के अध्यक्ष कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि जो बच्चे गायब हो रहे हैं इन्हें गुमशुदा बच्चे कहना सही नहीं है। ये बच्चे गुम नहीं होते बल्कि इनको चुराया जाता है। देश में बच्चों के रहस्यमय ढंग से लापता होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार से मेरा आग्रह है कि इस अपराध पर रोक लगाने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाएं।

(x) Need to increase the coverage under the National Food Security Scheme in Rajasthan.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के 69.09 प्रतिशत लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत कवर किए गए हैं, जबकि राजस्थान की तुलना में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध राज्यों में प्रतिशत कवरेज अधिक है। गुजरात में 74.64 प्रतिशत, कर्नाटक में 76.04 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 76.32 प्रतिशत तथा तमिलनाडु में 82.55 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 80 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 79.56 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 74.47 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 84.25 प्रतिशत, बिहार में 85.12 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की संख्या प्रतिशत अधिक है।

राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का पुनः निर्धारण किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कई बार अनुरोध किया जा चुका है। इस मुद्दे पर दिनांक 15.06.2016 को नीति आयोग, नई दिल्ली में बैठक में चर्चा की गई। जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। राजस्थान की माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 09.08.2016 के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अनुरोध किया जा चुका है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राजस्थान राज्य के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का शीघ्र पुनः निर्धारण करने की कृपा करें।

(xi) Need to establish a Cancer Hospital in Siwan, Bihar.

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : मेरे संसदीय क्षेत्र सीवान में कैंसर रोगियों की संख्या काफी ज्यादा है और कैंसर जांच की कोई सुविधा जिले में नहीं होने के कारण कैंसर रोगी पटना, दिल्ली और देश के अन्य शहरों में जाकर जांच एवं इलाज कराने को मजबूर हैं। अगर सीवान में कैंसर संस्थान सह अस्पताल खुल जाये तो यहां के रोगियों को जांच एवं इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहां पर ही गरीब रोगियों का स्थानीय स्तर पर सस्ते दर पर इलाज हो सकेगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सीवान में एक कैंसर संस्थान सह अस्पताल खोला जाये ताकि सीवान तथा गोपालगंज एवं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में रोगियों को कैंसर के इलाज हेतु कहीं अन्य जगह न जाना पड़े।

(xii) Need to ensure participation of eligible and interested parties in coal linkage auctions of BCCL in Baghmara development block in Dhanbad, Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : कोल इण्डिया के अंतर्गत बी.सी.सी.एल. क्षेत्र के बाघमारा प्रखण्ड स्थित आठ (8) कोलियरियों मुराईडीह, शताब्दी, नदखरकी, बेनीडीह, जमुनिया, जोगीडीह, महेशपुर एवं खरखरी में लिंकेज कोयला के खरीदार नहीं के बराबर हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कथित कोयला माफिया के एक सिंडिकेट का कब्जा है। जो भी लिंकेज होल्डर इन कोलियरियों से कोयला की खरीददारी करते हैं, उन्हें कथित रंगदारी टैक्स के रूप में प्रति टन 1150 रु. की रंगदारी बतौर लोडिंग देनी पड़ती है। इस कारण इन कोलियरियों में ऑफर के कोयला के खरीददार नहीं मिल रहे हैं और लिंकेज के कोयला को बी.सी.सी.एल. प्रबंधन को कम दामों पर बेचना पड़ रहा है। लिंकेज कोयला की खरीददारी के लिए बी.सी.सी.एल. व इ.सी.एल. के करीब 152 लिंकेज होल्डर (भट्टा मालिक) लिस्टेड हैं, लेकिन कोयला माफिया के सिंडिकेट के डर और 1150 रु. की रंगदारी नहीं देने के कारण 50 प्रतिशत लिंकेज होल्डर खरीददारी में हिस्सा तक नहीं लेते। बचे हुए 50 प्रतिशत होल्डर एफ.एस.ए. (फ्यूल सप्लाय) एग्रीमेंट से बाहर होने के डर से भाग लेते हैं, लेकिन कोयला की खरीददारी जितनी मात्रा में होनी चाहिए, उतनी खरीददारी नहीं करते हैं। ऑफर निकलने के बावजूद भी बाघमारा की कोलियरियों में कोयला की बिक्री नहीं होने से बी.सी.सी.एल. प्रबंधन को लिंकेज के कोयला को पॉवर प्लांटों को बेचना पड़ रहा है। लिंकेज होल्डर को ऑफर के तहत एक टन कोयला 3866 रु. में बेचा जाता है, जबकि यहीं कोयला पॉवर प्लांटों को सप्लाय देने पर बी.सी.सी.एल. को 2000 रु. प्रति टन ही मिलता है। ऐसे में लिंकेज के 50,000 टन कोयला पॉवर प्लांटों को देने से बी.सी.सी.एल. को प्रति माह 9 करोड़ 33 लाख व सालाना करीब 111 करोड़ 96 लाख का नुकसान हो रहा है। लिंकेज कोयला की बिक्री बाघमारा क्षेत्र में प्रतिमाह लगभग 50,000 टन एवं कुल मिलाकर साल का करीब 6,00,000 टन नहीं हो पा रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों की बात करें तो लिंकेज होल्डरों द्वारा प्रति टन कोयला पर करीब 1063 रु. टैक्स दिया जाता है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को प्रतिमाह 53 लाख 15 हजार रु. व सालाना करीब 63 करोड़ 78 लाख रु. का नुकसान हो रहा है। अगर इन क्षेत्रों में माफियाओं का दबदबा है तो इन कोलियरियों के लिए एक स्थान पर कोयला स्टॉक किया जाए एवं वहीं से उसकी बिक्री की जाए। अन्यथा इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। कोल इण्डिया, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान से संबंधित यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इन कोलियरियों में लिंकेज होल्डरों को समुचित सुरक्षा प्रदान करते हुए माफियाओं पर अंकुश लगाया जाए, ताकि लिंकेज होल्डर पूरा ऑफर लगा सकें। साथ ही इस पूरे मामले की सी.बी.आई. जांच कराई जाए, ताकि कोल इण्डिया सहित केंद्र व राज्य सरकारों को जो राजस्व का नुकसान अभी तक हुआ है, उसका पता चल सके।

(xiii) Need to declare income of dairy sector as agriculture income.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 70 प्रतिशत मवेशी छोटे, मझोले और सीमान्त किसानों के पास हैं, जिनकी पारिवारिक आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा दूध बेचने से प्राप्त होता है। डेयरी की प्रगति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिक संतुलित विकास होगा। दूध ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ ही जीवन की सुरक्षा भी देता है। दूध देने वाली एक गाय या भैंस पालना किसानों को आत्महत्या करने तक से बचा सकता है। आज डेयरी उद्योग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है यथा-संगठित डेयरी फार्म का अभाव, निवेश की कमी, मशीनों और उपकरणों की ऊंची कीमतें। दूध जल्द खराब होने वाला प्रोडक्ट है इसलिए प्रोसेसिंग और उसे पाउडर, बटर, घी, पनीर जैसे लम्बे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट में बदलना लगजरी नहीं बल्कि जरूरत है। अतः डेयरी फार्म से आने वाली आय को कृषि आय घोषित किया जाये।

(xiv) Need to accord approval for setting up of Plastic Park in Bharuch district, Gujarat.

श्रीमती जयश्रीवेन पटेल (मेहसाणा) : भारत सरकार द्वारा "प्लास्टिक पार्क की स्थापना " की स्कीम बनाई गई है। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव किए गए हैं।

गुजरात भारत में एक विकास इंजन के रूप में उभरा है। पूरे गुजरात में कई किस्म के उद्योगों का विकास हुआ है। आज तक गुजरात में आठ वाइब्रेन्ट समिट हुए हैं। इसमें देश-दुनिया के जाने माने उद्योग घराने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं एवं इसमें भारी मात्रा में निवेश भी किया है। गुजरात में वर्ल्ड क्लास प्लास्टिक एक्सपो भी हो चुका है।

गुजरात में प्लास्टिक उद्योग का विकास भारी मात्रा में हो रहा है तथा उसका भविष्य भी उज्ज्वल है। इसको बढ़ावा देने के लिए गुजरात राज्य के भरूच जले के सायका गांव में एक प्लास्टिक पार्क के लिए दरखास्त केंद्र सरकार को भेजी गई है। हाल ही में अन्य राज्यों में प्लास्टिक पार्क की मंजूरी दे दी गई है।

अतः मेरी मांग है कि गुजरात में प्लास्टिक पार्क के निर्माण हेतु गुजरात सरकार की दरखास्त को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए, जिससे गुजरात में उद्योग जगत में विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(xv) Need to review the decision to shift the headquarters of Central Institute of Plastics Engineering from Chennai

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Recently, the Director General - Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET) has been requested by the Ministry of Chemicals and Fertilizers to take action to shift the headquarters of CIPET from Chennai to Delhi NCR. This has come as a shock to the State and to the plastic industry. CIPET is a premier research organization first established in Chennai in 1968 which has grown and spread all over India over the years. Tamil Nadu is one of the most industrialised states in the country, with need for varied applications for plastics in major industries like automobiles, heavy engineering, medical instrumentation, electronics and communication, electrical engineering, etc. The industries and the CIPET have both mutually benefited from the economic progress of the State. The geographical location of the headquarters of CIPET at Chennai is cited as the reason for the shifting. In this regard, given the modern day communication facilities and transportation available, shifting the headquarters of a national institute to Delhi NCR may easily be avoided by opting for various technological options available. It would in fact be depriving the entire southern States the advantage of having the institute in Chennai; not to mention the costs, logistics and hardship involved in the shifting of the headquarters from Chennai. Hence the Ministry of Chemicals and Fertilizers must reconsider its decision to shift the headquarters of CIPET from Chennai.

(xvi) Need to take steps to protect IT professionals in USA

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The attacks on Indians in USA following the US President's immigration rhetoric are causing concern. Indian techie from Andhra Pradesh, Srinivas Kuchibhotla was shot dead and his friend, Alok Madassani seriously injured in Olathe, Kansas on 22nd February by an American shouting anti-immigrant slogans. Another Indian, Harnish Patel, a convenience store owner, who was killed as he was closing his shop at Lancaster, South Carolina. Again on 4th March, one more Indian was attacked, namely Deep Rai in Kent, Washington State. In spite of the Foreign Secretary's visit to the U S for discussing matters relating to H-1B visas; the US government has put clarity H-1B visas on hold. Top Indian officials tried to plead for viewing it as trade and service matter and not an immigration one. The US Government has drafted an executive order to overhaul the work-visa programmes and place restrictions on H-1 B visas. A separate bill has been introduced in the US Congress in this regard. I urge the government to take immediate steps to protect our IT companies and professionals by giving them full support and must take up the matter at the top most level so that the insecurity in the minds of Indian immigrants can be removed.

(xvii) Need to control and prevent Cervical Cancer among women

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Cervical cancer is the most common cancer among Indian women and number one reason for causing death of women in India. Cervical cancer generally strikes women at the age of 35 years and reaches a peak between 55 and 64 years. This cancer is curable by preventive treatment and vaccination. Over 100 countries gained immunisation against cervical cancer. In India, there is an urgent need for initiation of community screening education programmes for the control and prevention of cervical cancer in rural, tribal and backward regions of India.

(xviii) The issue of missing children in the country

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Data on missing children shows that over 3.25 lakh children went missing between 2011 and 2014 (till June) on an average of nearly 1 lakh children going missing every year. More worryingly, 55% per cent of those missing are girls and 45% of all missing children have remained untraceable as yet raising fears of them having been either killed or pushed into begging or prostitution rackets. Therefore, I urge the Government to create a high level task force to look into this matter and formulate a detailed and implementable plan to intervene in this matter and solve the missing children problem in our country.

(xix) Need to establish a new railway zone at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): The Government of India had assured in the A.P. Reorganization Bill 2014 that a new Railway Zone will be set up in Andhra Pradesh comprising three Divisions, namely, Vijayawada, Guntur and Guntakal and the Waltair Division of the East Coast Railway.

For almost a decade, there has been a demand for new Railway Zone with Visakhapatnam as its Headquarters, as the present Waltair Division is the highest revenue earner in the East Coast Railway Zone. The total earnings of the Waltair Division is about Rs.6,280 crores in 2013-14 i.e., about 50% of the total annual revenue of the East Coast Railway Zone.

Visakhapatnam has natural advantage of having 2 Major Ports. Abundant land bank is readily available near the Visakhapatnam Railway Station. Waltair Division has the biggest Loco Shed and an excellent Coach Maintenance Depot.

Visakhapatnam is the fastest growing City in Asia having several reputed organizations like Eastern Naval Command, NSTL, BHEL, BARC, HPCL Refinery, Hinduja Power Project etc., and the present Waltair Railway Division has all medical, educational, sports, infrastructure etc., to meet the requirements of the new Railway Zone.

After the bifurcation of Andhra Pradesh, the formation of a new Railway Zone in Andhra Pradesh has become a necessity as the Headquarters of the South Central Railway is located at Secunderabad in Telangana. It is obvious to integrate Waltair Division of the East Coast Railway with three Divisions of South Central Railway and give Andhra Pradesh a new Railway Zone, and Visakhapatnam is the ideal choice for locating the headquarters of the proposed new Railway Zone.

(xx) Need to allocate adequate funds for Kothapalli-Manoharabad-Akkannapet-Medak railway line in Telangana

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister of Railways towards Kothapalli-Manoharabad-Akkannapet-Medak Railway line which is an ongoing project.

As the construction of the said line has started recently, Ministry has to allocate sufficient funds to complete the execution of the work at the earliest.

Keeping in view of the need of the railway line in the backward State of newly formed Telangana, I strongly urge upon the Hon'ble Minister of Railways to sanction and allocate sufficient funds in this Budget for its early completion.

(xxi) Need to increase the limit of medical assistance under the Prime Minister's National Relief Fund

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to request Hon'ble Prime Minister to enhance the maximum level of assistance from Rs. 3 lakh to Rs. 5 lakh under the Prime Minister's National Relief Fund to poor patients towards emergency surgeries like heart surgeries, kidney transplantation and cancer treatment etc. Sudden huge expenditure towards immediate surgery or hospitalization is an unbearable burden for people from deprived socio-economic background. I have forwarded several appeals of poor patients who require a sum of minimum Rs. 15 lakh for surgeries, but only Rs.3 lakh could be availed under the PM National Relief Fund. Even though the assistance under PMNRF provides certain relief instantly but compared to the actual requirement of money for the entire treatment, it is very meagre. Therefore, I urge Hon'ble Prime Minister to consider enhancement of the relief amount.

(xxii) Need to take measure for improvement of agriculture sector in the country.

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : चालू वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन गत 5 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक 271.98 मिलियन मीट्रिक टन है। यह एक सुखद समाचार है किंतु अधिक उत्पादन से देश के किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कर्ज के भुगतान से विवश किसान आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। कर्ज उपलब्ध कराने की सरकारी व्यवस्था किसान के आर्थिक संकट को निपटाने में समर्थ नहीं है। 1951 में देश का किसान परिवार बैंकों के माध्यम से 7.2 प्रतिशत ऋण प्राप्त करता था जो अभी 2013 तक 56 प्रतिशत ही ऋण इस स्रोत से ले पा रहा है। नेशनल सेम्पल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2002-2003 में भारतीय किसान की मासिक आय 2,115 रुपये थी जो 2012-2013 में बढ़कर 6,426 रुपये हो गयी। इस दशक में किसान की आय बढ़ी परन्तु किसान द्वारा आत्महत्या करने की विवशता भी बड़ी दिखायी देती है। मेरा विचार है कि देश की समृद्धि गाँव की समृद्धि के साथ जुड़ी है और गाँव की समृद्धि खेती की खुशहाली पर निर्भर है।

इसलिये मेरा आग्रह है कि सरकार देश में विकास के मॉडल पर पुनः विचार करे। सरकार देश में किसान की समृद्धि के लिये खेती के विकास पर बल देते हुए योजना युद्धस्तर पर लागू करे और वर्तमान कृषि विकास योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन कर जवाबदेह आधार पर खेती के विकास के लिए परियोजनायें तैयार करे।

(xxiii) Need to issue final notification regarding Environment Sensitive Area

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): The issue regarding the Environment Sensitive Area (ESA) across the Western Ghats is still pending with the Government. The Government has issued 3 draft notifications to notify ESAs proposed by the High Level working Group (HLWG). The final notification is yet to be issued. However, the restrictions and regulations as per the order dated 13.11.2013 are still in force, which impede developmental activities in the proposed ESAs. Ground work and demarcation process was also done by various States and reports have been submitted also. The Government of Kerala has confined the ESA within the Forest. Hence I urge upon the Government to issue the final notification at the earliest, excluding the Human Habitations, agricultural lands and plantations from ESA.

14.45 hours**MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) BILL, 2016****(As passed by Rajya Sabha)**

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the House will now take up Item No. 12 – The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016.

Hon. Minister, please.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

Sir, it is my honour and privilege to bring this progressive Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016 in this august House.

In India, and also in the world-over, the labour has been recognized as a force to reckon with; and participation of woman workforce in the formal sector has been increased. However the well-being of the woman during her pregnancy and after childbirth has been a matter of serious concern. That is why, though the labour is under the Concurrent List, the various legislations have been passed by the respective Legislative Assemblies and also by the Parliament, to safeguard the interests of workers in the country.

So, this Maternity Benefit Act, 1961 is one such important legislation for providing maternity benefit to the woman workforce in the organized sector.

The Act regulates the employment of women employees in certain establishments for certain periods before and after child birth and provides for maternity and certain other benefits.

The Act has been enacted to secure the family and bring uniformity in respect of maternity benefit to woman workers. This is as per the Employees' State Insurance Act, 1948, which is relating to the maternity benefit.

Sir, the Act, in the first instance, applies to mines, factories, circus industry, plantations, shops and other establishments employing 10 or more persons including any establishment belonging to the Government except the ESIC Act. It can extend other establishments by the State Government with the prior approval of the Central Government.

Sir, the Act was amended in 2008. The earlier ceiling was Rs. 250 only as a medical bonus under the Maternity Benefit Act, 1961. Now, it has been increased up to Rs. 1000 if no pre-natal confinement and post-natal care is provided for by the employer, free of charge. Besides, the power of increased medical bonus was given to the Central Government subject to the maximum amount of Rs. 25,000.

Our 44th, 45th and 46th Indian Labour Conferences have recommended for enhancement of this mandatory benefit. The Ministry of Women and Child Development has also requested our Ministry to enhance the Maternity Leave under this Act. Based on the recommendations of ILC, the Ministry of Women and Child Development and other organisations, we have now proposed to increase the maternity benefit from 12 weeks to 26 weeks for two surviving children and 12 weeks for more than two children. For the commissioning mothers and adopting mothers, the maternity benefit will be 12 weeks.

We have also facilitated the mothers to work from home in this Bill. There is a mandatory provision of crèche in respect of establishment of 50 or more employees. Every establishment has to intimate in writing or electrically to its women employees, at the time of their initial appointment, about the maternity benefits under this Bill. The very objective of this Bill is to increase the maternity benefits for the purpose of providing full maternal care to a newborn child during the most formative period. The enhanced benefits, which are proposed in the present amending Bill, will have a positive impact on women participation in the labour force. It will improve work-life balance of the woman workers. It has been

the endeavour of the Government to ensure the well-being of the mother and her child. The amendments proposed in this Bill will go a long way in this direction.

Sir, if this Bill is passed, I am sure, it will benefit mothers who are employing in organised sector of this country. This is also a move in the right direction and in the vision of NDA Government led by hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. This will provide benefits to the women workforce and to encourage them to participate in the overall economic growth of the country.

With these words, I commend this Bill for the consideration of this august House.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): I would like to thank you, Sir. The Maternity Benefit Bill 2016 is an important Bill. I was just crossing my mind this morning whether this Bill has been brought today in light of the fact that yesterday was the International Women's Day or not. In my view this Bill addresses the dilemma of women in organized sector who are pregnant or lactating but it is not just about the women of India. The reason I say this is the strength of our future generation, their capacity to work, whether it is health or strength, internal or external, it directly depends on how well we look after our women when they are pregnant and how much of care we give our women during the period when they are lactating or when they are breastfeeding their children. This Bill although focuses on that phase of a woman's life but how well we implement this Bill has a direct impact on the health of our future generations. After all, it is a woman's physical strength which will give birth to a strong child, which will in turn take part in some form of nation building.

Sir, this Bill is significant also for the reason that over a period of time, right from the Law Commission of India, there has been a consistent demand that the maternity benefit period should be raised. The reason that this argument has repeatedly come into the public domain is to improve the volume of women in our country's work force. If we could make that increment, that increase in the contribution of women in our work force, it is bound to have a direct impact on our growth rate, on our economy. So, flowing from that, rather than looking at this just as a women's Bill and connecting it to International Women's Day, I feel that this Bill has a larger economic impact, sociological impact and it will definitely impact the future of our country.

I would briefly address the key amendments as the opening speaker. The maternity benefit will apply to the organized sector where there are 10 or more employees and the period has been extended from 12 weeks to 26 weeks. So, it will apply to factories, mines, shops and establishments and significantly where this period was applicable to only six weeks before the expected date of delivery,

if I remember correctly. Now, it can date back to eight weeks before the expected date of delivery. I think, that is a good amendment. Apart from that, it says if you have two or more children, this period will be reduced to 12 weeks. Also, there is a new concept of commissioning mothers. Adopting is although not a new concept; commissioning mothers are mothers who will use their eggs to have surrogate children. For them, provided the child is below three months, the maternity benefit period is 12 weeks. As the hon. Minister said, any establishment with 50 or more employees will have to have crèche facilities with all women who will have rights to at least four visits to the crèche. Apart from that, the employer and the employee, during the period of maternity benefit, will have the option to work out from home on mutually agreed terms and conditions.

Now the question is this. I go back to why maternity benefit becomes important in work place for a woman. It is because, actually if you look at the figures of our nation, it is quite saddening because recently a well-known organization like 'Save the Children' had conducted a survey and India is actually ranked 140th out of 179 countries in the Mothers' Index rank. The reason this figure or this data is important is because one of the criteria in ranking India as a nation for Mothers' Index rank is maternal health and children's well-being. It is also well established in various data and the public domain that only 25 per cent of the paid labour force are women *versus* the global figures which is at an average of 40 per cent.

I need not emphasize that 90 per cent of our women are actually working in the unorganized sector and it is only 1.8 million of the pregnant ladies in the country that will actually benefit from this new legislation. It is because, 90 per cent of the women who work, who are part of the labour force, work in the unorganized sector. So the question is, if we were to say that the Unorganised Workers' Social Security Act 2008 covers that, I would request the Minister to ensure that there is parity without which the consequence will be to leave out most of the working women of this country.

Apart from that, when we talk about maternity benefit, it has a direct impact on treating a man and a woman equally in a work place.

15.00 hours

This Bill looks very progressive but my greatest fear is this. Will it act as a deterrent in the private sector? Today, if a 22 or 23 or 24 year old girl applies for a job, this will be the first thought in the mind of the employers that hiring a young woman, who is otherwise very capable and well qualified, do I take on a financial burden? In that, the entire maternity benefit has to be borne by the employer. There is no provision for the Government funding. There is no provision of social insurance which exists in many other developed nations. So, I wonder whether this benefit to a woman will be counter productive when it comes to increasing employability of women in the workforce.

There are two ways that we can deal with it. The obvious one I just stated is funding and I think an innovative thing to do would be to make paternity leave mandatory. If a man and a woman are both entitled to that, the presumption would be just like a woman would avail it, there is every chance that a man will avail and therefore, it does not work as a disadvantage for the woman.

The Minister for Women and Child Development has also written to the hon. Minister but I am pained to say that I am surprised that the hon. Minister for Women and Child Development, who brought the amendment in the Juvenile Justice Act has recognized it in the Act the right of a single man to adopt not just a single woman, although he cannot adopt a girl child. Today by not giving him paternity benefit, the benefit of taking leave or a fully paid leave when he adopts a child, are we discriminating against that man? It is because how is he, as a single father, going to look after his infant child? So, I urge this Government to think about this and make it mandatory just like it is for woman. So, should it be for fathers also whether he is single or whether he is married?

Apart from that, there is a criterion for the commissioning mother and for a mother adopting legally, if I understand it correctly that the child must be less than

three months. Now, what I do not understand is that what is the reason for that criteria. Today, if I have four month old child which I have got through surrogacy or which I have got through adoption, why should this law discriminate against a child which is four or five months? If there is any justification for it, then I hope that the hon. Minister will clarify what that justification is. Apart from that, very strangely, that after your second child, your period for maternity benefit substantially comes down to 12 weeks if I am not wrong. I mean I am compelled to say and I have vested interest in it.

Mr. Deputy Speaker, I am the fourth child in my family. I have three sisters older than me. So, if my mother was working when I was born, I would feel that my Government is discriminating against me. The benefit of having my mother in the home when my two elder sisters are brought up, why should you deprive of a third or a fourth child of that benefit? I see no reason why unless it is a family planning policy in disguise which has been brought into the Maternity Benefit Bill. I hope you will clarify that in your reply.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, Sakshi Maharaj Ji always pleads with people that you should produce ten children. Then, what about this Bill?

HON. DEPUTY SPEAKER: The Government policy is different.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: They are always pleading and they all are clapping that one should produce ten children. What about that? Then, this Act will not be applicable.

HON. DEPUTY SPEAKER: The individual opinion expressed cannot be taken. The Government policy is different. Family planning is a Government policy. Therefore, that cannot be taken for granted.

... (*Interruptions*)

KUMARI SUSHMITA DEV: Deputy Speaker, Sir, I would like to remind the hon. Minister that it is in his Statement of Objects and Reasons that he is talking

about the well being of the mother and the child. Assuming that my Government means what they say and my Government will act on what they say, I request you to remove this restriction on the third and the fourth child.

Last but not the least is the facility of a crèche. As the hon. Minister said, there is a criteria where there are 50 employees and more, there is a requirement of a crèche which is mandatory. Now the question I ask rather is: “Would it be better if all the 50 employees were men, there would be no requirement for a creche?” So, the criteria should be rephrased to say, if any establishment has five women or more, three women or more or even one woman, whatever the hon. Minister is saying, that is when a requirement of a crèche should become mandatory. Otherwise, in an establishment of 50 male employees, how can it be mandatory? So, I would end by saying that, do not restrict it to four visits because there are enough examples in the world where nursing breaks or encourages into whatever extent as required by the women. It is very draconian to say four, three, five, two times because there is no logic to it in any legislation.

I have to say, hon. Minister, me and my colleagues were discussing that he has brought so many reforms in the labour sector. But performance must be also followed by thoroughness and deep thought into what is the law that we are bringing so that it actually serves this purpose. I hope that the hon. Minister will think about this.

And, I end my speech by saying that equality of men and women can never happen at birth. I think we are different. We are born differently, and that is the way nature mandates or God mandates but we all have a duty whether it is as members of the society or as a Minister of the Government to make those interventions which actually remove those physical barriers and actually meet what has been envisioned in the directive principles of the State policy in our Constitution.

With that, I end my speech and I thank my Party for giving me an opportunity.

DR. PRITAM GOPINATH MUNDE (BEED): Sir, at the outset I would like to thank you for giving me the opportunity to talk on this very important topic of the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016.

This Bill mainly proposes to offer certain changes in the Maternity Benefit Act of 1961. The prime focus of which is to increase the duration of maternity leave from 12 weeks to 26 weeks. Now, with the social media and everything, the information that is available to us now is that everybody knows that the World Health Organisation recommends that children must be exclusively breastfed till the age of six months for their better physical and mental development as that also has certain maternity health benefits.

Today when we are dealing with a huge number of infant mortality rates due to malnutrition, does it not become our first priority to provide adequate nutrition and rest to the pregnant and the nursing mother? When we say India is the youngest country, that means, we have a large number of young population. Is it important only to have young people in our country? Is it not important to have healthy young population? So, I feel this increase in the maternity leave is a very important point here.

It also talks about providing 12 weeks leave to the commissioning mothers and adopting mothers. One more important point this Amendment Bill highlights is providing crèche facilities within a prescribed distance at every establishment with 50 or more employees. Here I would like to mention an initiative that has been started by Maharashtra Government. There is a special room provided in Government setups, offices called 'Hirkarni Kaksh' where nursing mother, a lactating mother can breastfeed her child even when she likes to work. So, I feel such initiatives can be started by other States and even the Central Government can start it. So, once we start such initiatives at the Government offices, it is easier for us to implement it in private sector as well.

One other most important point in this amendment is letting the woman work from her home, if the job permits her to do so. Then, the other important

feature, according to me, is that every establishment has to inform its woman employee about the maternity benefits available to her during appointment by telling her in writing as well as electronically. But this, I feel, will be applicable only to the organized sectors. What about the unorganized sectors? Who will make these woman employees aware of the maternity benefits which they are entitled to get.

If we talk about the unorganized sectors, if we talk about the workers who are not working in bigger firms or people who are working in farms – what about those workers? What about sugarcane cutters? These people migrate from district to district and not only in districts but through States also. When they are migrating more than six to seven months a year, what facilities are we providing to those women? That is something to be looked into. This is what I feel.

If the Government makes it compulsory for the Government hospitals to counsel all the pregnant women, as we have one such pre-testing counselling compulsory for HIV patients. Similar counselling, I feel, is to be made compulsory when we are encouraging institutional deliveries. I think these institutions should also inform the women about their rights of maternity benefits, whether they belong to organized or unorganized sectors because that is how we would be able to reach out to a larger population. I do not think there is any other mode where you can reach the unorganised sector women and tell them about the benefits they can really avail.

Women working in unorganized sectors should be informed about *Janani Suraksha Yojana* and *Matritva Sahyog Yojana*, which will entitle them to be provided with Rs.6000 for birth for her child.

Increasing the maternity leave will have financial concerns also. A few countries like Singapore and South Africa have a mixed model of working towards the sources of funding, that is, the employers bear the cost and also the Government has its share in it. Some similar thing can be tried in our country also.

The private companies tend to spend a share of their profit at CSR activities. I think, developing a healthier next generation should be one of the top priorities of such companies also. Certain NGOs can also take up this cause.

The only changes which I would like to suggest from my speech to the hon. Minister is inclusion of unorganised sector as well as provisions for paternity leave in this amendment. Hon. Member, Ms. Sushmita Dev also said that paternity leave should be included in this Bill. These days the trend of nuclear families is increasing day by day. If a couple stays somewhere in some town for their job and if the mother is taking maternity leave, the father also has equal responsibility and he can give his share by taking paternity leave. So, I feel that provisions for paternity leave should be included in it.

Not elaborating it more, I would just like to end it by saying that when we talk about woman empowerment, it is not enough only to talk about it, but it is time when we really empower our women to take their own decisions without any pressure or any guilt because maternity is not just a phase, it is a way of life a woman starts living since the minute she conceives. So, why should we force her to choose between her job and her child's development, why not we empower her to be a better mother at the same time doing a good professional or a bread winner for her family?

In the end, I would like to wish all the women belated happy Woman's Day. I would like to end my speech by supporting this Bill. Thank you.

*SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI): Hon. Deputy Speaker Sir, Vanakkam. I thank you for allowing me to speak on Maternity Benefits (Amendment) Bill, 2016. Women are like eyes and vision to a nation. Women are excelling in every field of activity. Women constitute more than half of our population and it is necessary to ensure that their rights are restored. This Maternity Benefits (Amendment) Bill aims to protect the Maternal health and Child health especially during pregnancy. Organizations like World Health Organization (WHO) which have expertise in the field of health care have also suggested for increasing the period of maternity leave for at least 24 weeks in order to protect maternal and child care. Indian Law Commission in the year 2015 had also recommended for bringing in changes in the labours laws particularly for increasing the maternity leave for 24 weeks. Indian Law Commission had also recommended for inclusion of workers of unorganized sector to avail this benefit. This Bill proposes to bring amendments to the Maternity Benefits Act of 1961. With this background, the Bill proposing to increase the maternity leave period from 12 weeks to 26 weeks, has now been taken up for consideration and passing in Lok Sabha. This Bill was passed with amendments in Rajya Sabha on 11 August 2016.

When we look at the countries of the world, only in Britain and Australia a maternity leave for 52 weeks is granted for women. By way of increasing the maternity leave upto 26 weeks at least we have tried to reach the half-way of this benchmark. But when we compare ourselves with other countries of the world, we are in a better position. It may be easy to implement this provision in the Government Sector. But the real challenge lies in implementing it in the private and unorganized sectors. But government must ensure that working women of these sectors are also benefitted. I welcome the provision of this Bill which allows women to work from home particularly during pregnancy if the nature of work permits them to do so. Another provision restricts pregnant women to avail this leave benefit of 26 weeks only for two children. If she has more than two children

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

the mother is permitted to take only 12 weeks of maternity leave. I want to know that whether you have proposed this amendment keeping in view the population explosion taking place in the country. Mothers who adopt children whose age is less than three months are permitted to avail 12 weeks of maternity leave. I welcome this provision. I also wholeheartedly appreciate the proposal to allow commissioning mothers to avail this leave benefit for 12 weeks. It would benefit women particularly those who work in unorganized sector in a big way. The Bill provides for mandatory setting up of Creches or baby care centers at work places, where more than 50 employees are employed. Government should also take necessary steps to bring down the maternal and infant mortality rates. The State Government of Tamil Nadu, working in the footsteps of former Chief Minister *Puratchithalaivi Amma*, has been implementing several ambitious schemes for the welfare of women, especially women workers. When Hon. Amma was the Chief Minister of Tamil Nadu, there was a historic announcement made by Hon. Amma under Rule 110, that the period of maternity leave for female employees in Government may be increased from 6 to 9 months. Maternity leave was granted to Woman employees in Government for 9 months with fully paid salary. A Government Order (G.O.) in this regard was also issued by the State Government. This is a spectacular achievement to be engraved in golden letters in the political history of our country. The female employees in Government by themselves can determine the period from when they want to avail 9-month maternity leave i.e. from conception till delivery of baby. Female employees in Government, who are on leave, are also eligible to avail this maternity leave and can go for extension of leave. In the footsteps of former Chief Minister of Tamil Nadu Hon. *Puratchthalaivi Amma*, the State Government of Tamil Nadu has been implementing several welfare schemes meant for Women especially woman labourers. As many as 20 new working women's hostels were set up in Tamil Nadu. At the time of marriage educated women are being provided a financial assistance along with 8 gms of gold for Thirumangalyam.-Mangal Sutra. Under

the Chief Minister Girl Child Protection Scheme, every year approximately 2.5 lakh female children are benefitted. The limit for availing the maturity benefits under this Scheme has also been relaxed from 20 to 18 years. As an ambitious Scheme, the Cradle baby scheme is being implemented in Tamil Nadu. The Integrated Child Development Scheme (ICDS) is being implemented in Tamil Nadu with an expenditure of Rs.1475 Crore every year. Around 24 lakh and 41 thousand Anganwadi children, 6 lakh 88 thousand pregnant and lactating mothers are being benefitted under this Scheme. As an ambitious Scheme, Mobile Anganwadi services are also provided to the displaced labourers and their families in Tamil Nadu. Amma Canteen is a Scheme for providing food at nominal costs to the women labourers. The health of women workers is also protected to a large extent. I wish to stress that adequate funds need to be allocated for many welfare programmes that are being implemented in Tamil Nadu successfully in the footsteps of former Chief Minister Hon. *Puratchithalaivi* Amma. If the Schemes implemented in Tamil Nadu are found worth of implementing throughout the country, the Union Government should try to do so. I once again wholeheartedly welcome this Maternity Benefits Amendment Bill, 2016. Thank you for this opportunity.

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Sir, at the very outset, I would like to state that this Bill is welcome as it extends maternity leave to 26 from the present 12 weeks. As the House is aware, the said Bill seeks to increase maternity leave from 12 weeks to 26 weeks for two surviving children and the said provision will be applicable to all establishments employing 10 or more people.

The Bill also provides 12 weeks leave for commissioning and adopting mothers and makes it mandatory to provide crèche facility for establishments where the number of workers is 50 and above. At present, the Maternity Benefit Act does not provide any maternity leave for commissioning or adopting mothers. Hence, I have an apprehension because no establishment would be willing to follow this provision of the law. Hence, I would suggest that the monitoring mechanism should be strictly adhering to the provisions of the Act and they should be put in place in the organized and unorganized sectors.

The legislation must include decentralized grievance redressal system for non-implementation of the Act. But women in unorganized sector including Government frontline workers like ASHA workers who provide maternal healthcare linkage to all women; mid-day meal worker; Anganwadi worker and helper; and women working under MGNREGA do not get any wage compensation during pregnancy and childbirth.

The object of maternity leave and benefit is to protect the dignity of motherhood by providing for full and healthy maintenance of a woman and her child when she is not working. In today's age, more and more women are joining the workforce, and in this scenario it is important to ensure that a woman striving for self-sufficiency does not have to compromise on her role as a caregiver to her child. Studies have shown that longer maternity leaves are likely to produce health benefits.

Expectant and nursing mothers require special protection to prevent harm to their own health and the infant's health. They need adequate time to give birth; to recover; and to nurse their children. At the same time, they also require protection

to ensure that they will not lose their job simply because of pregnancy or maternity leave. Such protection ensures women equal access to employment. Sir, women are estimated to be only 30 per cent of all economically active individuals. Even though they account for 48 per cent of the population, only one per cent of women are employed in the State and Central Government and 3 per cent are at legislative, management and senior official positions.

Maternity benefits are crucial as malnutrition continues to be a huge hurdle. In India, almost one in every three children, or an alarming 4.8 crore children are stunted. Without benefits, it often becomes difficult for a single mother to provide adequate nutrition for her child. A mother also has to ensure that a child is fully immunised against all types of diseases. India is still a long way off from securing 100 per cent immunisation for all children. In fact, the first phase of National Family Health Survey, 2015-16 revealed that the highest percentage of fully immunised children is from Goa, Sikkim, Puducherry and West Bengal.

Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana is conditional cash transfer scheme for improved health and nutrition of pregnant and lactating mothers. This scheme is being implemented in 52 districts for women above the age of 19 years for their first two births. It is estimated that about 3 crore women get pregnant every year. If Rs. 60,000 is given to each of them, then Rs. 18,000 crore is needed every year. However, in the present Budget, only Rs. 400 crore has been allocated to the Scheme. This needs to be looked into by the Government.

Sir, I would like to mention something about my State. In West Bengal, what is being done for pregnant women? In the case of construction workers in unorganised sector, baby boys are given an amount of Rs. 6000 and baby girl is given Rs. 12000. If the woman stays in the hospital even after three days, she is given Rs. 200 per day.

Earlier, we would live in a joint family. When a new born would arrive, the whole family would tend to the new born. Now, we have a nuclear family where you do not have anyone to take care of the new born. Mother and father have to do

everything to take care of their new born. Hence, there is a need for certain facilities for father also. That is the paternal leave.

In our State of West Bengal, our Chief Minister has given paternity leave for thirty days. In the Bill, it is stated, in other cases, the existing period of twelve weeks maternity benefits shall continue. Those women who have more than two children would be given 12 weeks of maternity leave. Hence, I would like to suggest to the hon. Minister to have a relook at this because what the mother would do with 12 weeks leave as she needs more time to bring the child to a certain stage before she joins the work. I hope, the hon. Minister would respond to this.

Let there be a clear cut method of extending to 26 weeks of maternity leave as per the Bill. When would the mother go on leave? When would this 26 weeks of maternity leave start? For example, two months before delivery and four months after delivery, I think, would be ideal as far as I am concerned. I would like to request the hon. Minister to take care of women in the unorganised sector where women workforce is in a large number and in majority; and that is the reason why women in unorganised sector are the worst sufferers. I hope, the hon. Minister would pay special emphasis on women workers in the unorganised sector.

I appreciate the thought the Government has put behind the Bill. You also need to work towards building a future where women hold an equal stake in every aspect of India - social political and economic life.

For a child, the most important person in its life is the mother. Let us ensure that we build an India where every woman is free to achieve her dreams and no child is bereft of love that only a mother can provide.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir,, I am the odd speaker out because...

HON. DEPUTY-SPEAKER: There are other speakers as well, apart from you. Following you, other speakers who are in the list will be called.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I am the first male speaker. There have been a line of...

HON. DEPUTY-SPEAKER: Satpathy Ji, they are already advocating some benefits for males also. There is already an amendment given by the lady Members. They want the benefits to be extended to fathers also.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, thank you for allowing me to speak today.

We have been kind of overburdened, bored and sick of this Government just throwing these economy-related Bills on the House and on all of us: the torture of making business easy for a few handful people, who will make money to be paid to political parties, and we are bearing the brunt of passing all those laws which will help a handful of Indians, not the large number of Indians. The large number of Indians are very excited about certain things. Time has its corrective nature and, gradually, time will also tell who was right, who is wrong and what is or is not good for the nation.

I am very happy that our Labour Minister has brought this Bill which I consider as a social Bill. It has not got much to do with economy; it has got more to do with the social aspect of how our people live in this country, how we deal with our women folk and, actually now the world is turned, how the women folk want to deal with us. In this connection, while congratulating the Labour Minister, I would also like to congratulate another very prominent Minister, Shri J.P. Nadda, the Health Minister and his Health Secretary, Mr. Mishra, for introducing this gender sensitization for adolescents. I did not know this Government was doing something so good because our sight is always blurred by this one single individual occupying the whole space. All these people are doing such good work,

poor gentlemen and poor ladies, but they are getting overshadowed. I feel sorry for them. They need a break. They honestly need a break. They have to burst out.

There is a story that when the egg breaks from within, life is created; when you break the egg from outside, life dies. So, it is now up to you people that you break out from within and create a new India. We have hope even now, in spite of all the biggies and the baddies. In this Health Ministry, the step that they have started is a very interesting thing. It is a progressive move in which they go to schools. They have trained teachers/trained personnel who are going to schools and telling the boys that it is okay for a boy to cry. In our homes, and especially you would have noticed, Sir, because you have spent so many years in North India, in this wild land, what happens is, the father and the mother while addressing their daughter will say, “बेटा इधर आओ!” They never say “*Beti*” which is amazing. It is a social thing; it is a serious thing. We are not willing to acknowledge our daughters as daughters by not giving them respect. We wish that they were boys. Imagine if the whole country was full of male citizens! What a lovely life it would be!

So, in this gender sensitization thing, they are also telling the young people that attraction towards same sex is not bad which I think is a very justified thing. They are also telling to girls that when a girl says ‘no’ to something, she should stick to that ‘no’. The Indian, matured, dirty-minded male has to understand that when a woman or a girl says ‘no’, it means ‘no’, keep away from her. We have to inculcate it in our society to understand this.

Anyway, I congratulate both the Labour Minister and the Health Minister and also their Secretaries for really some good work that they are doing. I am very happy about it.

Now, returning to the Bill, this House needs to pay attention to the wage gap between men and women. Today also, there is no parity in that. Women are half of our society. But, we are unwilling to accept that fact. Men and women primarily work for two reasons. One is, they want to be independent; they want to

be self-sufficient; they want to be self-dependent; and they want to work. Secondly, they work and especially women work because they need to supplement the family's income. These are the two basic conditions that compel or induce a person to work. Like I said, in this macho, conservative male-dominated India, we are actually very hesitant to let our better halves to go out and work. We think that that is a shame on us that my wife, my daughter, my mother is working. That means that I am incompetent somehow. This is a wrong notion we have. I come from a family where my mother was a working woman, my cousins, my sisters are all working and my wife is also working. So, I will say, to a certain extent, that I have tried to be emancipated. I do not know how far I have succeeded. I might have friends who will not agree.

Child bearing is a very important factor for nation-building. But, we also have to consider this fact. One of our colleagues earlier spoke about India being a young nation. We are becoming too young in the sense that we are not able to educate them properly. We are not able to physically train them. We are not willing to increase or upgrade their skills. Today's Government thinks that 'skill' means whether one can be an electrician or a welder or a fitter. But for me, 'skill' means social skills. Can I behave well with my neighbour? Can I talk to a person – male or a female – with respect and regard and expect the same thing for myself? These are basic skills that we Indians and especially the younger generation are losing out. Therefore, it is also necessary that we discourage growth of population. After a couple has had two living children, up to the third child, it is fine to give 26 weeks of leave to the mother. But after the third living child, there should be no leave allowed. This 12 week leave is a humbug. This is only creating a bad precedent. I strongly oppose this. I do not know which other colleague had said this. You said that it was somebody's personal statement or personal opinion. I do not know that. But we cannot allow this country to have this burgeoning population, bursting as it seems and we are unable to feed them; we are unable to educate them; we are unable to give them basic necessities of life.

Motherhood is still frowned upon in the corporate world. We also need to consider the issue from the perspective of an employer. What will happen is -- when an employer knows that by law he has to give to one of his employees paid leave for such a long period of time -- that the employers will try to restrain women to join work. They will decrease their labour force with women. This provision of home is not at all clear as to what exactly it says and how it is to be implemented.

This Bill has an effective crèche and child care facility provision. That also needs clarification. We have always seen that poorly drafted laws made things easier for law breakers to find excuses. So, I would suggest that after the third child, the Government should come up with the proposal as to how to encourage women to focus on their career to be better at their work because women can actually be better employees. I have got two newspapers.

HON. DEPUTY SPEAKER: The family planning talks about two child norm. But you are saying about the third child also. I do not know why it should be so.

... (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Then, we will go for the fourth and the fifth, sixth, seventh and so on. Why not?

I do not know who had a thousand children in the Indian mythology. One of our *gurus* or *pundits* would be able to tell us. So, you create a machine out of your wife or your mother or your children; they become production lines like cars. Finally, it is about being a male and not being able to resist the temptation.

How about considering paternity leave? It was suggested by an earlier speaker that men should also have some facility. If they actually adopt a child, if they honestly take up an orphaned child, whether from within the family or from outside, are you willing to consider that also? It is because there are instances where male members of families have taken up children from within their families

where the parents have died due to accidents or other reasons. So, are you willing to consider that also?

I would again congratulate the Government and the Labour Minister for his speech on this Bill. We are happy that the Government is finally veering towards addressing social problems. Let them keep doing this. We will support them, not in all their nefarious activities, but in all their good activities concerning social reforms. Thank you.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 के ऊपर माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल प्रस्तावित किया है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम अंग्रेजी में कहते हैं कि *child gives birth to a mother*.

15.42 hours

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

मां होना बहुत बड़ी बात होती है। हम भाग्यवान हैं कि उस मां की कोख से हमारा जन्म हुआ। लेकिन, जब परिवार आगे बढ़ता गया तो दिक्कतें मालूम पड़ने लगीं। भगवान की दया से आज जो परिवार की पाबंदी है, वह उस वक्त नहीं थी। हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है। चार बहनें हैं, पत्नी है, बेटी है और सभी नौकरियां करने वाली हैं। यह सब देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें क्या-क्या दिक्कतें होती हैं। आपने 26 हफ्तों की प्रसूति छुट्टी की एक अच्छी सुविधा का प्रावधान किया है। सर्विस करने वाली महिलाएं, खासकर हमारे मुम्बई शहर में हम देखते हैं तो हमें उन पर बहुत गर्व होता है कि वे बेचारी क्या-क्या नहीं करती हैं। वे कितनी दूर से आती हैं? 30-40, 50-60 किलोमीटर की दूरी से नौकरी के लिए मुम्बई आती हैं, परिवार की सारी दिक्कतें देखती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं, पढ़ाती हैं, नौकरी करती हैं और फिर वे भीड़ में जाने वाली ट्रेनों से सफर भी करती हैं। ऐसी स्थिति में जब वे गर्भिणी होती हैं, तो वे क्या-क्या दिक्कतें महसूस करती हैं, उसका कोई अन्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मैंने एक बार रेलवे की मीटिंग में मांग की कि हमारी लोकल ट्रेनों में भी महिलाओं के डिब्बे में टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। पहले तो शुरू में उसे किसी ने सीरियस नहीं लिया। फिर मैंने कहा कि जब बारिश में ट्रेन दो स्टेशनों के बीच रुक जाती है और उस समय बाढ़ आई होती है, पानी भरा होता है और वे बेचारी अन्दर हैं, वह गर्भिणी है, नीचे कूद नहीं सकती। उस अवस्था में उसे किस-किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह उसी को पता है। वहां टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है।

हाल ही में मुम्बई में मेट्रो रेल दो स्टेशनों के बीच बंद पड़ी। मेट्रो रेल की तो और भी बुरी हालत है। वहां तो कहीं कूद भी नहीं सकते। वह तो ए.सी. है। बिजली गयी, गाड़ी बंद है। अंदर सफोकेशन हो रहा है और महिलाएं उसमें हैं, गर्भिणी महिला उसमें है।

बच्चे को जन्म देने के बाद उसे क्या-क्या सुविधाएं देनी हैं, हमने सिर्फ यह सोचा है, या उसके एक महीने पहले उसे क्या सुविधाएं देनी हैं। मगर, उसके पहले जो दिक्कतें उन्हें महसूस करना पड़ता है, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा।

अब रही बात 26 हफ्ते की, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि एस.ई.जेड. में यह कानून लागू होगा या नहीं होगा, यह मुझे बताना होगा। एस.ई.जेड. में आई.टी. सेक्टर आया है और आप जानते हैं कि इस सेक्टर में नौकरी लगाते समय बहुत सारी कंपनियों का नाम तो दिया जाता है कि यह कंपनी ऐसा काम करती है, वह कंपनी वैसा काम करती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि उस महिला को नौकरी देने के समय पूछा जाता है कि शादी हुई है, कब शादी करने वाली हो, अगर शादी करोगी तो बच्चा पैदा करने का क्या समय होगा, बच्चा पैदा करने का प्लानिंग क्या है? ये कंपनियां नौकरी दे रही हैं या हमारी दुनिया भर की जांच कर रही हैं। ऐसा क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनको छुट्टी देनी पड़ेगी, अगर छुट्टी देते हैं तो तनखाह भी देना पड़ेगा। यह छुट्टी 12 हफ्ते के जगह 26 हफ्ते होगा, तो छह महीने की तनखाह देनी पड़ेगी। वह पेड लीव होगी।

अब एस.ई.जेड. में हमारी जो महिलाएं नौकरी करती हैं, क्या आपने इन सारी एस.ई.जेड. कंपनियों के बारे में सोचा है? ऐसा मुझे नहीं लगता है। यह मेरी प्रार्थना है कि यह कानून हर जगह लागू होनी चाहिए। जैसा कि अभी हमारी भगिनी ने कहा कि क्या यह कानून अन-अर्गनाइज्ड सेक्टर में लागू होगा? उन्होंने जो उल्लेख किया, मैं खास कर जान-बूझकर उसका दोबारा उल्लेख करूंगा कि जो हमारी महिलाएं सूगर केन इंडस्ट्री में गन्ना काटने के लिए आती हैं, वे गांव छोड़कर वहां आती हैं और दूसरे राज्यों में भी जाती हैं। क्या गन्ने की फ़ैक्ट्री वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये बेचारी महिलाएं अपने बच्चों को खेत में धूप में छोड़ती हैं या पेड़ के नीचे रख देती हैं, फिर गन्ना काटने के लिए जाती हैं। अभी यह बच्चा दो महीने का भी नहीं हुआ है, उसको बेचारी महिलाएं ऐसे ही छोड़ देती हैं। वे ऐसी गरीबी में क्या करेगी? अभी उसको यह पता नहीं है कि मातृत्व सुरक्षा के तहत उसे 6 हजार रुपये मिलते हैं। वह गन्ना काटने के लिए एक गांव से निकलकर दूसरे राज्य में आयी हैं। आपको सूगर केन इंडस्ट्री को भी इसके बारे में कहना होगा, क्योंकि ये आप की डायरेक्टली एम्प्लायमेंट नहीं है। *But they are indirectly employed with you; and so if she is pregnant or if she has delivered a child, let the company take a little bit of responsibility to provide at least a crèche to the child.* इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने एस.ई.जेड. की बात कहा है।

मुझे एक बात और कहनी है, आपने यह अच्छा प्रावधान किया है कि जहां दस और इससे ज्यादा लोग हैं, इनके ऊपर कंट्रोल को कौन देखेगा? इसके लिए अपनी कौन सी टीम होगी? यह कैसे मालूम चलेगा कि वह छुट्टी देता है या नहीं देता है। वहां पर यूनियन भी फार्म नहीं होने देते हैं। आपको पता नहीं होगा कि ये लेबर लॉ को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। *You are now allowing them to form labour*

unions in the SEZs. You are not allowing them to form labour unions below 50. यह तो अभी आप कानून बना रहे हैं कि यह एक हजार तक होगा, तब ही लेबर यूनियन बना सकते हैं। अगर वह एक हजार तक के लिए लेबर यूनियन नहीं बना सकता है तो दस वाले को कौन देखेगा। इसको आप कैसे देखेंगे? इसके लिए आपके पास कौन सी प्लानिंग है जिससे इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे। ये मेरी थोड़ी सी क्वेरिज़ और मैं इस बिल का स्वागत करते हुए कहता हूँ कि इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने की जो रूल्स बनाएंगे, उस रूल में एस.ई.जेड., अन-अर्गनाइज्ड सेक्टर और खासकर यह जो दस का लेबर लॉ कहता है, जहां पर पचास या सौ होंगे, वहां पर लेबर लॉ लागू नहीं होगा, जहां हजार है वहां लेबर लॉ लागू नहीं होगा तो इनको कौन देखने वाला है। जब लेबर लॉ ही लागू नहीं है तो फिर यह कैसे लागू होगा। इसको कौन देखेगा?

माननीय सभापति: अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अरविंद सावंत: सर, मैं एक सेकेंड लूंगा। मैं फिर दोबारा इस बिल का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैंने आपके सामने जो समस्या प्रकट किया है, उसका निराकरण आप किस तरह से करेंगे, मैं इसका भी उत्तर चाहता हूँ। धन्यवाद, सभापति महोदय।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): *Dhanyavad!* On behalf of the Telugu Desam Party headed by Shri Nara Chandrababu Naidu, we wholeheartedly support this progressive legislation.

I have a small suggestion to the hon. Minister. Instead of giving these maternity benefits after the delivery of the child, we may give these benefits ever since the employee becomes pregnant; or, as soon as a girl conceives she may get the special attention. For example, in Air India owing to certain occupational hazards right from conception till delivery and after delivery also for six months they give paid holidays for these employees because they would be working in the compressed pressure chambers. There is a likelihood of her undergoing abortion. In the same way, instead of giving maternity leave or maternity benefits let us give pregnancy benefits and pregnancy leave from the day she becomes pregnant.

Sir, to understand a female's problems, physiology of pregnancy and other things, one should be born as a girl. From the time of menarche, that is attaining puberty, till menopause it is very-very difficult to understand, even to hear, the problems faced by a girl. Leave alone the problems of monthly aberrations, abortions and social discriminations, she undergoes a lot of tension. There are nutritional and social issues also. Of late, another nuisance that has started is whether the child is a male or a female. If the sex of the child has to be determined and unfortunately it is found to be a female, hell will break loose on her. Entire family, entire society will curse her for giving birth to a girl child.

There are occupational hazards. There are genetic hazards which means being born as a female she has to undergo all these problems, including social discriminations. She is already discriminated genetically as because of 'XX' chromosomes she has to undergo, from puberty till menopause, a lot of hormonal changes, health hazards and a lot of social discriminations.

Therefore, my humble suggestion to the hon. Minister is instead of giving maternity benefits after delivery let us give these benefits from the day she conceives. That will be the befitting tribute to all the women. We celebrated

International Women's Day yesterday. As far as the lactation period goes, after six months of the delivery, or the day pregnancy starts, pregnancy benefits should be given to them. If a girl conceives at the age of 16 or 18, there is always a threat of abortion. If she is allowed to work during that period there is every possibility of getting health hazard.... (*Interruptions*)

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Sir, 16 is not the legal age to work in an organization or to become pregnant.... (*Interruptions*)

DR. RAVINDRA BABU: Madam, there are instances where 14 year old girls become pregnant.... (*Interruptions*) It is wrong but it is happening.... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आपस में बात मत कीजिए।

...(व्यवधान)

DR. RAVINDRA BABU: Madam, we are in India. We are witnessing all these things.... (*Interruptions*)

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): If you are suggesting to give benefits at that age, are you encouraging... (*Interruptions*)

DR. RAVINDRA BABU: Madam, I am not suggesting any minimum age. I am only saying that benefits should be given to her the moment she becomes pregnant, whatever is the eligible age, till delivery and after delivery also six months till lactation period. There is mandatory lactation period during which the infant's health will be depending on the maternal health. Maternity benefits are fine as the maternal health decides the infant's or child's health.

माननीय सभापति: आपस में बात मत कीजिए।

...(व्यवधान)

DR. RAVINDRA BABU: I have not talked about any age.... (*Interruptions*) I am talking about 14 years as the age of attaining puberty. That may not be the age for becoming pregnant. I am sorry, you have misunderstood me. I am only trying to say that to understand the agony faced by a girl, we should be born as a female as

then only we will be able to understand it. It is very difficult to be a girl. This is what I want to impress upon. ... (*Interruptions*) My request is to give her benefit from the day when she conceives till delivery and after delivery till six months. That is only 12 months.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: Being a girl is not a genetic defect.

DR. RAVINDRA BABU: I do not know what you understood. What I am trying to say is that from the day a girl conceives pregnancy, till she delivers and the lactation period is over till six months, one should be given benefits. This is the crux of my speech. The day she becomes pregnant, till she delivers as also for six months lactation period, all these benefits should be extended to her mandatorily. I also said that to understand a female one should be born as a girl, then, only you would understand. From the day of the menarche, when she attains puberty and till menopause, the type of problems she faces nobody could understand than unless one is born as a girl. That is what I told. I do not know what you have misunderstood.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

DR. RAVINDRA BABU : This is my utter concern. My concern is so vast starting from the childhood to the menopause and till she dies. I am talking about womb to tomb. From womb to tomb, there is a discrimination against a girl child. In order to address certain problems, I am saying that these are the suggestions. There is a discrimination. That is why, I want to add these. Thank you very much for understanding me correctly.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, thank you for giving me the opportunity.

At the outset, let me congratulate the hon. Labour Minister, Shri Bandaru Dattatreya Ji, for bringing this socially progressive Bill which is definitely going to benefit a lot of mothers. As you know, delivery is like a second life for a woman. It is like a *punar janam*. During the pregnancy, the women undergo a lot of emotional trauma, physical change and also financial loss. There is a lot of connection between the Ministry of Labour and the labour room. This is the first time that the Labour Ministry has brought out a Bill, which can benefit a lot of mothers who deliver in the labour room. I congratulate him for bringing such a Bill.

At the same time, I am apprehensive about certain aspects of the Bill. We are proud to say that today India probably stands third in the world in terms of the maternal benefits by introducing the Maternity Benefit (Amendment) Bill. It is because Canada gives fifty weeks maternal benefit leave and Norway gives forty weeks, whereas India, today with this Amendment Bill, would give twenty-six weeks. We can proudly say that we are a progressive social country giving benefits to mothers.

One point which I am a little worried about is that most of the well-educated women are employed in the software industry. The women who are not well-educated are employed in the women-oriented labour intensive industry like textiles, handlooms, etc.

16.00 hours

When you are bringing this Bill, it gives a very good message that twenty-six weeks of fully paid leave would be given by the industry which employs 10 people. In the women intensive labour industry, like handloom or handicraft, suppose if the employer has to totally bear the entire expenditure, as many of the hon. Members who spoke earlier, have pointed out, it may boomerang on the employability of women.

I urge upon you to kindly give a serious thought to it and study the pattern of funding in various other countries. In many countries, the maternity benefits are born partly by the employer and partly through insurance. With the result, the entire burden does not fall on the employer and in the long run, it would not harm the employability of women.

Secondly, some people have raised some objections regarding third child. In this Bill, it is not mentioned that there should be two living children. I think you need to mention this. Otherwise, sometimes a mother might have two deliveries and might have availed of two maternal benefits. But today, infant mortality rate is high. So, if something happens to a child, that particular employer may claim that you have already availed of two benefits. Therefore, you are not eligible for third benefit. Therefore, I would request you to insert that two living children must be there. I think a restriction of two children is required in order to contain population growth in our country.

Some of our women parliamentarians have talked about paternal leave also which is very good. Today, it is a necessity also. Now most of the families are nuclear families. Sometimes one does not have an immediate father-side or mother-side relative to take care of a mother. As a doctor I have seen both husband and wife coming for a caesarean delivery and both of them staying there. So for such cases, if you give 8 weeks to 12 weeks paternal leave, it will be of immense help for the psychological, social as well as physical help to the delivering mother.

As regards adopting and commissioning mother, it is a good point. Now infertility is rising day-by-day because of obesity and environmental factors. Recently, we have seen one of the famous personalities getting a child through surrogacy. In such cases, 12 weeks leave for an adopting mother or a commissioning mother and especially for the one who donates eggs, would be a very welcome step.

A provision of crèche for a minimum of 50 employees is there. Now let us say that we have ten employees and five are women and of those two have small children. Are they not eligible for crèche? So, it should be need-based and not number-based. I would request the Minister to look afresh at this clause where it should be need-based and not number-based.

If we look at various maternity benefit laws across various States, different laws have different provisions. For example, under the Maternal Benefit Act, the employer is solely responsible for giving full salary. Under the Employees State Insurance Act, it is a mixed one and both the employer as well as State is responsible; for all India services, there is only employer fund; central services – employer funds; and factories – only employer fund.

Now let us look at the real figures. We are covering only 218 lakh women and 90 per cent of women are in unorganised sector. We are totally leaving them to fend for themselves. They are the women who require most of the help from the Government rather than those who are well to do. In such a case, what benefit this Bill will give to such women workers? Imagine the case of a domestic worker who has to work for 24 hours or maybe on part-time basis throughout the year. She is having no CL or EL or medical leave. Now she becomes pregnant.

We have no benefit for them. I know there is a scheme that provides facilities for institutional delivery. The scheme provides for a sum of Rs. 6,000 as maternity benefit. This has recently, after the demonetisation drive, been announced by the hon. Prime Minister. In our State, our Government has passed a legislation where a sum of Rs. 12000 is sought to be given for any institutional delivery and also the Government proposes to provide a kit, namely the 'KCR Kit' where all the things needed for nursing of a new born baby – it may be mosquito nets, diapers, baby food -- will be provided for. Unless and until we propose a scheme for pregnant women and delivery mothers working in the unorganised sector, we would do an injustice to them. If the Government has lesser funds, then we have a Transaction Workers Fund, then let us have some surcharge on some

items. The Government has a corporation where these could be specifically addressed.... (*Interruptions*)

Sir, in India even today 38 per cent of new born babies and children are anaemic and has stunted growth. The stunted growth of a baby starts in the womb itself. We have to address this issue at its roots. We whole-heartedly welcome the provisions of this Bill but the Government need to have a re-look on the conditions of the women workers in the unorganised sector and they also should be brought under the provisions of this Bill. They are the mainstay and constitute about 90 per cent of the workforce.

With these words, I welcome the Bill.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I think this is a privilege for me to have an opportunity to discuss issues relating to pregnant women and the future generation of this country.

Sir, this Bill seeks to amend two to three provisions of the mother Bill which was passed in the year 1961. This seeks to increase the maternity leave from 12 weeks to 26 weeks; and it also seeks to establish crèche for new born within the premises of the company which have employees more than 50.

Sir, I am happy with the provisions of the Bill. But we are too late in bringing this forward. Globally, women care more for the future of their children. In Korea, the Government provides 60 weeks maternity benefit to the mother and 30 weeks paternity benefit to the father. In some other countries like Japan, Norway, Iceland this provision exists. We can quote so many examples in this regard.

I am not a professional medical practitioner. Dr. Ravindra Babu explained in details certain health related issues. I am not going to deliberate on that. But some of the hon. Members have mentioned about one point and they said that health of the mother is very important. After the delivery of a child we can give leave and other benefits. But before the birth of a child, when pregnant women are carrying the child in her womb, we need to do something. I can say this because of an experience in my Parliamentary constituency. In half of Palakkad district, there is an *Adhivasi* area. Thirty six new born children died there due to malnutrition. I was a Member of the Standing Committee on Women and Child Development in 2009-14. Every year, we discussed many issues, and we found that the Ministry of Women and Child Development is allotted a huge budget for reducing malnutrition in our country. They requested the Government for Rs. 1.25 lakh crores to address the issue but finally, they got only Rs. 20,000 crores.

Our former Prime Minister while addressing a public meeting quoted the situation of malnutrition and said that we are behind the Sub-Saharan African countries. We have supplied help to 44 per cent of women and children suffering

from malnutrition globally. While stating such statistics, he commented that this situation is a national shame. This issue does not come under the Ministry of Labour alone. It comes under various other Ministries also.

I would request the Government to discuss it with all the Ministries and to come out with a solid proposal to deal with the situation and increase the allocation to ICDS for proper implementation and to reduce the percentage of malnutrition in our country.

Sir, in this Bill, one of the amendments is brought by the Ministry of Law. It states that an employer may permit a woman to work from home if the nature of work permits her to do so. It may lead to misuse of this clause in future. We should take it very seriously. Nobody should be allowed to misuse such a clause if maternity benefits are allowed and directs the mother to work for the company from her home itself. It is a very dangerous thing for the future.

Since many years, many companies have been started. Even the IT industry is in existence. Recently, some Members raised the issue in the House also. The State Bank of India in its advertisement had mentioned that pregnant women are not allowed to apply for that particular post. It is a shame. Even the Air India had such a direction. I do not know whether it there written in their rules or not but they have such a thing. Such a rule is there in the IT companies which does not allow pregnant women to apply in the respective company.

We have increased the period from 12 weeks to 26 weeks. This point should be taken care of. This will affect the work of women in the country. The companies are not ready to recruit pregnant women in their companies. That will reduce the job opportunities for women in this country. We should take more measures to support women in our country.

We have taken this step under the directions of WHO. International Labour Organisation Conventions and the National Law Commission.

The very important point is, the Bill does not include the unorganised sector and it has not addressed the unorganised sector. Their problems are not

being addressed in this Bill. We have 46 crores of labourers in our country. Out of this 46 crores, 14 crore labourers are women. The Law Commission directed that adequate measures should be adopted to pass on these benefits to the employees in the unorganised sector too. That direction has not been followed. It is not visible in this Bill.

So, I would request the Government to include sufficient measures to support the workers in the unorganised sector by extending the benefit of maternity leave to them. This should be extended to workers in other sectors too. The private sector is not yet ready to extend maternity leave benefit properly. So, I would request the Government to make it mandatory for the private sector to provide 26-week maternity leave to its women employees. Thank you very much.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much. I stand on behalf of my party to speak on the Bill. I take this opportunity to congratulate the hon. Minister who, in his entire tenure, during every Session has brought in a Bill for the well-being of people of society who are at the bottom of the pyramid. So, I congratulate him and thank him for all the great interventions that he is doing.

Humbly more, I remember in one of his speeches he had mentioned that he comes from a humble background where his mother was a farm labourer. That is the mother, I think, he has put in front of his eyes while drafting this entire Bill.

There are just a few clarifications that I would ask the hon. Minister to clarify. He has obviously put women as a centre point in this. But the larger picture is rationalising all the things. You have constantly come up with new innovative ideas of improving the Bill and make it stronger in the interest of women.

16.17 hours

(Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

But there are several Bills which are overlapping one another. There are several doctors who talked about women's health, women's issues, etc. There are a lot of women who have worked till the last day of having the baby. It is not necessary that all women really need these six months. So, that is the first point that I would like to make. There are a lot of women who rush back to work happily with having enough support system at home. So, it is not that every woman really needs this. So, is there an opportunity that these 26 weeks can be divided at different times? It is because everybody is made differently. So, is there an opportunity to use these six months at different times rather than taking it at one go as her child grows up? Could we do that because that is probably something a woman can use?

Extensively the unorganised sector has been talked about. How are you going to track every pregnant woman in this country and make sure that she gets every benefit? If she works in some backward farm, how are we going to track her

pregnancy? Of course, the ASHA does the job and the *anganwadi* worker does the job. But is the basic rest enough for her?

People have talked about malnutrition. I think the only point that we have all missed out in this is anaemia. The woman is never malnourished. The child is malnourished. But the woman is anaemic. That is how she has produced the malnourished child. So, the point that we really need to address is 73 per cent of women in India are anaemic. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No cross talks please.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Anaemic woman gives birth to a malnourished child. So, that is the point I was making.

Do not make this an isolated example of just leave. We need to integrate the Department of Women and Child and Health Department and the Labour Department. If they work together only then this is going to succeed.

Shri Arvind Sawant spoke very pro-women. But there were some other speeches which made us into a weaker sex, which we are not. We are proud to have our children. We are strong enough to have our children. There are times women get back to work immediately. So, this is not a petty leave that we are getting as somebody is doing us a favour and being kind. It should not be used as a deterrent against us that every time she is going to have a child, we have to give her six months salary. So, who is really going to pay this salary, especially in the unorganised sector? Who is going to pay for it? We really need to see that the Government have to play a role if they are genuinely committed to improving the situation. This is not for women who are working in IT companies. If they don't get six months salary, it is double income but it is really for the bottom of the pyramid woman. How are you going to protect and make sure that she gets the rights? That is the larger picture we need to debate. A lot has been said about the paternity leave. We are all agreeable on that.

Lastly, how will you universalise this? My only concern is, how are we going to pay it or implement it? How is it going to be universal fair treatment for all?

About the third child, in India, there are a lot of families where women does not have the third child out of her freewill, that is the point Kumari Sushmita Dev made. My point is different. I am the only child. My mother fortunately never worked. She would not have got the second leave and benefits. But in the case like Kumari Sushmita, who is the first child, what is her fault? That is not the choice she had as a child. I don't know whether her mother had to have the third child. We really need to look at it in a larger way because by the time you have, if you are really looking at biologically, by the time you have your third and fourth child, the women is physically exhausted, and also biologically exhaustive. Is it a fair deal? If it is the family planning issue, we can talk about it. ... (*Interruptions*) I have had children, you haven't, let us not get into argument. This is Parliament. Anyway, men are talking of menopause, about which I have serious objections. Who are you to decide when are we menopausal? I have complete objection on all this? ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No cross-talking please.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: There are a lot of men who are indulging in potshots. We are just dignified by keeping quiet. But I don't think we want our health to be displayed and discussed at that level. It is completely unfair. We are for gender equality. So, I don't think we are complaining. Why men in this House are complaining about and flagging issues which are irrelevant for this? ... (*Interruptions*) A few men are complaining, not all men. Some of us are with us. Thank you.

So, I would like to ask him that let us have clarity. There are millions of artisan women from smaller sections like *adivasis*. They go to work. They are not having the third and fourth child because they have social issues. How are we going to address it? This is a serious Bill. I would request the hon. Minister, while

drafting all this, he looks at all social issues, all social angles, all financial angles and rationalize all of them because these need to be consolidated. Individually, your intention is very good. I respect it; I appreciate it; and I thank you from the bottom of my heart as a woman but at the same time, how are we going to implement it to make sure that it is flawless. So, I would appreciate if in your reply you could tell us how can we get it implemented flawlessly, and it reaches the last woman who really deserves this help, who we have centered this Bill against. Thank you.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदय, आपने मुझे प्रसूति प्रसुविधा विधेयक, 2016 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बिल के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

वास्तव में यह विधेयक संगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं अपनी बात आरम्भ करने से पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और लेबर मिनिस्टर आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति के दौरान छुट्टी की समस्या को हृदय से समझा और 12 सप्ताह के अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान किया है। यह उन महिलाओं को न केवल स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की दिशा में एक कारगर कदम है, बल्कि जो नवजात शिशु हैं, उनके प्रारम्भिक पालन-पोषण करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि जब नवजात पैदा होता है तो माता तथा शिशु दोनों को ही ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। जब थोड़े समय की छुट्टी के बाद काम करने वाली महिलाओं को इतने कम समय के अवकाश के बाद काम पर जाना पड़ता है, तो बच्चे और माता, दोनों के स्वास्थ्य को यह प्रभावित करता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूँ कि यदि हम उन कर्मचारियों के अलावा, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आते हैं, कतिपय अवधि के लिए बालक जन्म से पूर्व और पश्चात् कारखानों, खानों, सर्कस, उद्योग, उद्यानों, दुकानों या संस्थापनों में, जिनमें दस से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, महिलाओं के नियोजन को विनियमित करता है और प्रसूति प्रसुविधा और अन्य लाभों के लिए उपबंध करता है।

मैं एक जमीनी सच्चाई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे साथी अरविंद सावंत जी ने कहा था कि बहुत-से नियोक्ता ऐसी महिलाओं को, जिनकी अभी-अभी शादी हुई है या उन्हें लगता है कि जल्दी ही उनकी डिलीवरी हो सकती है, तो वे ऐसी महिलाओं को नौकरी देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इन्हें नौकरी देंगे, तो इन्हें वेतन सहित छुट्टी देनी पड़ेगी और इसलिए वे या तो उन्हें आरम्भ से ही छुट्टी देते हैं या फिर उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। ऐसे में ऐसी महिलाओं को नौकरी पर रखने तथा प्रसूति के दौरान छुट्टी देने के लिए बाध्य करेगा और ऐसी महिलाओं को हम रोजगार से वंचित होने से बचा पाएंगे तथा उनको 26 सप्ताह तक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का अवसर भी दे पाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संगठित क्षेत्र में तकरीबन हर नियोक्ता, जो 10 या उससे अधिक कर्मचारी रखता है व कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत पंजीकृत होता है, वहाँ पर यह सुविधा पहले से उपलब्ध है, परन्तु हमें यह देखना होगा कि बहुत-से नियोक्ता जान-बूझकर अपने आप को कर्मचारी राज्य

बीमा निगम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं करवाते हैं। उनको पंजीकृत करवाने के लिए ईएसआईसी पहल करे। जो नियोक्ता 10 से कम कर्मचारी रखते हैं और वे भी इससे न बच पाएं। हमारे बहुत-से साथियों ने इस संबंध में बातें कही हैं कि संगठित क्षेत्र में तो यह नियम लागू होगा, परन्तु हमें असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है, ताकि वे भी प्रसूति के दौरान छुट्टी की पात्र हों।

हम और आप सभी राजनीतिक-सामाजिक हित में काम करने वाले लोग हैं। हमने देखा है कि सड़क के किनारे लोहगढ़िया परिवार की जो महिलाएं होती हैं, उनकी डिलीवरी के तीसरे-चौथे दिन से वे हथौड़ा उठाकर लोहा पीटने का काम करने लगती हैं। ऐसे ही सड़कों के किनारे बहुत-सी बहनों को देखा है, जो डिलीवरी होने के चार-पाँच दिनों के भीतर ही सिलबट्टा, खलबट्टा और चक्की बनाने का काम करती हैं। उनको कोई विशेष सुविधा नहीं मिल पाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान प्रारम्भ किया है, उसके तहत उनको छः हजार रुपये की राशि तो मिल पाती है, लेकिन ऐसी महिलाएं, जो घरेलू कामकाज करती हैं, उनको भी छुट्टी का लाभ मिल सके। इसके लिए उनकी सोशल सिक्योरिटी निर्धारित करने की आवश्यकता है और छः महीने तक एक निश्चित राशि प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकें और उनका लालन-पालन ठीक ढंग से हो सके।

भवन निर्माण में और बीड़ी निर्माण में जो महिलाएं लगी रहती हैं, उनके सुरक्षित मातृत्व के लिए, उनको सवैतनिक छुट्टी नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने की दिशा में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक सकारात्मक कदम उठाया जाना चाहिए।

दत्तक माता और अधिकृत माता के संबंध में जो बात आयी है कि वे बालक को हस्तगत करने की तारीख से 12 सप्ताह की प्रसूति सुविधा की हकदार होंगी। इसमें मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना है कि एक बायोलोजिकल माँ को अपने शिशु और माँ के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता बनाना पड़ता है, इसके लिए यह आवश्यक है। एक प्राकृतिक नियम है कि जब एक दत्तक माता को अपने शिशु और अपने बीच तालमेल स्थापित करना होता है, उसके लिए उनको ज्यादा समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस माँ का बच्चा होता है, वह माँ के पास लेटा होता है, माँ उठकर भी जाती है, तो एक महीने के बाद बच्चा टकटकी भरी नज़रों से माँ को देखने लगता है कि माँ उठकर जा रही है। इसलिए दत्तक माता को भावनात्मक रूप से संबंध स्थापित करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें दत्तक माता को भी 12 सप्ताह से ज्यादा की छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जिस बच्चे को उसने गोद लिया है, उसका लालन-पालन ठीक ढंग से कर सकें। इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

एक संशोधन और है, वह यह है कि ऐसे संस्थानों में जो माताएं काम करती हैं, उनको घर से काम करने की सुविधा हो और उसे सुगम बनाया जा सके। यह एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण उपबंध है। इससे नियोक्ता का काम भी हो पाएगा और साथ ही ऐसी महिलाओं को भी सुविधा मिल सकेगी कि वे घर से अपना काम पूरा करके नियोक्ता को दे सकेंगी। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

एक अगला संशोधन है कि 50 से अधिक कर्मचारी रखने वाले संस्थानों के ऊपर बाध्यता हो कि वे क्रेच की स्थापना करें। इसमें यह बात कही गयी है कि ऐसी महिलाओं के बच्चों को क्रेच में जाने की अनुमति होगी। इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूँ कि इसे चार के आंकड़े में बांधकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की कइ आवश्यकताएं होती हैं, बच्चा पेशाब करता है, पौटी करता है, रोता है, उसे मिल्क फीडिंग भी करानी पड़ती है, उसके कपड़े भी बदलने पड़ते हैं। क्रेच में जाने के लिए चार बार की संख्या का उपबंध किया गया है, उसके बारे में और विचार किया जाना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार माँ को बच्चे के पास जाकर उसे सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अगले संशोधन के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक स्थापन में महिलाओं की जब नियुक्ति होती है, तो उसी समय अधिनियम के अधीन उपलब्ध प्रसुविधाओं के बारे में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना दे देनी चाहिए। यदि महिला को सूचना देने के साथ ही उसके हस्ताक्षर करा लिए जाएं तो महिलाओं को यह जानकारी होगी कि उनके कौन-कौन से अधिकार हैं। जब उनको उन कानूनों की जानकारी होगी तो वे उनका उपयोग कर सकेंगीं।

अंत में, इस बिल के संबंध में, मैं कहना चाहता हूँ कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको बच्चों को घर पर छोड़कर आना पड़ता है। जब उनको ऑफिस में जाकर काम करना पड़ता है, तो उनको व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे वहाँ पर बच्चों को समय देती हैं, तो उनको तरह-तरह की बातें भी सुननी पड़ती हैं। उसके अभाव में, जब वे बच्चे को घर पर छोड़ आती हैं, तो बच्चे को समय पर माँ का दूध न मिल पाने के कारण लगभग 13 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हो जाती है। शिशु संबंधी संक्रमण के कारण 34 लाख बच्चे मौत की तरफ बढ़ जाते हैं। डायरिया के 39 लाख मामलों में यह देखा गया है कि यदि बच्चों को समय पर माँ का दूध मिलता रहे, तो डायरिया को रोका जा सकता है। माताएँ एक साल से अधिक समय तक शिशु के पास रहकर उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। स्तन कैंसर के 20 हजार मामलों को इसके द्वारा रोका जा सकता है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी और श्रम मंत्री जी के साथ ही पूरी सरकार का स्वप्न और उद्देश्य सबका साथ - सबका विकास है। इसे हासिल करने की दिशा में यह विधेयक एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Hon. Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this very important Amendment Bill

I stand here to participate on behalf of All India Trinamool Congress party; and I would like congratulate hon. Labour Minister for having given such a wonderful thought for ladies. कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। आज हम यहाँ महिलाओं के लिए चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि 'देर आए, दुरुस्त आए'।

Fifty-five years after, the law, we are bringing the Amendment. But after all, we are bringing the Amendment, that is one thing to rejoice. I congratulate you, Mr. Minister; and we support this.

But as I would slowly elaborate, I completely support Supriya Sule-ji when she said that we need other Ministries onboard. I am happy that our hon. Minister for Women and Child Welfare is sitting here. I would suggest that we should have a joint Supervisory body along with the Ministry of Labour, the Ministry of Women and Child Development, and the Ministry of Health because this subject entails all of them. This is not something only to be dealt with by the Ministry of Labour.

Child birth is such a beautiful experience, and all of us as women have gone through this experience. We do not agree with the gentlemen sitting there, who have been saying that child birth is different and difficult. 'Women are genetically compromised, that is also what an hon. Member said. He said that women giving birth at 16 years should be looked into. Women are not supposed to give birth at 16 years; it is not legal.

So, at the moment, whatever amendments have been brought, are definitely much improved ones. Twenty-six weeks leave is good enough because the World Health Organization gives us a suggestion for 24 weeks of breastfeeding, which enhances the resistance of the child towards respiratory tract diseases and diarrhoeal tract diseases, and brings down the mortality thereof.

But there are certain additions which I would like to point out here. In front of us, we have the example of the second-time elected Government of West Bengal led by the Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee. In West Bengal, she started the Maternal and Child Hubs. As many of the hon. speakers were talking about women working in the remote areas and unorganized sector, let me say about these Maternal and Child Hubs that have been brought up in West Bengal. From the last trimester of pregnancy, women are being brought and kept there and being given nutritious diets; and specialized doctors are looking after them so that the reports/stories that we used to hear in the past that ‘while reaching a hospital a woman has given birth on the road or died on the road’ do not happen anymore.

Now, we have the improved statistics as far as the infant mortality and maternal mortality are concerned in our State, and so also in the country. We are doing well. But we should do much better if we want to go and touch the ‘Millennium Development Goal 5’, which we have not, as a country, yet touched. So, we should also give our thought to this.

Sir, Supriya Sule-ji was just asking -- how do we point out as to which of the women need care? See, if we can universalize institutional delivery, then only, we can get to know which are the women, who need more care. It is because, we cannot have same sort of leave benefits for all women. Certain women suffer from medical diseases like hypertension, pre-eclampsia and toxemia. Some women might have diabetes or cancer or APLA syndrome. Some women might have polycystic ovaries or other diseases like systemic lupus erythematosus. In these cases, the mother needs much more care; and 26 weeks period is not enough.

That is why I said that the Health Ministry should also be taken on board. I am privileged that our hon. Minister is here. I would like to appeal – he is here and I am in the Standing Committee – today, we have many more girls coming into our services. There are girls who are patrolling our border areas with our neighbouring countries. We have women who are working in BSF, SSB, ITBP, CISF, CRPF and in defence forces. They should be given a little more benefit

because their lives are more active than a normal woman who is at home. They should not be sent to the remote areas immediately after the child's birth so that they can, time and again, for the first two years of the child's life, come home frequently. If they are posted in border and remote areas, it is difficult for them to do so. This also should be included.

We must universalise antenatal care. I would like to draw the attention of the hon. Minister through you that we see in the Lok Sabha Television that the scroll is going down that tetanus toxoid must be given and antenatal check up must be done. It is written in English and Hindi. Now, tell me as to how many women in the village areas watch the Lok Sabha TV to see what the scroll is going down. Instead of putting the scroll in the TV, there should be big billboards or flags put up in the Block Development Office, in the rural hospitals, in the subsidiary hospital or in the market places in the regional languages and in the vernacular. Then only the women going to the market can read what is written there and why tetanus toxoid shots are required to prevent tetanus or about the antenatal checkups or the folic acid and iron tablets that are required. So, these should also be included and monitored so that the women, who are in the villages or in the rural areas, know exactly what to do.

In spite of this being a very nice amendment Bill, I would like to demand and draw the attention of the hon. Minister that universal health for all BPL family women should be brought under the purview of this Bill. The unorganised and organised sector women should also be brought under the purview of this Bill. Even domestic helps, agricultural workers, site workers, mine workers and the farm hands should be included because it is a pain of all ladies throughout their pregnancy and this should be taken care of.

I would like to draw your attention to one important thing. Since I am a team member of the Indian Pioneer Infertility Research, I know that the science is advancing in leaps and bounds. It is one thing of a great pleasure that you have

put in the issue of commissioning mothers here. But they would require a little more benefit than what you have mentioned for them.

I would also like to draw your attention to the fact that these days girls are studying more and getting married at a later age and when they try for pregnancy then most of the time they are unable to conceive because of their age. They have to take help of a donor after consultation and informed consent. There are girls who are doing social work by donating their eggs. They should also be given some kind of benefit.

The surrogate mother should be given some kind of benefit when it is not done commercially but it is done only through goodwill because she is the one who is holding the baby for so many months. I have delivered babies where the mother of the patient has delivered and the sister-in-law of the patient has delivered, so we must also take them into cognizance when we are making this Bill.

As in Bengal, I would also reiterate, we want Paternity Leave for the men folk because having a child is a joint effort, a joint venture of the mother and the father.

The hon. Supreme Court has also given all rights to single mother. So, single mother should also be included for their benefit and mentioned specially.

Thank you.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह जो प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक, 2016 है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और मैं इस पर कुछ बोलने से पहले सबसे पहले माननीय मंत्री, श्री बंडारू दत्तात्रेय और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

एक साल के भीतर ही यह चौथा मेजर लेबर रिफार्म है और यह इंडीकेट करता है कि सरकार कितना इस बात को चाहती है कि इस तरह के रिफोर्स आएं और देश तरक्की करे। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि हम लोग केवल अमीरों के बिल पास करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना से लेकर किसानों की सुविधाओं और गरीबों के लिए जितना कुछ इस सरकार ने किया है, इतिहास में उतना ज्यादा आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। इसके अलावा हमारा जो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' आंदोलन है, यह इसका एक प्रमुख हिस्सा है। इस बिल से जो महिलाएं इनडिविजुअल वर्कर्स हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। मैं खुद ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद मैडिकल कालेज में रहा हूँ, जहां लड़कियों और महिलाओं को केवल एक प्रेगनेन्सी के लिए अपना कैरियर छोड़ना पड़ता है। जब वे एक बार डिसाइड कर लेती हैं कि बच्चे पालने हैं तो उन्हें कैरियर कंटीन्यू करना बहुत डिफिकल्ट लगता है और ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं, जिन्हें अपने कैरियर तक को तिलांजलि देनी पड़ती है। यह बिल लाकर सरकार ने उन महिलाओं के प्रति एक बहुत बड़ा न्याय किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

महोदय, इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण आस्पैक्ट यह है कि पूरी दुनिया में जब मैटरनिटी बेंनीफिट्स के लिए मीटिंग हुई तो आई.एल.ओ. (ILO) और डब्ल्यू.एच.ओ. (WHO) ने जो भी रिक्मेंडेशंस किये, उनसे अच्छी रिक्मेंडेशंस पूरी दुनिया में केवल तीन कंट्रीज ने की हैं। इनमें कनाडा, नार्वे और तीसरा देश हिंदुस्तान है, जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति इतना सशक्त है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जो आई.एल.ओ. के रिक्मेंडेशंस थे, उन्होंने उनसे कहीं आगे बढ़कर रिक्मेंडेशंस दी हैं। उनका 24 वीक्स का रिक्मेंडेशन था, हमने उससे ज्यादा रिक्मेंड किया। इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

इसके अलावा एक इश्यु पैटरनिटी का आ रहा है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी माननीय मंत्री जी को जरूर सोचना चाहिए। अगर आपने 26 वीक्स का अवकाश देना है तो उसमें अगर पति भी अवकाश चाहता है तो उसे भी दो हफ्ते का अवकाश देना चाहिए, भले ही वह अवकाश 26 वीक्स में इनक्लूड हो। लेकिन बच्चे की जितनी रिस्पॉसिबिलिटी माता की है, उतनी ही रिस्पॉसिबिलिटी पिता की भी है। इसे बांटा

नहीं जा सकता है कि मां केवल बच्चे को देखेगी और पिता काम करेंगे। आज के जमाने में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। हम लोग ऑफिस वगैरह जरूर जाते हैं, लेकिन कोई भी पुरुष ऑफिस से आकर घर में बैठ जाता है। हिंदुस्तान का यह थोड़ा कल्चरली डिफैक्टिव सिस्टम है। जबकि महिलाएं ऑफिस से काम करके आती हैं और उसके बाद किचन संभालना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, घर के हाउसहोल्ड वर्क की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। इसलिए अगर पैटरनिटी बेनीफिट्स मिलें, अगर पुरुष भी बच्चों को संभालें तो उससे महिलाओं के लिए बाकी चीजों की भी सुविधा होगी, इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में वह जरूर सोचें।

दूसरी चीज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वूमैन के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने दिसम्बर के अंत में जो घोषणा की कि प्रसूता महिलाओं को छः हजार रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। मैडम मेनका गांधी भी यहां मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं के लिए यह एक अच्छा स्टेप है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सफिशिएंट नहीं है। इसे हमें एम.एन.आर.जी.ए. से लिंक करके या कुछ अलग से करके उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने देखा है कि जिस वूमैन के डिलीवरी होती है, वह एक दिन पहले या उस दिन भी खेतों में काम करती है और वहां से सीधे हास्पिटल आती है। मुझे लगता है कि उस तरह की महिलाओं के प्रति क्या होना चाहिए, यह मैं बहुत गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन यह एक बहुत बड़ा इश्यू है, यह तुरंत डिस्मिशन लेने का इश्यू नहीं है। जैसा अभी डा. काकोली ने कहा कि इस पर चाइल्ड एंड वूमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट तथा लेबर डिपार्टमेंट को मिलकर एक सोल्यूशन हिंदुस्तान की सभी महिलाओं के लिए निकालना चाहिए और खास तौर पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं के लिए जरूर कोई हल निकालना चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाएं ज्यादातर लेबर फोर्स के रूप में काम करती हैं और उन्हें इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बारे में मैं मंत्री जी से जरूर अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में जरूर सोचें।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हेल्थ मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज बहुत सारे सांसदों ने सिंगल पेरेन्ट की बात उठाई है। जब वे सैरोगेसी का बिल लाएंगे, तब इस बारे में सीरियस थॉट देने की जरूरत है, क्योंकि सिंगल पैरेंट होना कोई अपराध नहीं है। सिंगल मदर्स तो बहुत होती हैं, लेकिन सिंगल फादर भी अगर अपने बच्चे को रखना चाहे तो उसके लिए इस बात को सैरोगेसी बिल में भी सोचना चाहिए और लेबर लॉ में भी सोचना चाहिए कि आज सिंगल पैरेंटिंग हो रही है तो फिर सिंगल पैरेंट, अगर वह मेल है तो उसको क्यों नहीं बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अभी दो मेजर केसेज़ हुए हैं कि सिंगल पैरेंट जो कि मेल हैं, उनको टिवस हुए हैं। वैसे ही जो कोई इंडिविजुअल वर्कर है, वह भी ऐसा कर सकता है, इसलिए इसमें

एक सोच की जरूरत है कि इस ऑस्पेक्ट को हम लोग क्या करेंगे। इसमें आइवीएफ के जो भी इश्यूज़ हैं, उनके बारे में भी देखने की जरूरत है कि किसी को अगर ज्यादा समय की जरूरत है तो एक मार्जिन उसके पास होना चाहिए, भले ही वह अनपेड मार्जन हो, लेकिन अगर कोई महिला उससे ज्यादा लेना चाहे तो भी एक लिब्रल फ्लैक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, जिससे वह अपनी जॉब कंटिन्यु कर सके, क्योंकि किसी भी महिला का बच्चा बीमार रहेगा तो केवल वही देखे, यह हमेशा 100% गलत है, मगर फिर भी यह समाज पुरूष प्रधान है। कोई मेल अपनी नौकरी नहीं छोड़ता है, हमेशा यह उम्मीद की जाती है कि महिलाएं ही अपनी नौकरी छोड़ें। इसीलिए उनको यह फ्लैक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, अगर बच्चे को कोई सीरियस इलनेस है या कुछ और परेशानी है तो उनको और फ्लैक्सिबिलिटी इस बात के लिए मिलनी चाहिए। यह बहुत ही अच्छा बिल है, लेकिन इसकी यही एक कमी दिखी कि यह बिल्कुल वन साइडिड सोच रही है। जो अभी थर्ड और फोर्थ बैनिफिट की बात हो रही थी तो मैं एग्री करता हूँ कि we should not give 3rd or 4th benefit. कम्पिटीशन इस बात का होना चाहिए कि कैसे समाज में दो बच्चे पैदा हों। यह नहीं है कि वे छह कर रहे हैं तो तुम आठ करो। इससे बड़ी बेवकूफी दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। हमारे यहां तो 24 राज्य 2.1 अचीव कर चुके हैं। सारी परेशानी बिहार और उत्तर प्रदेश में है। बिहार में जहां 1120 लोग प्रति स्क्वेयर किलोमीटर में रहते हैं और यह हिंदुस्तान से तीन गुना है। अगर हम लोग इन सब मुद्दों पर सीरियसली नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। मैं एग्री करता हूँ कि थर्ड बर्थ पर इन्होंने 12 वीक्स दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली कामकाज़ी महिलाएं तो दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं करती हैं। एक ही बच्चे को पैदा कर के उनको रह जाना पड़ता है।

मैं कहूंगा कि यह अच्छा बिल है कि 12 वीक्स से ज्यादा मार्जन नहीं दिया गया है। हमारे बीजेडी के सांसद बहुत दुखी थे। उनका दुख लाज़िमी है, क्योंकि उनको अभी-अभी थोड़ी सी चोट भाजपा से लगी है, इसीलिए अचानक उनका दुख प्रकट हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने जो काम गरीबों, किसानों, मज़दूरों के लिए किया है, वह ऐतिहासिक है। हिंदुस्तान के इतिहास में, 70 वॉर्षों में आज तक किसी ने भी गरीबों और मज़दूरों के लिए इतना काम नहीं किया है, जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Thank you Sir for giving me this opportunity.

Sir, as far as this piece of legislation is concerned, nobody will have a dispute about the intentions of this legislation. The intention of this legislation is good. The Bill will attain the following goals, that is, more than double the maternity leave. Similarly, the provision for crèche facilities in industrial establishment with 50 or more employees, enabling the employer to permit a woman to work from her own home as per mutual agreement, these are all good things. There is a special note. This is strictly in accordance with the WHO guidelines, ILO and Law Commission's recommendations and other social organization were also demanding for this thing.

Sir, there is an issue related to this. Hon. Minister and everybody is knowing that as far as labour sector is concerned, there are hundreds of legislations but when we are making an amendment on a small level, that would not serve the real purpose. We must have a comprehensive reforms of these labour laws. That is a must.

Sir, in this sector, I would like to say, that is, here there are many legislations. What is happening? Employers of this country find out the loopholes in order to bypass the legislation. That is the ground reality in this.

Sir, in this, what I am saying is that we have to give due consideration to the recommendations of the Law Commission. The Law Commission says that about 90 per cent of the working women are in the unorganised sector, and not covered by the 1961 Act in 2014-15. In 2015, the Law Commission of India recommended that the provision of the 1961 Act should cover all the women, including women working in the unorganised sector. My friends were saying about that. That is the most important thing in this Bill.

We all know that if we are not addressing the women in the unorganised sector or if we are not bringing them also within the purview of this Act, the very purpose of this Act will be forfeited. We all know that low wages and low earning

are there in that sector. Similarly, women constitute the majority part of it. Similarly, economic activities which engage child labour are also involved in this. Migrant labour is also involved in this. Similarly, ESI payment is also involved. Now-a-days, what is happening is that everywhere the employers are trying to bypass this legislation. When they sub-let or when they give sub-contract, they can easily bypass all these kinds of things.

Now-a-days, we all know that direct recruitment is declining. It is all done by the contract labourers. So, what I am saying is that we have to be very serious about the labour working in the unorganised sector. Similarly, we all know that in the unorganised sector, self-employment is also there. We are giving some financial support for the women to get some kind of earning through some kind of work. But that also is not covered under this. Similarly, health hazard is another issue. My friends were saying about that. Health hazard in private sector is becoming an alarming problem in our country. Contract labour includes construction workers. They are very much there in that field. Similarly, casual labourers, labour employed in small sector industries, handloom, power loom workers, beedi and cigar workers, employees under the Shops and Commercial Establishment Act, sweepers and scavengers, workers in tanneries, tribal labour and other unprotected labour—these are the sectors where these kinds of workers are working.

Their social security initiative there is also not effected because they are exploited like anything. The employers do not give them any service condition or equal wage. We are all talking about equality and equality before law. There is a provision for equal wage for equal work. I myself had been a Trade Union worker since the last 20-25 years. I know what is happening; and what is the real grievance in this. We are all saying that there should be equal wage for equal work. The employers are searching for women employees because they know that they will have to pay only law range of wages. So, that kind of exploitation is taking place. Coming to equal opportunities, we are all saying about gender

equality. We were saying about the workers' participation and all kinds of things. Gender disparity is very much still there.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : I am going to conclude, Sir.

What I am suggesting in brief is that unorganized sector is the most crucial sector in this. Until and unless we address their issue, I am telling you that the very purpose of this legislation will not be served.

Anyhow, I once again congratulate the Minister for at least taking this initiative and for this small piece of legislation. Thank you.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Sir, I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill on the eve of Women's Day. It is really a great day. The very word 'woman' is the finest word. It is coined by somebody. I do not know who coined it but woman, mother, *maa* is the greatest name because woman is the embodiment of sympathy, compassion, love, responsibility and everything. But I feel that there should be not one day. Maneka Gandhi Ji is also present here. So, I think there should not be only one day for women but all the 365 days should be earmarked for women. But everyday we pray women. Is it not? When all the Hindus go to the मंदिर या जो भी हो। वे गाते हैं- भगवान दुर्गा है।

‘या देवी सर्वभूतेषु, शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै-नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः।
सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोऽस्तुते॥’

हम लोग हजार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं।

But when it comes to give it to women, we become very *kanjus* (miser). We do not like to give anything to her and we feel that it is the man's world.

Anyway, women constitute about 48 per cent of the total population and, close to half of it, are eligible to become mother. There is a statistics, which I want to say is not at all pleasing, but according to it, almost half of the women aged 20 to 24 are married by the age of 18 years as minors. One in every five women aged 20 to 24 has her first baby before she was 18 years of age. One in every eight women has three children. As a result, both maternal and neo-natal within 28 days of birth mortality rate is higher among such women compared to older women. A few of our hon. Members have referred to these things but unless we take care of the health of women, we cannot do anything.

This is a very good Bill, which has enhanced the maternity facilities for women as mothers. But, if we do not spread awareness and education among women, we cannot achieve good results. So, this is one of the major problems

which we are facing today. Then, we have gender discrimination prevalent in our country, which is also not a good indicator of girls and women health.

Of course, it is not nice to say it here, even though I would like to assert that there are certain villages in some States where mortality of the girl child is so high that there are no girls at all. I can provide the name of those villages to the hon. Minister privately as I do not like to mention them here. But these things are still happening in the 21st Century. There is no denying the fact that there is a steep decline in the maternal death but even if you see the percentage, it is still 15 per cent, which is quite high.

There are a few riverine areas in my constituency, Guwahati, where most of the so-called Bangladeshis reside. You will be surprised to know that in those areas a woman has to give birth to a child every year or every one and a half year till she cannot bear a child. I do not say that it is politically designed but it is a fact. The mortality rate in those areas is very high because the emaciated mothers have to give birth to children. What is the reason for that? I cannot say anything against man? But at least some awareness should be spread in those areas.

A lot of views have already been expressed by other hon. Members in terms of maternity facilities to women working in unorganised sectors. I would like to say that there are certain works where the women give birth to their child in a tent. The women who work in fields, who work at road construction sites or who work on railway lines give birth to their child in tents where healthcare facilities are very far away. They cannot have access to these healthcare facilities. So, we have to take into consideration these things also.

I want to mention here about the coffee plantation which is an organised sector. This sector is run by private owners or contractors. The Coffee Board cannot control each and everything. These contractors hire labourers only for eight to ten months after which they expel them because if a labourer completes 11 months at a farm, the contractors or the owners have to provide him certain facilities like insurance, health, education, etc. These things happen in organised

sectors also. So, unless we take care of these activities, we would not be able to provide maternity benefits to working women.

Giving maternity facilities to working women is no doubt a great thing.

17.00 hours

Sir, we must see and keep a check on one thing that each and every year, a girl or a lady should not give birth unless she is ready for it. This is a major point. One can see an emaciated mother in a poor area, a poverty stricken area giving birth to a child. And subsequently, both of them, the mother and the newborn child, die. So, I feel, and I would request the hon. Minister also, that there should be proper awareness campaigns and proper training everywhere. They should go there and see how they are behaving.

I congratulate the Government of India and Shri Narendra Modiji because healthcare facility has been given a lot of scope and lot of opportunities. I think, increase in Government's spending on health to three per cent of GDP is a great thing and it will help in enhancing the healthcare facilities in the country and also for the women and mothers in the country.

Thank you very much.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : आपने मुझे प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक-2016 पर बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सरकार प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम-1961 में बदलाव करने जा रही है। प्रमुख बदलाव मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान होने जा रहा है। दूसरा अधिकृत माता और दत्तक माता की परिभाषा के संबंध में उठ रहे विवादों को भी सही परिभाषित कर बालक के हस्तगत करने की तारीख से बारह सप्ताह की प्रसूति प्रसुविधा का हकदार बनाने का कार्य किया जा रहा है, यह स्वागत योग्य कदम है।

मैं अपनी पार्टी जद(यू) की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि आप घर से कार्य करने में सुविधा और पचास से अधिक कर्मचारी होने पर शिशु कक्ष की स्थापना सरकारी ऑफिसों में तो सम्भव कर सकते हैं, परंतु प्राइवेट सेक्टर में यह सुचारू रूप से लागू हो यह प्रतीत नहीं होता है। अतः इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। इस कानून के कारण विवाहित महिलाओं को प्राइवेट सेक्टर में काम कम मिल रहे हैं, इसकी भी आशंका है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

आज हर जगह पर प्राइवेट ठेकेदारी पर कर्मचारियों को रखा जा रहा है, तो क्या प्राइवेट कान्ट्रैक्टर उक्त महिला कर्मचारियों को यह सभी सुविधा प्रदान करेगी, ऐसा नहीं लगता है। उक्त महिला कर्मचारी अपने अधिकार से वंचित न रह जाये, इस पर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज काफी अधिक संख्या में महिलायें असंगठित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं, खास कर दिहाड़ी मजदूर, उन्हें भी इसका लाभ मिले। इसके लिए नियोजक कभी भी तैयार नहीं होगा। अतः सरकार उक्त क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को सरकारी मदद देने का भी प्रावधान करना चाहिए। मैं मानता हूं कि देश में कुछ कार्यरत महिलाओं की संख्या का आधे से अधिक असंगठित क्षेत्र, छोटे घरेलू उद्योग, चिमनी भट्ठा, रियल एस्टेट, कृषि क्षेत्र, सड़क निर्माण आदि अन्य क्षेत्रों में कार्य कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही है। सरकार को उन्हें भी लाभ का पूरा फायदा देना चाहिए। इसका भी रास्ता निकालना चाहिए।

अब प्रश्न उठता है कि कामकाजी महिलाओं में वे भी महिलाएं हैं, जो बड़ी संख्या में स्वरोजगार करती हैं। जैसे-सब्जी बेचती हैं, कई तरह के छोटे-छोटे खुदरा सामान रेल पटरी के किनारे बेचती हैं, मछली

बेचती हैं, मेंहदी लगाती हैं, चूड़ी बेचती हैं, इस तरह के काम करने वालों के लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बिल जो लाया गया है, इस बिल से एक नई रोशनी निकली है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस बिल में खासकर जो प्राइवेट सेक्टर व असंगठित सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मैटरनिटी बनेफिट (अमेंडमेंट) बिल, 2016 पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का और श्रम मंत्री जी का, जिन्होंने यह बिल लाकर यत्र नार्यस्तु पूज्यंते वाली बात को सही मायने में क्रियान्वित करने का काम किया है। भारत की आधी आबादी, महिलाओं के लिए मैटरनिटी बिल में जो अमेंडमेंट किए हैं, वे काबिले तारीफ हैं।

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आंखों में पानी " इस मिथक को तोड़कर आज की नारी ने घर की देहरी, शहर और देश की सीमाओं को लांघकर हर चुनौती को स्वीकार कर स्वयं के लिए एक नई कविता का सृजन किया है -

धीर है गंभीर है, शक्ति का तू पुंज है।
 सृष्टि की तू रचियता, प्रेम की तू खान है।
 नारी तू महान है, नारी तू महान है।
 माता है, बहन है, जीवन की तू संगनी है।
 मित्र है, तू गीत है, कविता है, तू छंद है।
 नारी तू मिठास है, नारी तू सुगंध है।

महोदय, आज के दिन यह वातावरण सर्वत्र दिखाई दे रहा है। आज की नारी ने हर एक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई है। घर की देहरी पार कर वह विभिन्न क्षेत्रों में काम करने में लगी है। चूल्हे-चौके के दायरे से बाहर निकलकर उसने अपनी घरेलू छवि को स्वयं तोड़ा है।

महोदय, नारी घर परिवार के साथ अन्य क्षेत्रों में भी अनेक दायित्वों का निर्वहन करती है, परन्तु संतानोत्पत्ति का उसका जिम्मा जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक संतान के लालन-पालन का, स्तनपान का, लाड़-दुलार का, सुरक्षा देने जैसा अधिक महत्वपूर्ण जिम्मा भी उसे निभाना पड़ता है। इस कारण अनेक महिलाएं शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, ताकि बच्चे पैदा कर उनका पालन-पोषण कर सकें।

कामकाजी महिलाओं के लिए दायित्व अधिक गुरुतर हो जाता है, क्योंकि संयुक्त परिवारों की अवधारणा अब समाप्त हो गई है। वहीं एकल परिवारों में पति, पत्नी और बच्चों के साथ कामकाज और संतान के पालन की जिम्मेदारी का निर्वहन माता पर अधिक आ जाता है और इससे मानसिक दबाव भी माता के ऊपर अधिक बढ़ जाता है। यह महत्वपूर्ण बिल, जिसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, यह माताओं को एक तरह से संबल देने का काम करेगा।

महोदय, इस बिल के पारित होने से सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलेगा, तो गरीब, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग की वे महिलाएं, जो कारखानों, फैक्ट्रियों और बागानों में काम करती हैं, उनको मिलेगा। गरीब और दलित परिवार की जो मेरी बहनें और माताएं कारखानों में काम करती हैं, वे भी चाहती

हैं कि उनकी कोख से जो बच्चा पैदा हो, उसका लालन-पालन अच्छे से हो सके, भरपूर स्तनपान करा सकें, निरोग और तंदुरुस्त संतान उत्पन्न कर सकें।

इस बिल में मातृत्व अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक करने का जो काम किया है, उससे माताओं और बहनों को बहुत बड़ा लाभ होगा। घर पर रहकर, काम करने का जो अधिकार मिला है, उसे भी एक महत्वपूर्ण राहत भरा कदम हम कह सकते हैं। एक महिला 26 सप्ताह तक सवैतनिक अवकाश लेने के पश्चात, निश्चित होकर कार्य कर पर पाएगी, साथ ही साथ अपने बच्चे का लालन-पालन करके पूर्णतया तंदुरुस्त बच्चे को तैयार करेगी, जिससे देश में बढ़ रही शिशु मृत्युदर पर लगाम लगाने का कार्य हो पाएगा।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो सरकार ने किया है, मैं उसकी सराहना करती हूँ। इससे मां बनने में जो असक्षम महिलाएं हैं, बच्चे गोद लेती हैं, उनको भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया है। कारखानों और दफ्तरों में काम करने वाली हमारी बहनें और बेटियां प्रसूति के 26 सप्ताह बाद जब काम पर लौटती हैं तो सरकार ने उनकी पीड़ा को पुनः समझा और इसके लिए उन्होंने शिशु कक्ष की सुविधा का प्रावधान किया, जिसमें मां चार बार जाकर बच्चे को दूध पिलाने से लेकर, उसकी देखभाल करने का सराहनीय काम कर सकती है।

कारखानों और फैक्ट्रियों में मजदूरी करने वाली ज्यादातर महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं और वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। एक बहुत बड़ा सशक्त कदम यह भी है कि जिस समय वह नौकरी पर जाएगी, उस समय लिखित रूप से भी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जो उसके सामने रखा जाएगा, जो शर्त इस बिल में है, वह उसके सामने बताई जाएगी, ताकि वह सजग रूप से अपने अधिकारों का पालन कर सके। असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं को कैसे इस बिल के दायरे में लाकर उन्हें भी लाभ दिया जाए, यह महत्वपूर्ण बात है। मैं समझती हूँ कि इस पर मंथन करके, विचार करके इस बिल में यह प्रावधान रखा जाएगा।

मैं अंत में मैटरनिटी बैनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का स्वागत करती हूँ, समर्थन करती हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Deputy Speaker Sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the Labour Welfare Legislation especially welfare legislation for women workers.

Before entering into the Bill and contents of the issues, I also take this opportunity to congratulate and appreciate the efforts made by the hon. Labour Minister in bringing so many labour welfare legislations during the 16th Lok Sabha. Though most of the legislations are piecemeal legislations, those legislations are having a very good impact on the labour welfare situation in our country. So, once again, I take this opportunity to congratulate the hon. Minister for his honest efforts. Especially, he is coming from such a background and he knows the pulse of the working class of our society. Definitely, the Bills and legislations coming from his part are also very welcome and, hence, I fully support this Bill also but subject to certain reservations and observations.

Sir, this is a positive step towards empowerment of women in our country especially the women workforce in our country. Sir, Article 42 of the Constitution i.e., the Directive Principles of State Policy, is very clear about the provision for just and humane conditions of work and maternity relief. The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. It is a Directive Principle given by the Constitution which is empowering the Government to provide maternity leave and benefit to the working women in our country. Though it is not mandatory, I do agree, because the Directive Principles of State Policy is not a mandatory provision but it is directive in the sense and, definitely, the Government is complying with the directions of Part 4 of the Constitution and Article 42 of the Constitution for which also I fully support this move by the Government in bringing such a legislation.

If you go through the history, the World Health Organization and also in the year 2015, the Law Commission of India had recommended for increasing the maternity leave to 24 weeks and most of the Members and the hon. Minister had

stated in the Statement of Object and Reasons in 44, 45 and 46 Sessions of the Indian Labour Conferences and suggested for increase in the maternity benefit.

Sir, I would like to state why it has become the need of the hour. Formerly, it was only 12 weeks. The maternity leave and benefit were just for 12 weeks. But now, the Government has agreed for 26 weeks by means of this Legislation. Why it is highly essential and required for the time being because if you see, in 1961, the original Act is 'Maternity Benefit Act of 1961'. Subsequently, it was amended in 2005, in 2008 and in 2015. But when we see the five decades of our experience in the social system, a structural drastic change took place in the social system. That is the social transformation from joint family system to nuclear family system. This is a very big transformation which took place in our country.

So, in the joint family, when a pregnant woman is there, the grandparents are there and the blood relatives are there to take care of the pregnant woman and all the amenities and facilities would be provided by the relatives of the joint family. But now, because of the transformation from joint family to nuclear family system - one or two child and the parents - it is very difficult to provide proper care and protection to the pregnant woman. Therefore, it is highly essential to increase the number of weeks of maternity leave. So, it is fully justifiable because from some parts of the industry, so many reservations have come whether it is possible to have 26 weeks of leave, that means six months of leave. Then definitely, the industry is not able to survive. Such an argument has also been advanced from certain corners of the industry also. That will never be the case because five decades back or three decades back, when these 12 weeks of leave was granted, the situation or the social system was entirely different. Now, since a structural change took place in the family system, definitely, it is the need of the hour. I fully support the increase in the number of weeks of leave.

The only major issue which most of the hon. Members have already stated before this House is that it is regarding the organized sector. Almost all the welfare legislation in our country is giving prominence and special significance to

the workers who are employed in the organized sector. This is not only in respect of the Maternity Benefits Act of 1961, but also if you go through all the labour welfare legislation, almost all the benefits are being given to the workers in the organized sector.

What is the strength of the organized workers? According to my information, 90 per cent of the workforce in the country is in the unorganized sector and only just eight to 10 per cent workforce is there in the organized sector, most of whom are salaried classes also. They are getting all the benefits. Whenever the Consumer Price Index increases, definitely, their wage revision will be there and all the other facilities and allowances will also be increased.

As far as the unorganized sector is concerned – in the agricultural field, in the construction field and in so many other fields – not much benefit has been given by or through the means of legislation. When we take the statistics of the women employees in the formal sector, in the organized sector, a total of 138 women workers are there in the organized sector out of which six million women workers are between the ages of 15 to 49. Those in the age group of 15 to 49 are entitled to get this maternity benefit or leave. In other words, only 4.4 per cent of the women workers in the formal sector is entitled to get this maternity benefit means this Act or this benefit is not applicable to 95.6 per cent of the women workforce in the organized sector. But this is being opposed by the industry by saying how it can be justified. It is only a meagre benefit being given to the women workers, even though 95.6 per cent workers are not entitled for this benefit because of the reason which I have already stated.

So, my suggestion is the Government, especially the hon. Labour Minister, has to pay more attention to the workers in the unorganized sector. Why have they been denied even this maternity benefit? The agricultural workers and the construction workers are not entitled for the maternity benefit. Why is it so? Only those who are in the organized sector – in the factories, in the establishments and in the Government offices – are entitled to have the maternity benefit for six

months or 26 weeks, and why at least one month maternity benefit is not being provided to the workers in the organized sector, when such a mandatory provision has to be made? My submission to the hon. Minister of Labour is to have some legislation in respect of the women workers who are in the unorganized sector so that they can also be taken care of. In this way, this issue can be addressed. That is the second point which I would like to make.

17.18 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

Coming to my third point relating to the Bill, which is about increasing the number of maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, I would like to draw the attention of the hon. Minister and the Government to the fact whether it is proper, fair and justifiable in making a reservation that only those families or only those women who are having less than two children are entitled for this additional benefit. According to me, Madam, it is not fair. Why it is so, I will say. The Constitution of India is very specific. Article 14 of the Constitution says, "Equality before law and equal protection of law." Equality before law and equal protection of law is the cardinal principle of the Fundamental Rights of the Citizens of the country. My point is: under what ground are you limiting the benefit and are not making it available to a family which is having more than two children? Is there any provision in the Constitution? I am asking the hon. Minister: is there any statute passed by the Parliament of India restricting any of the benefits to a family having more than two children? According to my limited information, only in Sarva Shiksha Abhiyan or for getting some scholarships, some restriction is there. The former Minister, Shri Mallikarjun Kharge Ji is here and he can very well explain it, I feel. He can very well explain this. That was only a circular. I am drawing the attention of the hon. Speaker. I am making this submission, subject to correction, that this is the first time in the history of the Indian Parliament that the Government is making an indirect restriction on the number of children to have the benefit, which is being available by means of an Act passed by the Parliament. Is it fair? My point is that this is totally against Article 14 of the Constitution.

HON. SPEAKER: Please now conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I will conclude. ... (*Interruptions*) I will cite one example of China. They have restricted the population. Now the Chinese Government, as a part and parcel of the National Population Policy, have relaxed it. This is a big human resource. So, kindly reconsider the position in restricting the benefit. There is a very serious issue. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now you conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I come to the new Clause 11A. It says that every establishment having 50 or more workers should have a crèche. This is also not fair. They are increasing the number of workers from 15 to 50. But the question is whether it is 25 employees or 30 employees, definitely, there should be a crèche. That should be made mandatory.

Finally, I come to the funding aspect. So many observations have been made about the funding pattern. In some countries, there is a joint responsibility in paying the maternity benefit. In some countries, the employer alone is responsible for paying the maternity benefit. Kindly go through that aspect also so that it shall never give effect to deterring the women getting employment. The indirect impact of this Bill is this. Suppose, one has to give six months leave, definitely deterring the right to get employment for the women shall not be the result of this Bill. So, my suggestion and the submission is that some responsibility should be there on the part of the Government.

With this submission, I support the Bill and conclude my speech.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : अध्यक्ष महोदया, श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी की ओर से जो प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक, 2016 पेश हुआ है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि कल 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है और हमने मनाया भी है। इसके इतिहास में जायें, तो औद्योगिक विकास के तहत महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को दूसरा दर्जा देने के कारण वर्ष 1908 में हजारों महिलाओं ने अपने अधिकार, समान काम समान वेतन, फिक्स टाइम और मताधिकार के लिए मूवमेंट चलाया था। अमेरिका में जब वर्ष 1909 में पहला राष्ट्रीय विश्व महिला दिन मनाया गया, तब वर्ष 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसमें क्लेराजेविक नामक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निर्धारण करने की पहल की थी। आखिर में 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है।

अध्यक्षा जी, कल यानी 8 मार्च को गांधी नगर में आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और आपकी उपस्थिति में स्वशक्ति 2017 का समारोह हुआ। देश भर से छः हजार महिला सरपंच वहां पर मौजूद थीं और ज़मीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं का एक सम्मेलन वहां पर सम्पन्न हुआ। आपके कर कमलों से, जो ओडीएफ जिले जाहिर हुए, उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत भी किया। आज सुबह मंत्री जी ने बताया कि तकरीबन 1 लाख 17 हजार गांव ओडीएफ हो चुके हैं और उन सभी महिलाओं को आपने पुरस्कृत भी किया था। वह अपने आप में एक बड़ी गौरवमयी बात है।

मैं कहना चाहती हूं कि यह जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 विधेयक है, इसमें 55 साल बाद यह संशोधन किया जा रहा है और मातृत्व लाभ विधेयक 2016 जो राज्य सभा से पारित होकर आया है, मैं कहना चाहती हूं कि समाज में रहता हुआ हरेक इंसान एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। परिवार समाज और राष्ट्र की धुरी है और इस व्यवस्था में परिवर्तन आना जरूरी है क्योंकि परिवर्तन ही समाज और राष्ट्र का टॉनिक है।

कानून कोई जड़ व्यवस्था नहीं है और इसमें भी संयोगों के साथ परिवर्तन आवश्यक है। वैसे ही आज हमारे विजनरी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की अगुवाई वाली एन.डी.ए. सरकार ने कई कानूनों में बदलाव किये हैं और कई कानूनों को निरस्त भी किया है। किसी भी महिला के लिए मां बनना एक गौरव की बात है। मां बनने के बाद बच्चे की मानसिक, सामाजिक और आरोग्य के तहत परवरिश करना अनिवार्य होता है और इसमें माता की भूमिका आम होती है। भारत में आज कुल महिला कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 5 से दस प्रतिशत होने का अनुमान है। इस संशोधन विधेयक में मातृत्व के लिए संशोधन लाभ

अधिनियम 1961 के 12 सप्ताह से 26 सप्ताह करने का जो प्रस्ताव राज्य सभा से पारित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य मातृत्व अवकाश की अवधि का विस्तार है। मातृत्व अवकाश के बारे में भारत का तीसरा स्थान है। इसके तहत देखा जाए तो प्रसूता मां और बच्चे को बेहतर जीवन प्रदान करना एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह विधेयक इस दिशा में काफी मददगार साबित होगा। इससे नवजात शिशु पर माता का खूब दुलार भी बरसेगा और इसकी मैं सराहना भी करती हूँ। इससे तकरीबन 18 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। मैं इसकी भी सराहना करती हूँ।

अब इस मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक के प्रावधानों के माध्यम से निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों को इस संशोधन विधेयक के तहत अपनी महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रसूता महिला को अवकाश के दौरान वेतन भी मिलेगा और 3000 रुपये का मातृत्व का बोनस भी मिलेगा। इससे बच्चे और परिवार की परवरिश के लिए आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। यह एक काफी उचित कदम है, जैसे वर्तमान बजट में गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे तकरीबन 18 लाख महिलाएं लाभान्वित होने वाली हैं। इसमें सरोगेट मदर और दत्तक माताएं 12 सप्ताह के अवकाश के साथ प्रसूति लाभ की हकदार भी होंगी, जो कि आज तक महिलाएं इस लाभ से वंचित थीं। ऐसी व्यवस्था न करने वाले जो संगठन हैं, उनके लिए दंड का कड़ा प्रावधान किया गया है जो उचित है जिससे इन प्रतिष्ठानों में महिलाओं के प्रति एक अच्छी सोच लोग रखेंगे।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने, जैसे अभी दुकानों, मॉल और सिनेमा हॉल सहित प्रतिष्ठानों को साल भर 24 घंटे खुले रहने की जो अनुमति देने संबंधी एक मॉडल कानून बनाया है, इनके अन्तर्गत सब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। यह संशोधन विधेयक इसे लाभान्वित बनाने में सहायक होगा और श्रम बल में महिलाओं की सहभागिता मिलेगी। कामगारों के हितों की रक्षा का प्रावधान भी इसमें किया गया है, जैसे फैक्टरी, सर्कस उद्योग और कृषि संस्थान इत्यादि संगठनों में जहां पर दस से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। वह भी एक सराहनीय कदम है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करती हूँ और माननीय प्रधान मंत्री जी तथा हमारे श्रम मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 पर बोलने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आज जब हम इस बिल की बात करते हैं, मेरे ख्याल से सदन में कोई नहीं होगा जो इसका समर्थन नहीं कर रहा होगा। आप भी स्वयं एक महिला हैं, आप भी समझती हैं कि इस बिल के माध्यम से हम केवल 10 प्रतिशत महिलाओं को फायदा पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि सरकार का डेटा बता रहा है कि आज भी 90 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार क्या कदम उठा रही है कि उन 90 प्रतिशत महिलाओं को भी सरकार फायदा पहुंचा पाए? आज इस एक्ट के तहत सरकार बताती है कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी महिला को मातृत्व अवकाश के फायदे नहीं देता है तो उस पर मात्र 5000 रुपये की पेनल्टी लगती है। आप खुद सोचकर देखिए कि किसी एम्प्लॉयर के लिए क्या यह फायदेमंद नहीं होगा कि वह 5000 रुपये जुर्माना भरे या फिर किसी महिला को 26 सप्ताह की छुट्टी देने का काम करे?

मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा, मैंने अमेंडमेंट भी डाली है, उसको वह जरूर संज्ञान में लें। पांच हजार रूपए की पेनाल्टी वाले क्लाउज को अमेंड कर, पेनाल्टी की रिस्ट्रिक्शन राशि को एक लाख रूपए तक करने का काम करें, क्योंकि जब इम्प्लॉयर पर प्रेशर रहेगा, तब हम इस बिल, इस एक्ट का लाभ पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम कर पायेंगे।

आज भारत सरकार बारी-बारी कहती है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब्स स्पेशली पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री में महिलाओं को आगे लाने का काम करें। हम इस एक्ट के माध्यम से उनको 26 हफ्तों का जरूर फायदा देंगे, मगर उसके बाद हम उनको जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों या माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी पर भेजेंगे, जो कहीं न कहीं उन पर और अधिक प्रेशर डालने का काम करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो औरतें सर्विसेज में हैं, स्पेशली पैरामिलिट्री और मिलिट्री में हैं, उनके लिए एक अमेंडमेंट लाने का काम कीजिए, जिसके बाद उनको हाई-प्रेशर जोन के अंदर डिप्लॉय न किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरी एक और अपील है कि सरकार इसे 26 सप्ताह से बढ़ा कर 30 सप्ताह करे। अगर हम पूरा महीना काउंट करें तो डिलीवरी के बाद का जो समय है, उसमें भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। जहां क्रेच की बात है, उसके अंदर चार बार विजिट करने का प्रोविजन दिया गया है, मगर वे टाइम फिक्स कर दिये जायेंगे। अगर हम इसको इस माध्यम से लें कि क्रेच के अंदर जाने के लिए मां को उनके अपने टाइम के हिसाब से परमिशन दी जाये तो कहीं न कहीं उस मां के लिए भी बेनिफिशियल

रहेगा। कल महिला दिवस था। सरकार ने उसे जोर-शोर से सेलेब्रेट किया है। मैं उन्हें बधाई दूंगा कि महिला दिवस के बाद वे बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन में लेकर आये हैं और मैं इस बिल का समर्थन करके, सरकार को बधाई दूंगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश बिधूड़ी केवल दो मिनट में अपनी बात सदन में रखिए।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन हमारे देश में अभी तक, 70 साल की आजादी में कितारों में कानून बनते थे। वर्ष 1961 के बाद, वर्ष 2008 में भी, हमारे सामने खड़गे साहब बैठे हैं, इनकी सरकार ने ऐसी ... * की थी और इस प्रकार के बिल लाने की बात की थी।

माननीय अध्यक्ष : आप कोई ऐसा शब्द नहीं बोलिए। आप ठीक तरह से बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : महिलाओं को उनके अधिकार मिले, महिलाओं को भागीदारी मिले, महिलाओं को 33 प्रतिशत, 50 प्रतिशत की भागीदारी मिले, इनके नेता ... * बहुत शोर मचाती थीं। देश के अंदर आधे से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं, ... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, she is not in the House. Why is he taking her name? ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप इस बिल के बारे में बोलिए।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Is he a Minister? ... (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी: वह हाउस की सदस्य हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर अच्छा डिसकशन हुआ है।

... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: क्या वह हाउस की मैम्बर नहीं हैं?... (व्यवधान) वह नेता नहीं हैं।... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जो कुछ बोलना है, उन्हें बोलने दें।... (व्यवधान) Why is he taking the name of ... *

श्री रमेश बिधूड़ी : क्या ... * हाउस की मैम्बर नहीं हैं?... (व्यवधान) क्या वह अभी भी इटली में रहती हैं? अब वह हिन्दुस्तान की नागरिक बन गयी हैं।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : She is not here. How can you take her name? ... (*Interruptions*)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : विधुड़ी जी आप अपना भाषण पूरा करें।

...(व्यवधान)

श्री रमेश विधुड़ी: यह सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री जी के लिए शोर करते रहते हैं, तब रूल्स कहां चले जाते हैं।...(व्यवधान) क्या प्रधानमंत्री जी हमेशा हाउस में होते हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

श्री रमेश विधुड़ी: मैडम, केवल देश को अवगत कराना चाहता हूं कि आधी से ज्यादा महिलायें उनको इसलिए नौकरी पर नहीं भेजते थे कि महिला घर की गृहणी के रूप में काम करेंगी। रूरल बेल्ट में एक मानसिकता है और 85 प्रतिशत लोग वहीं रहते हैं। देश में 15 प्रतिशत कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, लेकिन 85 प्रतिशत लोग इसी मानसिकता के हैं, वे इसलिए उनको नौकरी नहीं कराते थे कि बच्चा पैदा होगा तो कैसे रहन-सहन करेंगे, कैसे स्वस्थ बच्चे को लाभ मिलेगा। मैटरनिटी लीव को सैद्धांतिक रूप से 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिससे कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रमेश विधुड़ी: महोदया, मैं अभी भूमिका बना रहा हूं और मैंने अभी डेटा भी देना है। अभी चौटाला जी कह रहे थे कि असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, पांच हजार रुपए जुर्माना तो कोई भी भर देगा। इस देश में लोग कोयले को बेचकर खा गए। 2-जी घोटाला हुआ, सभी में सजा का प्रावधान था, फिर भी ऐसे घोटाले हुए। मैं कहना चाहता हूं कि प्रयास तो करना ही चाहिए और सरकार ने प्रयास किया है कि जो बहनें सर्विस करेंगी, उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। डिलिवरी के समय प्रधानमंत्री जी ने छह हजार रुपए की बात कही है, उसके लिए भी खड़गे जी बार-बार कहते हैं कि हमने किया है। महिलाओं को डिलिवरी से पहले दो हजार रुपए, डिलिवरी के बाद दो हजार रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, उन्हें डिलिवरी के समय मुश्किल होती है कि माँ को पूरी डाइट नहीं मिल पाती थी। वर्किंग महिलाओं को तो इस बात की भी टेंशन होती थी कि डिलिवरी से दो महीने पहले डाक्टर भी बताते हैं कि उन्हें रेस्ट मिलना चाहिए। देहात में डिलिवरी के बाद महिलाओं को कमरे से निकलने नहीं देते थे कि उन्हें हवा लग जाएगी। इसी कारण महिलाओं से नौकरी नहीं करवाते थे। आज महिला बराबर के हक में खड़ी होंगी। उनके और उनके परिवार में विश्वास पैदा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 26 हफ्ते के लिए महिला तथा बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए छुट्टी दी है और उन्हें पूरी सैलरी भी मिलेगी, तो माँ-बाप महिलाओं को

बाहर जाने के लिए अलाऊ करेंगे। जो पिछड़ी महिलाएं थीं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जो दलित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग था, जिनके परिवार की बहू-बेटी काम करने के लिए बाहर जाएगी, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए इस बिल, जिसे बंडारू दत्तात्रेय जी ने बनाया है, उन्हें अधिकार मिलेगा और तभी महिलाओं को लगेगा कि हमें हमारा हक मिल रहा है। केवल 50 परसेंट, 30 परसेंट की बात कह कर और नौटंकी करके इसे आगे बढ़ाते रहे कि हमें महिलाओं का वोट मिल जाए।

मैं खड़गे साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले दस सालों में कभी इतने बिलों में अमेंडमेंट हुआ है। पिछले दो साल में सौ कानूनों में बदलाव हुआ है, जो देश के गरीब लोगों के हित के लिए है। उन्हीं में से यह एक बिल है और पता नहीं क्यों वर्ष 2008 के बाद से इन्हें इस बिल की याद क्यों नहीं आई और ये महिलाओं के अधिकार की बात कहते हैं। जो विमेन काम करती हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर विश्वास पैदा करने के लिए कि जिस एजेंसी में वह काम कर रही है और वहां अगर 50 परसेंट से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो वह महिला अगर घर पर भी काम कर सकती होगी, उसे अगर घर पर काम करने के बाद भी अगर पेमेंट दी जाएगी, तो मैक्सिमम परिवार इससे लाभांवित होंगे। आज कम्प्यूटर का युग है। आज महिलाएं कम्प्यूटर पर घर में काम कर सकती हैं। उन्हें इस बिल में जो लाभ मिलने वाला है, जो सत्तर साल की आजादी के बाद भी नहीं मिला, लोगों ने सोचा ही नहीं था क्योंकि यहां केवल भाणबाजी होती थी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से कानून में इम्प्लीमेंट नहीं होता था और न महिलाओं को लाभ मिला करता था। इस बिल के माध्यम से सरकार ने उस वर्ग को, महिलाओं को, बहनों को अधिकार देने की बात कही है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि देश में जो 50 परसेंट महिलाओं की बात करते हैं, उन्हें भी लगे कि निश्चित रूप से साठ-सत्तर सालों से महिलाएं आजाद नहीं हुईं, उन्हें आज इस बिल का पूरा लाभ मिलने जा रहा है।

महोदया, आप ट्रिपल तलाक की बात ले लीजिए। ये कभी नहीं कहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इन ... * को वोट चाहिए।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, we are not ... *. ...
(Interruptions)

श्री रमेश बिधूड़ी: वोट बैंक की राजनीति के कारण आज महिलाओं के बारे में ट्रिपल तलाक की बात कही है, वह भी देश के प्रधानमंत्री जी ने बात कही है और उन्हें भी ये सारे के सारे लोग कहने लगे हैं। इनमें से कोई ट्रिपल तलाक के बारे में कुछ बोल कर तो दिखाए। खड़गे साहब कोई स्टेटमेंट दे कर तो दिखाएं। एक

* Not recorded.

व्यक्ति की एक महिला से शादी होनी चाहिए। महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार किए जाते हैं। एक आदमी तीन-तीन बीवियां रखकर 25-25 बच्चे पैदा करेगा।... (व्यवधान)

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Ananthkumar ji, you should select some descent speakers.... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SULE: We are not helpless by any standard.... (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधुड़ी: महिलाएं अपने अधिकार के लिए कहां जाएंगी, इसीलिए महिलाओं के सुरक्षा अधिकार की बात करते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

KUMARI SUSHMITA DEV: Look at the quality of the debate in your presence.... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, रिकार्ड में ऐसा नहीं जाना चाहिए। ये स्वयं बिल को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लोग क्यों अंदर आते हैं, मुझे मालूम नहीं है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा मत बोलिए। मैंने देखा है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह वर्ष 1961 का एक्ट है। इस एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे हैं और 12 हफ्ते की लीव की जगह 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव कर रहे हैं। इन्हें तो यह कहने की आदत हो गई है कि पिछले सत्तर सालों से क्या किया है।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only Minister's statement will go on record.

... (*Interruptions*)... *

* Not recorded.

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदया, मैंने पहले ही कहा था कि यह अमेंडमेंट काफी प्रोग्रेसिव वे में प्रपोज्ड किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि सदन में सभी पक्षों के लोगों ने एक्रास दि पार्टी लाइन इस बिल का समर्थन किया है। विशेषकर, इस विषय पर जिन नौ महिला सदस्यों ने विनम्रतापूर्वक अपनी बात कही है, उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है, उनकी भावनाओं के लिए मैं अपनी ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अन्य सदस्यों की ओर से भी काफी सुझाव आये हैं। उन सुझावों को भी मैंने विस्तार से नोट किया है। कुछ सुझाव बहुत ही दूरगामी प्रभाव डालने वाले हैं। ऐसे विषयों के लिए रूल फ़्रेम करने की कोशिश करूँगा ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मैटरनिटी बेनिफिट मिल सके।

इस अमेंडमेंट में कुछ नये प्रावधान किये गये हैं। पुराने बिल में कमिशनिंग मदर या एडॉप्ट मदर के बारे में प्रावधान नहीं था और क्रेच का प्रावधान भी नहीं था। घर से काम करने का प्रावधान भी नहीं था। इसमें प्रमुख बात यह है कि हमारी मजदूर महिलाओं को भर्ती करने समय इंटीमेट करने चाहिए कि आपको मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। उनको यह इलैक्ट्रॉनिकली देना चाहिए या लिखित रूप में देना चाहिए। इस प्रकार का इसमें प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, पहले प्राइवेट में जो क्रेच चलते थे, वे दो ब्रेक्स देते थे, अब इसकी संख्या बढ़ाकर चार तक की गयी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्राइपरटाइट मैकेनिज्म चलती है, उसमें कानून के प्रावधान के अनुसार कानून बनाने का प्रावधान है, जिसमें ट्रेड यूनियन, इम्प्लायर और राज्य सरकारें हैं। सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है। इम्प्लॉयर ने भी इसका समर्थन किया है, ट्रेड यूनियन तो समर्थन करता ही है और इसका समर्थन राज्य सरकारों ने भी किया है। इससे देश में एक संदेश गया है कि महिलाओं को मातृत्व बेनिफिट देने से उनके वर्क फोर्स में बढ़ोत्तरी आएगी। उनकी वर्किंग कंडिशन और हेल्थ के कंडिशन में इंफोर्समेंट लॉ को सही तरीके से लागू करना चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि **Please do not forget that labour is under the Concurrent List and the major role has to be played by respective State Governments. My job is limited to only Central sphere.** सेन्ट्रल स्फीयर में मैं इसे सही तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक और कहना चाहता हूँ कि कुछ राज्यों में इससे ज्यादा भी मैटरनिटी बेनिफिट देने की योजना बनायी गयी है, उन राज्य सरकारों का मैं अभिनन्दन करता हूँ।

कंपीटेंट स्पीरिट में भी राज्य आगे जा रहे हैं। वेलफेयर मेजर्स को लेने के लिए काफी राज्य आगे आ रहे हैं। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। इस अमेंडमेंट के साथ जो शो प्रोविजंस हैं, वे भी वैसे ही रहेंगे, जैसे **six weeks leave in a case of abortion or medical termination of pregnancy.** Secondly, two weeks leave for tubectomy operation and thirdly, maximum leave

of one month in a case of pregnancy or child birth related illness. Another one is medial bonus. Earlier the medical bonus facility for the employee for the child birth was only Rs.1000 and now, we have increased it to Rs.3500.

Other important provisions are no dismissal on account of absence due to pregnancy, no reduction of pay during pregnancy or maternity leave, etc. कुछ सदस्यों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की थी, इसलिए मैंने इस बिल में इन सारे प्रोविजन्स को लागू किया है। सभी सदस्यों ने इस विषय पर काफी सुझाव दिए हैं। मैं उन सुझावों के समाधानों के संबंध में बताना चाहता हूँ। सुष्मिता जी ने कृषि के बारे में बताया था। कृषि में केवल मदर ही नहीं, बल्कि फादर भी इसे ले सकते हैं। If necessary, a father can also can go and help. Dr. Pritam Munde talked about counselling and advice to women about the benefits under this Act. हम इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम को इंकल्यूड कर के और राज्यों से भी इसको लागू करवाने की कोशिश करेंगे। इसके संबंध में ए.आई.डी.एम.के. की मैडम वसंथा जी ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में 52 वीक्स दिया जा रहा है। यह करेक्ट नहीं है। Britain gives leave for 20 weeks only and now we are giving 26 weeks leave.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Our Amma declared 36 weeks (nine months) maternity leave.

HON. SPEAKER: He has already said that some States are giving more leave than this.

SHRI BANDARU DATTATREYA: I have already complimented you for that. The State of Tamil Nadu has extended some other new benefits to unorganized workers also. I welcome these steps of Tamil Nadu. रत्ना जी ने इसके अंतर्गत पेनाल्टी के बारे में बताया है। There is a penal provision for those who would violate the provisions of this Act. There is a provision of three months to six months imprisonment and we have increased the fine from Rs.3000 to Rs.5000 as has been suggested by the hon. Members. We have to take care of its proper implementation.

माननीय अरविंद सावंत जी ने भी बताया था कि एस.ई.जेड के इकोनॉमिक जोन्स में भी इसे कवर कर के लागू किया जाता है। अगर वह किसी भी जगह लागू नहीं है, तो आप मुझे उसके बारे में

बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। डॉ. नरसैय्या गौड़ जी ने बताया था कि दो सरवाईविंग चिल्ड्रन तक इसे लागू करना है। The provision is already there for that. इसीलिए किया गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की एक पॉलिसी चलती आ रही है, उस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों ने जो ओपीनियन बताया है। मैं सुप्रिया जी को विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने काफी पॉजिटिव सजेसंस दिए हैं। उन्होंने दो बातों के ऊपर ज्यादा बताया है, दूसरे सदस्यों ने भी अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स के बारे में बताया है। It is true that 93 per cent of workforce is in the unorganised sector. My priority is to see that they get social security. Towards that end, for the first time, this Government headed by Shri Narendra Modi ji has taken a decision that all construction workers would be moved from informal sector to formal sector. Now, they are going to be covered by EPFO and ESIC schemes. The registration for this has already started. Approximately, four crore seventy lakh construction workers are there in the country. This is a major step that the Government has taken with regard to the construction workers.

Simultaneously, I may emphatically inform this House that in a phased manner this Government is going to create more social security network for workers engaged in the unorganised sector. मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में भी मैं आपको हमारे ई.एस.आई.सी. के सेकण्ड जेनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊँगा, लेकिन हमारे काफी लोगों का एक सुझाव आया था कि इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप का मैकेनिज्म करना चाहिए। जैसे वूमेन एण्ड चाइल्ड वैल्फेयर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री। जब भी इंटरमिनिस्ट्रियल की जरूरत होती है, उस पर बराबर काम होता रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो कहा है, उसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है, हम उस पर भी सोच सकते हैं। It is because whatever provisions are there in this amending Act, those should be fully implemented. For that, if necessary, we will devise some mechanism also.

I would also like to inform this august House with regard to the cess amount from the construction workers. Though welfare of construction workers is under the purview of the Central Government, the cess is collected by the respective State Governments. The observation of the Supreme Court in this regard is very serious. The Supreme Court has specifically made a comment. The

total amount collected as cess from construction workers amounts approximately to Rs. 24,600 crore and the amount spent by the respective State Governments is only Rs. 3,600 crore. So, a sum of Rs. 21000 crore is the left over amount. Therefore, I would like to request the State Governments to utilise this amount for the welfare of the women workforce, particularly for giving maternity benefits. Though we are in the process of bringing them under the ESIC network, yet the respective State Governments also should make their efforts. I would also like to request all the hon. Members of Parliament from different States to see that this cess amount collected should be properly utilised.

Many other issues were raised. One issue that I wanted to mention here is with respect to ESIC. ESIC is one of the major social security organisations under the Labour and Employment Ministry. We are now having two crores and ten lakhs insured persons and covering eight crores of families. In the second generation of reforms, we are expanding the ESIC to the entire country. Earlier, the new Government which has come to power had thought of, instead of having clusters in geographical area, expanding the coverage of ESIC. It will be expanded at the national level. The ESIC is now having only 393 districts which are covered fully. We want to expand the network of ESIC to 702 districts of the country. 702 जिलों में सारे ई.एस.आई.सी. हास्पिटल्स को कवरेज करने के हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। जैसा उन्होंने कहा था कि इसमें इम्प्लायर का कंट्रीब्यूटी फंड 4.75 परसेंट है और इम्प्लायी का 1.75 परसेंट है। फिर भी कुछ लोगों ने सरकार की तरफ से कुछ सोशल सिक्युरिटी फंड के निर्माण का सुझाव भी दिया है, लेकिन इस स्कीम को फेज्ड मैनर में ई.पी.एफ.ओ., पेंशन, मैडिकल बेंनिफिट्स एंड प्रोविडेंट बेंनिफिट्स को अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में ज्यादा ले जाने का एक नया निर्णय हम लोगों ने लिया है और जहां-जहां हमारी डिस्पेंसरीज हैं, उन डिस्पेंसरीज को हमने 6 बैडेड हास्पिटल के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। आगे आने वाले दो सालों में हम 450 सिक्स बैडेड हास्पिटल्स का निर्माण करने वाले हैं और ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में आयेंगे।

सैकिंड जनरेशन ऑफ रिफोर्स में हम दो बातों पर काफी ध्यान दे रहे हैं। इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस में काफी चेंजिज लाये हैं और डिमोनेटाइजेशन

के बाद हमने नये ई.एस.आई.सी. और ई.पी.एफ.ओ. का बैनिफिट देने के लिए वर्कर्स के नये रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। वर्कर्स के कैम्पस लगाना और उनके बैंक खाते खुलवाने का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि हम अनऑर्गेनाइज्ड को भी आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि if this Bill is approved, then India will be joining 40 nations of the world and India would emerge as one of the countries with the highest number of weeks in Asian Pacific countries. एशियन पेसिफिक कंट्रीज में हम नम्बर वन रहेंगे। I am happy to inform the House that India is now in the Chair.

Our Members were asking about China which is providing maternity benefit for 15 weeks. Japan is providing for 14 weeks, Sri Lanka is providing it for 12 weeks, Bangladesh and Korea are providing for 12 weeks and ten weeks respectively. Germany is providing it for 14 weeks, Spain, France and Netherlands are giving it for 16 weeks. UK is providing it for 20 weeks. Italy is providing for 22 weeks. India is reaching to the third number, that is, 26 weeks. Canada is giving it for 50 weeks.

18.00 hours

इसलिए हम लोग दुनिया के अंदर रिफॉर्म्स में अपनी पहचान बना रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देश भर में मनाया गया है। हम देश की महिलाओं को और विशेषकर महिला कामगारों को यह मैटरनिटी बैनिफिट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में सादर एक गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं। फिर भी हमारे मंत्रालय का जो लक्ष्य है, प्रधान मंत्री जी ने भी हमें बार-बार आदेश दिया है कि आप असंगठित क्षेत्र में काफी आगे बढ़िए। मुझे बहुत खुशी है, सारे ट्रेड यूनियंस भी जानते हैं कि हम जितने भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, एक ट्रीपार्टाइट मैकेनिज्म से आगे ला रहे हैं और डेमोक्रेटिक स्पिरिट से आगे ला रहे हैं। इसलिए मज़दूरों के हित के लिए यह सरकार अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। मेरी आपसे यह विनती भी है कि आप सभी लोग एक पॉज़िटिव आउटलुक से मज़दूरों को सबल बनाएं। मैं मज़दूर वर्ग से ही आया हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्यों, सदन की सहमति से यह बिल पास होने तक हम सदन का समय बढ़ाते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: महोदया, ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदया, यह एक बदलता हुआ जमाना है। इसमें हमारी सरकार तीन बातों की ओर ध्यान दे रही है। First one is job security; second one is wage security and the third one is social security. ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इन तीनों बातों पर मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि मिनिमम वेज के बारे में हम लोगों ने एक एडवाइज़री दी है। पहली बार नॉन एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम वेज़ हम लोगों ने बढ़ा कर तीन सौ रुपये किया है। पहले यह कम था, अभी 38% बढ़ाया है। वैसे ही जॉब सिक्योरिटी के बारे में, लैजिस्लेशन में परिवर्तन के बारे में हमारी कोशिश चल रही है। सोशल सिक्योरिटी में हम लोगों ने कहा था कि फर्स्ट फेज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम लोगों ने इनफॉर्मल टू फॉर्मल सैक्टर में लाया है। अब आगे वैसे ही बीड़ी वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को और मिडडे मील वर्कर्स को भी हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय और हैल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिल कर एक कमेटी बना कर ऑफिशियल एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। वह एक्सरसाइज़ होने के बाद वह स्कीम भी आगे आएगी। उन सभी वर्कर्स के बारे में भी हम लोग एक सोशल सिक्योरिटी देने का विचार कर रहे हैं।

इसलिए आप सब ने जितना समर्थन किया है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए इस बिल को पारित कराने के लिए अपना समर्थन दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

धन्यवाद।

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 5

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment Nos.3 to 6?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am only moving Amendment No.5 which is regarding the surrogate mother.

I beg to move:

“Page 2, *after* line 17, *insert*,-

“(4A) A woman who bears a child on behalf of another woman, either from her own egg fertilized by the other woman’s partner or from the implantation in her womb of a fertilized egg from the other woman (surrogate mother), shall be entitled to maternity benefit for a period of twelve weeks of which not more than four weeks shall precede the date of her expected delivery.”.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.5 to Clause 3 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Insertion of new Section 11A

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment Nos.7 and 8?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I am not moving.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1 Short title and Commencement

Amendment made:

“Page 1, line 3,-

for “2016”,

substitute “2017” (2)

(Shri Bandaru Dattatreya)

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

“Page 1, line 1,-

for “Sixty-seventh Year”

substitute “Sixty-eighth Year”. (1)

(Shri Bandaru Dattatreya)

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI BANDARU DATTATREYA: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Friday, March 10, 2017, at 11 a.m.

18.08 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 10, 2017/Phalguna 19, 1938 (Saka).
